ISSN-0971-8397

योजना

नवंबर 2008 | विकास को समर्पित मासिक | मूल्य : 10 रुपये

बाल अधिकार

उपभोक्ता कानून का ज्ञान
आपकी समस्याओं का समाधान

सयानी रानी की सलाह....

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करें और एक जागरूक उपभोक्ता बनें....

जागो ग्राहक जागो

शिकायत कौन कर सकता है

* उपभोक्ता
* कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है।
* केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार
* एक अथवा एक से अधिक उपभोक्ता
* उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में, उसके कानूनी वारिस अथवा प्रतिनिधि

शिकायत किन स्थितियों में

* किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आप को हानि/क्षति हुई है
* यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है
* किराए पर ली गई/उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई है।
* यदि आप से प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा तय मूल्य अथवा दोनो पक्षों द्वारा स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है।
* यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है

उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत

* सामान से खराबियां हटाना
* सामान को बदलना
* चुकाए गए मूल्य को वापिस देना
* हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति
* सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाना
* पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय वाद–व्यय प्रदान करना
* व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग पर रोक
* जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान के विक्रय पर रोक

अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम का पता करने के लिए ncdrc.nic.in पर लॉग ऑन करें।

उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
1800–11–4000 (निःशुल्क) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
(बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से)
अथवा 011–27662955,56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)
(9.30 प्रातः से 5.30 सायं – सोमवार से शनिवार)

सत्यमेव जयते

जनहित मे जारी
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110 001 : वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

YH-11/08/02

योजना

वर्ष : 52 • अंक : 11 नवंबर 2008 कार्तिक-अग्रहायण, शक संवत 1930 कुल पृष्ठ : 80

प्रधान संपादक
एस.बी.शरण

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir_icm@yahoo.co.in

आवरण : **संतोष वर्मा**

इस अंक में

संपादकीय	-	3
आर्थिक संकेतक	-	5
सार्वभौम शिक्षा की दिशा में उठे कदम	विनोद रैणा	6
समता के लिये अपरिहार्य	ज्यां द्रेज रीतिका खेरा	13
बाल अधिकार - सही परिप्रेक्ष्य	के.के. वर्मा	17
बाल विकास एवं पोषण	कुमारी रूपम	23
हिंसक होता बचपन	सोना दीक्षित अरुण कुमार दीक्षित	25
क्या आप जानते हैं?	-	31
बच्चों में निवेश की ज़रूरत	अक्षय के. पांडा	33
परमाणु ऊर्जा के उपयोग की योजनाएं	सुरेश अवस्थी	35
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	-	42
मुद्रा वायदा कारोबार : संभावना और चुनौतियां	ओ.पी. शर्मा	44
ग़रीबी निर्धारण का अर्थशास्त्र	रहीस सिंह	47
वैश्विक मंदी से कैसे बचे भारत	अरविंद कुमार मुकुल	52
आदिवासियों के विकास का आधार	अभय कुमार	57
जहां चाह वहां राह : कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता	लोकेंद्र सिंह कोट	59
जहां चाह वहां राह : बदला गांवों का अर्थशास्त्र	आर.बी. त्रिपाठी	61
ख़बरों में	-	63
चंद्रयान-1 : भारतीय वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक उपलब्धि	-	65
सीआरआर और रेपो दर में कटौती	-	66
वैश्विक मंदी : सुरक्षित हैं भारतीय बैंक	-	67
स्वास्थ्य चर्चा : जीवन का पर्याय हैं बच्चे	एस.के. मिश्रा	72
मंथन : आडंबर बनती श्रद्धा	दिव्या पांडेय	75
नये प्रकाशन : भारतीय संसद और मीडिया के अंतर्संबंध	राजेंद्र धस्माना	78

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिये आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :- सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

मील का पत्थर

योजना का सितंबर अंक 'वन अधिकार' के जरिये आदिम मानव जनजाति के हितों पर केंद्रित स्वरूप के साथ मिला। आदिम मानव जातियां जो जंगलों में निवास करती आ रही हैं उनके लिये वन अधिकार कानून, 2006 मील का पत्थर साबित होगा। जनजातीय समाज अधिकांशतः आधुनिक प्रगतिशील समाज से दूर रहा है। दूरस्थ बसावट एवं निवास के कारण जनजातियों में अनेक अभावजन्य समस्याएं उत्पन्न हुईं। चूंकि ये आदिवासी जनजातियां जंगलों में निवास करती आ रही हैं इसलिये इनको वनों पर अधिकार दिया जाना अत्यंत ही आवश्यक था। अब सरकार ने वनों में रहने वाले जनजातियों को अधिकार दिए जाने को मानवाधिकार समझा, और तभी वन अधिकार कानून, 2006 पारित किया गया। कहना न होगा कि आदिम जनजातियां आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी सुदूर जंगलों में वास करने वाली जातियों तक विकास की गाड़ी नहीं पहुंच सकी। ये सभ्य समाज से इतने दूर रहा करते हैं कि इनके अंदर अशिक्षा, ग़रीबी, बेरोज़गारी, रूढ़िवादिता व्याप्त हैं और ये महामारियां, प्राकृतिक आपदाओं से जूझते आ रहे हैं।

जंगलों में वास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक 8.35 करोड़ है जोकि देश की कुल जनसंख्या का 8.1 प्रतिशत है। जनजातीय समुदाय देश के 15 प्रतिशत क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूची के अनुसार, 600 से भी अधिक जनजातियां अपने देश में हैं। ऐसे में वन अधिकार अधिनियम 2006 सराहनीय कदम है।

सत्य प्रकाश
बरवां, मीरगंज, गोपालगंज, बिहार

पालक हैं वन

वन अधिकार पर केंद्रित *योजना* का यह अंक मुखपृष्ठ से ही वनों द्वारा प्राप्त नैसर्गिक सुख की अनुभूति कराता है। मुखपृष्ठ को देखकर ही बहुत सुकून महसूस हुआ। सच है, जनजातियां व वन एक-दूसरे के पूरक कहे जाएं तो अतिश्योक्ति न होगी। जब भी पूर्वोत्तर के घने जंगलों की बात करें तो उनमें रहने वाले आदिवासियों की याद ताज़ा हो जाती है। वन भारत की अमूल्य संपदा है तथा वनों को अपने पिता या अविभावक की भांति देखभाल की आवश्यकता है क्योंकि वही हमारे पालक हैं। किसी भी पहलू से देखा जाए तो वन परिवार के बुजुर्ग सदस्य की भांति हमें हमेशा कुछ देने का संदेश देते हैं।

सुधांशु पाण्डेय
स्वर्गद्वार, अयोध्या

योजना से दोस्ती लाभदायक

सितंबर अंक से वन अधिकार के संदर्भ में आम आदमी की वृहद जानकारी मिली जो काबिले तारीफ़ है। 'वन अधिकार कानून : कुछ मिथक और सच्चाइयां', 'जहां चाह वहां राह', 'स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वावलंबन' जैसे लेख *योजना* को आदर्श पत्रिका के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक रहे।

आबिद मजीद इराकी
इंडिया शृंगार स्टोर,
अस्पताल रोड, जहानाबाद

कार्यक्रम की समीक्षा आवश्यक

अगस्त विशेषांक पढ़ा। बेहद ज्ञानवर्द्धक एवं रोचक लगा।

भारत जैसे विशाल जन समूह वाले देश में जहां बेरोज़गारी एक प्रमुख समस्या है एवं 27 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मज़बूर है, अनगिनत सरकारी योजनाएं ग़रीबी एवं बेरोज़गारी उन्मूलन करने में असफल रही हैं, ऐसी स्थिति में 'नरेगा' से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वर्तमान में मुद्रास्फीति की ऊंची दर अर्थशास्त्रियों एवं विद्वानों के लिये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, परंतु ग़रीब जनों के लिये यह जीवन का पर्याय बन गया है। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने आर्थिक नीति एवं उसके कार्य योजना पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार करना चाहिए। कहीं-न-कहीं यह हमारी इच्छाशक्ति की कमी का ही परिणाम है कि आज़ादी के 61 वर्षों बाद भी भारत जैसे समृद्ध राष्ट्र में जहां दुनिया में प्रतिवर्ष सबसे अधिक अरबपति जुड़ रहे हैं, का एक तबका दो जून की रोटी के लिये तरसता है।

राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम ग़रीबी उन्मूलन की दिशा में निश्चय ही सरकार द्वारा उठाया गया अत्यंत सराहनीय एवं ठोस प्रयास है। किंतु किसी भी नीति अथवा कार्यक्रम की समीक्षा एवं समय के साथ उसमें परिवर्तन वांछनीय होता है। 'नरेगा' की भी समय-समय पर समीक्षा, उसके कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना तथा प्रदेश एवं जिला स्तर पर इसमें अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक है। वरना यह योजना भी अन्य सरकारी योजनाओं की तरह अपना अस्तित्व खो देगी।

राजेश प्रसाद
विजय स्तम्भ, भोपाल

भारत की कुल जनसंख्या का 42 प्रतिशत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का है। एक हालिया सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 2000 और 2005 के बीच केंद्र सरकार द्वारा व्यय किए गए प्रत्येक 100 रुपये में से औसतन तीन पैसे बच्चों की सुरक्षा पर ख़र्च किए गए जबकि बाल स्वास्थ्य के हिस्से में 40 पैसे गए। उसके बाद बाल विकास पर 45 पैसे और प्रारंभिक शिक्षा पर एक रुपये पचास पैसे ख़र्च हुए। ध्यान देने की बात है कि भारत में बच्चों के विकास में ह्रास का जो सिलसिला बना हुआ है वह पिछले डेढ़ दशक में विकास प्रक्रिया की विफलता का एक प्रमुख दृष्टांत है। अत: विषमताएं मिटाने, अंतर को समाप्त करने और देशवासियों का कल्याण सुनिश्चित करने वाली किसी भी रणनीति का समारंभ बच्चों के अधिकारों के प्रति सम्मान के साथ होना चाहिए। इस बात को अब अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है कि नियोजन के केंद्र में बच्चों के अधिकार आधारित विकास को प्रमुखता देनी होगी।

पिछले कुछ वर्षों में बच्चों पर जो हमारा रणनीतिक फोकस रहा है वह कल्याण से आगे बढ़कर विकास और अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। 5वीं योजना में फोकस बाल कल्याण से हटकर बाल विकास की ओर किया गया। नौंवी योजना में बाल विकास को न केवल राष्ट्र के भविष्य में वांछित सामाजिक निवेश के रूप में देखा गया बल्कि इसे अपनी विकास क्षमताओं को हासिल करने के प्रत्येक बच्चे के अधिकार के रूप में भी देखा गया। दसवीं योजना में कतिपय अंतर मंत्रालयीन और अंतर विभागीय कदम बाल विकास की दिशा में उठाए गए। विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पाने का अधिकार है, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। समेकित बाल विकास सेवा योजना का विस्तार किया गया और राष्ट्रीय किशोरी कन्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 11वीं योजना सभी आयु, समुदायों और आर्थिक समूहों के बच्चों की उत्तरजीविता, सुरक्षा और बहुमुखी विकास के लिये प्रतिबद्ध है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिसूचित किया गया है। भारत सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वचनबद्ध है। बाल अधिकार अभिसमय (समझौता) सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संधियों में भी भारत शामिल है।

इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए *योजना* के इस अंक में शिक्षा का अधिकार विधेयक, नियोजन और बजटीय पहलुओं की जानकारी तथा समावेशी विकास पर चर्चा के अतिरिक्त बाल अधिकारों और पोषण की स्थिति, मध्यान्ह भोजन योजना और बुनियादी सांख्यिकी पर आलेख प्रकाशित किए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों में बढ़ती हिंसक वृत्ति पर भी सामग्री आपको मिलेगी। इन सबके अलावा आप मुद्रा वायदा कारोबार और वैश्विक मंदी पर भी पठनीय सामग्री पाएंगे। मुद्रा वायदा कारोबार की अनुमति हाल ही में सरकार ने दी है। दूसरी तरफ अमरीका जनित वैश्विक मंदी से निबटने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी इस अंक में आपको मिलेगी।

बच्चों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देना और उनके समग्र विकास के अवसर प्रदान करना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, परंतु सामूहिक प्रयास और सभी क्षेत्रों की समेकित कार्रवाई से निकट भविष्य में इसे यथार्थ में बदला जा सकता है, ऐसी आशा है। ❑

अहिंसा

राष्ट्रपिता का संदेश

DIP/1367/08-09

भागीदारी
नागरिक सरकार साझेदारी

दिल्ली सरकार
दिल्ली टीम – स्वप्न करें साकार

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

विशेष सार्वजनिक कार्यक्रमः

अहिंसा दिवस पर शांति पदयात्राः वियतनाम के बौद्ध आध्यात्मिक नेता श्री तिक न्यात हन्ह के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित

दिनांकः 2 अक्टूबर, **स्थानः** राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट, **समयः** सांध्य 5.30 बजे

आर्थिक संकेतक

संकेतक: वार्षिक	इकाइयां	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (प्रक्षेपित)
जनसंख्या (1 अक्तूबर तक)	करोड़ में	101.9	103.8	105.5	107.3	109	111	112.2	113.8	115.2
जीडीपी वर्तमान बाज़ार मूल्य पर	करोड़ रुपये	21,02,314	22,78,952	24,54,561	27,54,621	31,49,412	35,80,344	41,45,810	47,13,148	-
जीडीपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य)	रुपये	20,632	21,955	23,266	25,696	28,920	32,372	36,950	41,416	-
सकल घरेलू बचत (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	23.7	23.5	26.4	29.8	31.8	34.3	34.8	-	-
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	24.2	24.2	25.2	26.8	31.6	34.5	36.0	37.5	-
सकल राजकोषीय हानि	जीडीपी प्रति.	5.7	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1	3.4	3.0	2.5
वर्तमान मूल्य पर जीडीपी एफसी का क्षेत्रवार हिस्सा										
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	जीडीपी का %	23.4	23.2	20.9	21.0	19.2	18.8	18.3	17.8	-
उद्योग	जीडीपी का %	26.2	25.3	26.5	26.2	28.2	28.8	29.3	29.4	-
सेवा	जीडीपी का %	50.5	51.5	52.7	52.8	52.6	52.4	52.4	52.8	-
मूल्य (वार्षिक औसत)										
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूटी 100.00)	अप्रैल 1993=100	155.7	161.3	166.8	175.9	187.2	195.5	206.1	215.9	-
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्यो. कर्म	जुलाई 2001=100	95.93	100.07	104.05	108.07	112.2	117.2	125.0	132.75	-
कृषि उत्पादन आम सूचकांक भारत										
खाद्यान्न	मिलि. टन	196.8	212.9	174.8	213.2	198.4	208.6	217.3	230.7	230.7
मोटा अनाज	मिलि. टन	185.7	199.5	163.7	198.3	185.2	195.2	203.1	215.6	215.6
चावल	मिलि. टन	85.0	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	93.4	96.4	96.4
गेहूं	मिलि. टन	69.7	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.4	78.4
दालें	मिलि. टन	11.1	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	15.1	15.1
तिलहन	मिलि. टन	18.4	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	24.3	28.8	28.8
गन्ना	मिलि. टन	296.0	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	355.5	340.6	340.6
उद्योग और ऊर्जा										
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (मान-100) (वार्षिक औसत)	अप्रैल 1993 = 100	162.69	166.99	176.64	188.97	204.8	221.52	247.05	268.02	-
	% परिवर्तन	5.06	2.64	5.78	6.98	8.37	8.16	11.53	8.49	-
व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन	एमटीओई #	230.9	237.9	246.9	259.2	272.0	283.83	298.55	73.45	-
सार्वजनिक इकाइयों द्वारा ऊर्जा उत्पादन	मिलि. केडब्ल्यूएच	501.2	517.4	532.7	565.1	594.5	617.5	662.5	704.5	-
विदेश व्यापार										
निर्यात	मिली. अम. डॉलर	44,147	43,958	52,823	63,886	83,502	1,03,075	1,26,276	1,55,435	1,79,000
आयात	मिली. अम. डॉलर	50,056	51,567	61,533	78,203	1,11,472	1,49,144	1,85,624	2,35,868	3,09,000
विदेशी मुद्रा भंडार^	मिली. अम. डॉलर	39,554	51,049	71,890	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,91,924	2,99,147	-
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (शुद्ध)	मिली. अम.डॉलर	4,031	6,125	5,036	4,322	5,987	8,901.0	21,991	32,327	-
भारत में पोर्टफोलियो निवेश (शुद्ध)	मिली. अम. डॉलर	2,760	2,021	979	11,356	9,311	12,494	7,004	29,096	-
रुपया विनिमय दर	रुपये/अम. डॉलर	45.61	47.55	48.30	45.92	44.95	44.28	45.29	40.24	-

संकेतक : मासिक																	
मूल्य		जून 07	जुलाई 07	अगस्त 07	सितं. 07	अक्तू. 07	नवंबर 07	दिस. 07	जन. 08	फर. 08	मार्च 08	अप्रैल 08	मई 08	जून 08	जुलाई 08	अगस्त 08	सितंबर 08
थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 = 100		212.3	213.6	213.8	215.1	215.2	215.9	216.4	218.2	219.9	225.5	228.5	231.1	237.4	239.3	240.5	-
(सभी सामग्रियां) परिवर्तन		4.5	4.7	4.1	3.5	3.1	3.3	3.8	4.5	5.3	7.5	8.0	8.9	11.8	12.02	12.5	-
कृषि																	
वास्तविक वर्षा: अखिल भारत	मिलीमीटर	153	259	299	194	75	14	16	19	19	32	37	38	159	276	249	175
सामान्य वर्षा से अंतर	प्रतिशत	8	0	-2	14	-22	-49	1	-19	-14	21	-15	-31	22	-15	2	0
चावल भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि.टन	10.98	-	6.67	-	10.65	10.05	11.15	-	-	13.84	12.86	12.13	-	97.93	-	-
गेहूं भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि.टन	12.93	-	10.86	-	90.2	83.6	73.52	-	-	5.8	17.69	24.12	-	24.38	24.38	-

निवेश (सीएमआईई कैपएक्सडेटाबेस)		**मार्च '01**	**मार्च '02**	**मार्च '03**	**मार्च '04**	**मार्च '05**	**मार्च '06**	**मार्च '07**	**मार्च '08**
परियोजना निवेश	करोड़ रुपये	1,403,025	1,486,938	1,382,122	1,503,040	1,931,500	2,761,339	4,293,108	6,118,218
	परियोजना की संख्या	4,328	5,805	6,942	8,835	9,434	9,688	12,281	14,501

टिप्पणी: (क), % परिवर्तन वार्षिक आधार पर है; (ख) एमटीओई: मिलियन टन तेल का समतुल्य; (ग) ^ भारत सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य (स्वर्ण एवं एसडीआर को छोड़कर); (घ) * यह देश में चल रहे सभी चालू पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं की परियोजना लागत का सकल योग है। ये परियोजनाएं इनमें से किसी भी तीन अवस्थाओं में हो सकती है - घोषित अथवा जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा हो।

स्रोत : योजना आयोग में स्थित i^3 (आई क्यूब) सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई)।

शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008

सार्वभौम शिक्षा की दिशा में उठे कदम

● विनोद रैणा

इकहत्तर वर्ष पूर्व, 1937 में 67 वर्ष की आयु में गांधीजी ने सार्वभौमिक शिक्षा के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई थी। उनकी मांग के उत्तर में कहा गया कि इस पर आने वाले व्यय को वहन करना कठिन होगा। यह उत्तर उतना ही अविश्वसनीय तब भी था, जितना आज है। लेकिन गांधीजी ने अपनी बात को वहीं नहीं छोड़ी। उन्होंने कमाई के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखने की पद्धति की रूपरेखा भी तैयार की, जो उनकी नयी तालीम की कार्ययोजना थी। स्वाधीनता आंदोलन के एक अन्य महापुरुष बाबा साहब आंबेडकर की भी राय थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास भी आवश्यक है। भारत का संविधान अंगीकार होने के पूर्व उन्होंने कहा, राजनीतिक तौर पर हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत को स्वीकार करने जा रहे हैं। परंतु सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, अपने आर्थिक ढांचे के तर्क से हम एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम कब तक इन विरोधाभासों भरा जीवन जीते रहेंगे? गांधीजी ने दुखी होकर कहा कि यदि भारत सार्वभौमिक शिक्षा में निवेश करने के लिये तैयार नहीं है तो हमारा लक्ष्य 100 वर्ष आगे खिसक जाएगा। यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी, जो सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि स्वतंत्रता के 61 वर्षों बाद भी आज हम शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्तर प्रदान करने के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। गांधीजी की '100 वर्ष' की समय सीमा को बाबा साहब के 'कब तक' के प्रश्न के उत्तर के रूप में देखा जा सकता है। यहां यह देखना रुचिकर होगा कि ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम शिक्षा आयोग, सार्जेंट कमीशन ने 1945 में, सार्वभौम शिक्षा के लिये चालीस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया था यानी 1985 तक। परंतु संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं बनाया जा सका। धारा 45 के अंतर्गत नीति-निर्देशक सिद्धांतों को अवश्य सम्मिलित किया गया, जिसमें राज्यों से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया गया था। संविधान में निश्चित समय सीमा वाली केवल यही एक धारा थी, जिसमें राज्यों से यह कार्य 10 वर्षों में, अर्थात 1960 तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया था।

किसी भी स्वाधीन देश में उच्च गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिये 61 वर्ष का समय एक लंबा अरसा प्रतीत होगा। परंतु सच्चाई यही है कि भारत अभी भी सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के अपने संकल्प को हासिल करने के लिये संघर्ष कर रहा है। न केवल उनको शालाओं में भर्ती कराना, वरन उनकी पढ़ाई को जारी रखना भी एक समस्या बनी हुई है। अब केवल एक ही रास्ता - कानून बनाना बचा दिखाई देता है। संभवत: इसके लिये भी काफी देर हो चुकी है। शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008 का उद्देश्य भी यही है। परंतु प्रश्न है कि सरकार के घोषित इरादों के बावजूद क्या यह विधेयक 2008 में संसद के सत्र में पेश किया जाएगा अथवा नहीं? नौ अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विचार अवश्य किया गया, परंतु और विस्तार से विचार के लिये इसे मंत्रियों के समूह (मंत्रिमंडलीय उपसमिति) के पास भेज दिया गया। इसे देखते हुए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान इसका संसद में पेश होना कुछ कठिन दिखाई दे रहा है।

विधेयक के लिये पहले ही छह वर्ष की देरी हो चुकी है। संविधान का 86वां संशोधन, जिसमें शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया था, 2002 में पारित हुआ था। 86वें संशोधन में 21 ए(क) की जो नयी धारा सम्मिलित की गई थी, उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके लिये चाहे तो वह कोई कानून बना सकती है। इस अधिकार को अमल में लाना उस कानून के साथ जुड़ा है, जो राज्य सरकार को लाना है। इसकी अनुपस्थिति में अभी तक 86वें संशोधन को अधिसूचित भी नहीं किया जा सका है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि 86वें संशोधन के पूर्व उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के तहत, यह अधिकार कम से कम अस्तित्व में तो था। 1993 के चर्चित उन्नीकृष्णन फ़ैसले में न्यायालय ने आदेश दिया था कि धारा 21 (जीवन का अधिकार) के साथ पठित नीति-निर्देशक सिद्धांतों की धारा 45 से यह स्थापित होता है कि शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में है और 14 वर्ष की आयु तक राज्य की आर्थिक क्षमता के कारण यह बाधित नहीं

होगा। आर्थिक क्षमता का हिसाब 14 वर्ष की आयु के बाद लगाया जाएगा। 86वां संशोधन न केवल 0-6 आयु समूह को अधिकार के दायरे से बाहर रखता है बल्कि इस अधिकार को उस कानून पर निर्भर बना देता है जो सरकार निश्चित करेगी। चूंकि पिछले 6 वर्षों में ऐसा कोई कानून पारित नहीं हुआ है, यह अधिकार वास्तव में सुप्त पड़ा है।

कानून बनने जा रहे विधेयक का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार ने 2004 में एक विधेयक तैयार किया, जो विशेषत: अपर्याप्त था। सरकार अगला चुनाव हार गई और वह विधेयक पेश नहीं हो सका। वर्तमान यूपीए सरकार ने 2004 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल (सीएबीई) का गठन किया (एनडीए सरकार अपने कार्यकाल के दौरान यह नहीं कर सकी थी) और उसकी एक समिति को शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। समिति ने अगस्त 2005 में एक प्रारूप तैयार किया, जिस पर सीएबीई की पूर्ण बैठक में नवंबर 2005 में चर्चा हुई। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर एक सार्वजनिक दस्तावेज़ के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पर टिप्पणियां आ रही थीं। इसी बीच प्रधानमंत्री ने विधेयक के आर्थिक और वैधानिक निहितार्थों का अध्ययन करने के लिये एक उच्चस्तरीय समूह का गठन कर दिया। आश्चर्य की बात है कि इस समूह का यह निष्कर्ष रहा कि किसी केंद्रीय विधान की आवश्यकता नहीं है और इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को परामर्श दिया कि उसे राज्यों से अपना-अपना कानून बनाने को कहना चाहिए। ये कानून केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तैयार आदर्श विधेयक पर आधारित होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक आदर्श विधेयक तैयार कर 2006 में राज्यों के पास भेजा। विधेयक के साथ भेजे गए पत्र में इसी आशय के विधेयक लाने का सुझाव दिया गया था। यह भी सुझाव दिया गया कि कानून और व्यवस्था के बाद राज्यों को शिक्षा संबंधी वित्तीय व्यवस्था को दूसरी प्राथमिकता देनी चाहिए।

अधिकांश राज्यों ने नकारात्मक उत्तर देते हुए केंद्र से केंद्रीय कानून बनाने पर पुन: विचार करने का आग्रह किया। राज्यों का आग्रह था कि इस कानून के अनुपालन पर आने वाले व्यय की व्यवस्था भी केंद्र ही करे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी प्रधानमंत्री से ऐसी ही सिफ़ारिश की थी। अगस्त 2007 में शिक्षाविदों का एक समूह प्रधानमंत्री से यह कहने को मिला कि आदर्श विधेयक के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इन लोगों ने आगामी दस वर्षों में विधेयक के वित्तीय पहलुओं के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया। तदुपरांत, प्रधानमंत्री ने फरवरी 2008 में कहा कि केंद्रीय कानून फिर से तैयार किया जाए और उसे 2008 के बजट सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, सीएबीई के अगस्त 2005 के प्रारूप पर आधारित एक नया प्रारूप तैयार करने के लिये तुरंत ही एक कार्यकारी समूह का गठन कर दिया। प्रारूप को सभी संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया और उनके विचारों को समाविष्ट कर मंत्रिमंडल को विचारार्थ भेजा गया। नौ अगस्त, 2008 को मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विचार हुआ और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मंत्रिमंडल ने पुन: इसे मंत्रियों के समूह को सौंप दिया।

यह संक्षिप्त इतिहास उन समस्याओं का आकलन करने के लिये आवश्यक है जो इस कानून को यथार्थ रूप लेने में सामने आ रही हैं।

पहुंच, समानता और गुणवत्ता

धारा 21ए में सभी राज्यों से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। विधेयक का प्रारूप तय करने वाले विशेषज्ञों के समक्ष प्रश्न यह था कि किस प्रकार की शिक्षा और उसे किस प्रकार राज्यों को प्रदान करना होगा? 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में क़रीब 19 करोड़ 50 लाख बच्चे हैं। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आंकड़ों से पता चलता है कि क़रीब 70 लाख बच्चों को ही स्कूलों में भर्ती नहीं किया जा सका है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ हालांकि इस संख्या से सहमत नहीं है। परंतु यह सर्वविदित है कि भर्ती होने वाले बच्चों में से क़रीब आधे बच्चे (आठ वर्ष की शिक्षा पूरी किए बिना ही) बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और विद्यालय आना बंद कर देते हैं। अतएव शिक्षा की पहुंच से दूर और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या को जोड़कर देखा जाए तो यह संख्या 19 करोड़ 50 लाख के क़रीब बैठती है, जो कि बहुत विचलित करने वाली संख्या है। राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो बच्चे विद्यालयों में रह भी जाते हैं, भाषा और गणित में उनकी न्यूनतम उपलब्धियां स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं। उनमें से अधिकतर एक प्रकार से निरक्षर जैसे ही होते हैं। कानून इस समस्या से कैसे निपटेगा? स्पष्ट है कि केवल राज्यों को विद्यालयों का प्रबंध करने को कहना भर ही पर्याप्त नहीं है। समानता और गुणवत्ता की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इन स्कूलों की उपयोगिता बहुत ही सीमित रह जाएगी। न तो वे बच्चों को पढ़ाई के लिये अपनी ओर खींच सकेंगे और न ही कुछ हासिल कर सकेंगे।

विधेयक के प्रारूप में प्रावधान किया गया है कि कानून के लागू होने के तीन वर्षों के भीतर ही राज्यों को प्रत्येक बच्चे के लिये उसके पड़ोस में ही स्कूल का निर्माण करना होगा। अत: कानून के अमल में आने के तीन वर्षों के भीतर सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जानी चाहिए। परंतु विधेयक में इसके लिये कुछ शर्तें भी दी गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यालयों और शालाओं की धारणा ही बदल गई है। एक ओर कम वेतन भोगी शिक्षक वाला शिक्षा गारंटी केंद्र है तो दूसरी ओर पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष लेने वाला निजी स्कूल। इन दोनों के बीच हैं - अनेक प्रकार के निराशाजनक विकल्प अनौपचारिक, टूटे-फूटे, बच्चों के लिये प्रतिकूल ढांचे, जिन्हें विद्यालय कहा जाता है। उच्च स्तर पर केवल निजी (कमाई करने वाले) स्कूल ही नहीं है, बल्कि नवोदय, केंद्रीय और इसी प्रकार के कुछ अन्य सरकारी विद्यालय भी हैं। इस प्रकार शिक्षा के अवसरों की पहुंच में भी काफी असमानता है। यद्यपि विधेयक में कोठारी आयोग के कॉमन स्कूल की धारणा को कानूनी रूप देने में कामयाबी नहीं मिली है, परंतु न्यूनतम विद्यालय को परिभाषित अवश्य किया गया है। इन विद्यालयों के लिये समुचित रूप से योग्य शिक्षकों सहित अनेक अनिवार्य मानक निर्धारित किए गए हैं। विधेयक में कहा गया है कि मान्यता के उद्देश्य से ये मानक सभी विद्यालयों के प्रबंधन पर लागू होंगे, चाहे वे सरकारी हों या निजी। इन मानकों में कक्षाओं की प्रकृति और संख्या, प्रसाधन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, छात्र-शिक्षक अनुपात और अन्य अनेक बातों को समावेश किया गया है।

विधेयक के प्रारूप का एक प्रावधान वाणिज्यिक आधार वाले (पैसा कमाने के इरादे वाले) विद्यालयों की जिम्मेदारी के बारे में है, जिसका काफी विरोध किया जा रहा है। स्वतंत्रता के समय यह आशा की जा रही थी कि जाति,

MISSION IAS - 2009

यदि आप खुद की क्षमताओं में विश्वास रखते हैं, और उसे दूसरों को भी दर्शाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल से आपका विश्वास किया जाता है .....

ENSEMBLE

एक सुनागरिक समाज. सिविल सेवियों का समाज.

..... जब तक कि वास्तव में आप हमसे रूबरू नहीं होते।

भूगोल

के. सिद्धार्थ के निर्देशन में

शरत् सत्र

प्रारंभिक परीक्षा केन्द्रित भूगोल	– 14 अक्टूबर '08
सामान्य अध्ययन भूगोल	– 14 अक्टूबर '08
मौलिक भूगोल	– 14 अक्टूबर '08
समन्वित मुख्य प्रारंभिक	– 1 नवम्बर '08
SAT	– 3 नवम्बर '08
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (nirvana)	– सप्ताहांत

Rajinder Nagar Centre: ENSEMBLE Knowledge Park : B-5/4, Poorvi Marg, Below ICICI Bank, NEA, Opp. Ganga Ram Hospital, OldRajinderNagar, Delhi-60, Ph.:01142430022/33/44,9811506926

MukherjeeNagarCentre: 2nd Floor, BatraCinema, Dr.MukherjeeNagar, Delhi-09, Tel.:011-27651852,27651853,9899707583

Email: ensemblecareersolutions.pvtltd@gmail.com

YH-11/08/4

प्रजाति (आदिवासी), लिंग, धर्म और निर्धनता के आधार पर विभाजित हमारे समाज के सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अनेक अर्थों में, सत्तर के दशक के मध्य तक, सरकारी विद्यालयों का चरित्र कुछ इसी प्रकार का था। मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के साथ ही पढ़ते थे। राष्ट्रीय जातीय विशेषताओं और संस्कारों में एकरूपता लाने और उसे पोषित करने के अनेक शैक्षणिक लाभ भी थे। और, जैसा बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, "धीरे-धीरे सामाजिक भेदभाव ने विद्यालयीन शिक्षा पर अपनी छाया डाल दी और विद्यालय भी धीरे-धीरे जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर बंटते जा रहे हैं।" समाज में इसके कारण जो हिंसा और अशांति का वातावरण बना उसे हम कानून और व्यवस्था के कारण पैदा हुई स्थिति का दर्ज़ा देते हैं। अत: विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिये कोठारी आयोग के सामान्य विद्यालय (कॉमन स्कूल) की धारणा पर कम से कम आंशिक रूप से अमल किया जाए और निजी, नवोदय तथा केंद्रीय सहित सभी विद्यालयों को अपने पास-पड़ोस के वंचित वर्गों के कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने की जिम्मेदारी दी जाए। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि इस प्रकार से दिए गए प्रवेशों को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों और फीस माफी के आधार पर दिया जा सकता है। विधेयक में यह प्रावधान है कि इस प्रकार के बच्चों पर होने वाले व्यय को राज्य (सरकार) की प्रति विद्यार्थी लागत के आधार पर संबंधित विद्यालयों को दिया जा सकता है। यह प्रावधान दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में निजी विद्यालयों के दायित्व के बारे में दिए गए निर्णय के अनुकूल है। यह सर्वविदित है कि कागज़ी कार्यवाही ही विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश से वंचित रखने में मुख्य कारक हैं, विशेषकर दूरस्थ, ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में। सही जन्म प्रमाणपत्र का न होना विद्यालयों में प्रवेश न पाने का प्रमुख कारण बन सकता है। इसी प्रकार, अपने पिता अथवा अभिभावकों के स्थानांतरण के कारण अन्य स्थानों में बच्चों के प्रवेश में स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) का न होना भी एक समस्या बन सकती है। वैसे भी स्थानांतरित होने वाले बच्चों के समक्ष अनेक जटिल समस्याएं रहती हैं। विधेयक के प्रारूप में इन क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कागज़ात की कमी को बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से वंचित रखने का बहाना नहीं बनाना चाहिए।

जहां तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है, पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो, नि:शुल्क का अर्थ है, फीस नहीं लेना और अनिवार्य का अर्थ होता है कि अभिभावकों की अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की विवशता अन्यथा दंड भोगना। विधेयक में नि:शुल्क को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - बच्चे को विद्यालय से दूर रखने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा - चाहे वह फीस हो, पुस्तकों और कापियों, परिवहन और पोशाक (यूनिफार्म) आदि का ख़र्च हो या फिर अन्य कोई अज्ञात व्यय जो दूरस्थ स्थानों में लगता हो और जिनको इस विस्तृत सूची में स्थान न मिल सका हो - को दूर (भुगतान) करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनिवार्य शब्द को विधेयक में जिस प्रकार परिभाषित किया है उसके अनुसार, यह सरकार का दायित्व है कि वह बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करे। ऐसा न कर पाने के लिये अभिभावकों को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर विधेयक में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक विद्यालय की एक विद्यालय प्रबंधन समिति अवश्य होगी, जिसके आधे से अधिक सदस्य विद्यालय के बच्चों के अभिभावक होंगे।

विधेयक का प्रारूप तैयार किए जाने के समय गुणवत्ता संबंधी प्रावधानों के बारे में काफी विचार-विमर्श हुआ। एक दृष्टिकोण था कि न्याय-योग्य (न्यायाधीन) कानून होने के कारण, इसमें गुणवत्ता संबंधी ऐसे पहलुओं को नहीं शामिल किया जाना चाहिए, जिनकी मात्रा निर्धारित न की जा सके, क्योंकि इससे न्यायालयों को इनके बारे में निर्णय करने में दिक्क़त होगी। दूसरा दृष्टिकोण था कि न्यायालय मानवाधिकारों, स्त्री-पुरुष अधिकारों, मूल्यों, नैतिकता और जटिल विषयों पर निर्णय देने का काम करते रहे हैं, इसलिये शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय करने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, विशेषकर तब जब पारित होने के बाद विधेयक में निर्धारित नियमों को समाहित किया जाएगा। और ऐसे नियम निश्चय ही बनाए जा सकते हैं। अत: संरचनात्मक गुणवत्ता और शिक्षकों की योग्यताओं संबंधी मानकों के अलावा विधेयक का एक खंड शिक्षा की सामग्री (कंटेंट) और प्रक्रिया के बारे में ही समर्पित है। इस खंड में, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिये पाठ्यक्रम के निर्धारण, बच्चों के अनुकूल भय मुक्त पठन-पाठन, बच्चों के सतत और व्यापक मूल्यांकन से वार्षिक परीक्षा के भय और मानसिक यंत्रणा का उन्मूलन, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान, शारीरिक दंड और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की समाप्ति, शिक्षकों के निजी ट्यूशन आदि जैसे अन्य अनेक विषयों पर व्यवस्था दी गई है।

शिक्षा एक बहुत ही विवादित क्षेत्र रहा है। यह स्पष्ट है कि कोई भी कानून समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट नहीं कर सकता। कुछ लोगों का विचार है कि सामान्य विद्यालय (कॉमन स्कूल) ही विधेयक का केंद्रीय विषय होना चाहिए, हालांकि कोठारी आयोग के प्रावधानों में निजी विद्यालयों को सामान्य विद्यालयों में शामिल नहीं किया गया है। कई अन्य लोगों का मानना है कि वाणिज्यिक (कमाई करने वाले) विद्यालयों के लिये कड़े नियम बनाए जाने चाहिए, जबकि एक अन्य वर्ग का विचार है कि निजी और वाणिज्यिक विद्यालयों को पूरी तरह से विधेयक के दायरे से बाहर रहना चाहिए। परंतु इस तरह के विवादित विषयों पर अंतिम निर्णय तो संसद ही ले सकती है। लेकिन इसके लिये पहले विधेयक को संसद में पेश करना होगा। आशा है कि यूपीए सरकार ऐसा अवश्य करेगी और संभवत: इसे पहले राज्यसभा में पेश करेगी ताकि सरकार का कार्यकाल विधेयक के पारित होने के पूर्व समाप्त हो जाने की स्थिति में यह कालातीत (लैप्स) न हो सके। विधेयक में एक यह प्रावधान जोड़कर कि वित्तीय पहलुओं पर बाद में विचार किया जाएगा, वित्त विधेयक होने के कारण उसे पहले लोकसभा में ही पेश करने की अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये ज़रूरी है कि चुनावों के बाद आने वाली नयी सरकार को नया प्रारूप तैयार करने की पूरी प्रक्रिया से पुन: न गुजरना पड़े।

यक्ष प्रश्न है कि उपयुक्त कानून को पारित करने में और देरी कर संसद कब तक 86वें संशोधन में प्रदत्त अधिकार से भारत के बच्चों को वंचित रखेगी? ❑

(लेखक शिक्षाविद हैं। वह सीएबीई और सीएवीई की अगस्त 2005 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फरवरी 2008 के विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले कार्यकारी समूह के भी सदस्य रह चुके हैं।

ई-मेल : vinodraina@gmail.com)

ध्येय IAS™

हमारा ध्येय आपकी क्षमता का विकास

DHYEYA The IAS™

.....Aim to Learn, Learn to Aim

AN ISO 9001:2000 COMPANY

सामान्य अध्ययन

मुख्य परीक्षा

दिल्ली केंद्र: 7 नवम्बर

समय : 5:30 P.M.

दर्शनशास्त्र

दीपक कुमार सिंह

मुख्य परीक्षा विशेष

दिल्ली केंद्र: 10 नवम्बर

समय : 10:00 A.M.

भूगोल

कुमार गौरव

दिल्ली केंद्र: 7 नवम्बर

समय : 2-6 P.M.

इतिहास

प्रकाश रंजन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

दिल्ली केंद्र: 10 नवम्बर

समय : 11:00 A.M.-2:00 P.M.

राजनीति विज्ञान

वी. के. त्रिपाठी व एम. कुमार

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

दिल्ली केंद्र: 10 नवम्बर

समय : 5:30 P.M.

पालि

for CIVIL SERVICES

(English & Hindi Medium)

मुख्य परीक्षा 09

दिल्ली केंद्र: 10 नवम्बर

समय : 7-9 A.M.

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.

DELHI : A-19, IIIrd Floor, Priyanka tower, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph. 27655121

ALLAHABAD : 573, Mumford Gunj, Near Nigam Chauraha, Allahabad, Ph. 0532-2642349, 09415217610

For enquiry, contact : Mr. PRASHANT (Course Director) 9899457549

दिल्ली एवं इलाहाबाद के अतिरिक्त हमारी और कोई शाखा नहीं है।

YH-11/08/22

केंद्रीय बजट में बच्चों के लिये प्रावधान

(2003-04 से 2007-08 तक)

	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2006–07	2007–08
बाल विकास स्कीम के तहत बजटीय प्रावधान (रुपये करोड़ में)	2166	2291.39	3947.91	4859.38	4864.55	5654.63
केंद्र सरकार के कुल व्यय का बाल विकास के लिये आनुपातिक आवंटन (प्रतिशत में)	0.46	0.45	0.78	0.86	0.84	0.88
बाल स्वास्थ्य स्कीम के तहत बजटीय प्रावधान (रुपये करोड़ में)	1266.96	1576.71	2806.72	3133.54	2649.33	3301.53
केंद्र सरकार के कुल व्यय का बाल स्वास्थ्य के लिये आनुपातिक व्यय (प्रतिशत में)	0.27	0.31	0.55	0.56	0.46	0.52
बाल शिक्षा स्कीम के तहत बजटीय प्रावधान (रुपये करोड़ में)	6878.46	8831.41	14294.1	19231.24	19236.26	23244.43
केंद्र सरकार के कुल व्यय का बाल शिक्षा के लिये आनुपातिक व्यय (प्रतिशत में)	1.45	1.75	2.81	3.41	3.31	2.63
बाल शिक्षा स्कीम के तहत बजटीय प्रावधान (रुपये करोड़ में)	113.61	152.87	173.04	192.81	183.53	340.1
केंद्र सरकार के कुल व्यय का बाल संरक्षण के लिये आनुपातिक व्यय (प्रतिशत में)	0.024	0.030	0.034	0.034	0.032	0.053
कुल बाल विशिष्ट आवंटन (रुपये करोड़ में)	10425.03	13092.38	21597.82	27416.97	26933.67	32540.7
केंद्र सरकार का कुल व्यय (प्रतिशत में)	474254	505791	508705	563991	581637	640521
केंद्रीय बजट में कुल व्यय के बाल विशिष्ट आवंटन का प्रतिशत	2.24	2.59	4.25	4.86	4.63	5.08

टिप्पणी:

1. ब.प्रा.: बजट प्राक्कलन सं.प्रा.: संशोधित प्राक्कलन।
2. केंद्र सरकार के बजट प्रलेखों के व्यय बजट खंड II में (अनुदान मांगों पर टिप्पणी) वास्तविक धनराशि नहीं दी होती है, अत: वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की अवधि के लिये हमने संशोधित बजट प्राक्कलन दर्शाया है।
3. वर्ष 2002–03से 2005–06 की अवधि के लिये कुल व्यय के आंकड़े संशोधित प्राक्कलन के अनुसार दर्शाए गए हैं। विश्लेषण की निरंतरता बनाए रखने हेतु ऐसा किया गया है।
4. वर्तमान विश्लेषण में प्रयुक्त वर्ष 2007–08 के केंद्रीय बजट के कुल व्यय के आंकड़ों में वर्ष 2007–08 में किए जाने वाले 40,000 करोड़ रुपये के गैरयोजनागत हस्तांतरण को शामिल नहीं किया गया है। यह हस्तांतरण भारतीय रिज़र्व बैंक के हिस्से के भारतीय स्टेट बैंक में हस्तांतरण से संबंधित है।

स्रोत : भारत सरकार के केंद्रीय बजट के विभिन्न वर्षों के व्यय बजट (खंड I & II) से संकलित।

एनएफएसएम – समृद्धि एवं खुशहाली अब किसानों के द्वार

चावल और दालों की भरपूर फसल के लिए जानकारी एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रसार

चावल

- आसानी से खरपतवार नियंत्रण और मल्चिंग के लिए कोनोवीडर का इस्तेमाल करें।
- फूल आने की अवस्था में नमी की कमी से बचने के लिए 2–3 से. मी. पानी खड़ा रहने दें।
- कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए निर्धारित कीट प्रबंधन अपनाएं।
- भरा हुआ पानी मिट्टी में अवशोषित हो जाने के 2 दिन बाद खेत की सिंचाई करें।

एन एफ एस एम की ओर से किसानों को सहायता :

- धान के गुणवत्तापूर्ण बीज 5 रुपये प्रति किलो तथा संकर धान के बीज 20 रुपये प्रति किलो की दर से या लागत का 50% जो भी कम हो।
- सूक्ष्मपोषक तत्व और चूना 500 रु. प्रति हेक्टेयर या लागत का 50% जो भी कम हो।
- कोनोवीडर की खरीद के लिए 3000 रु. प्रति किसान छूट या लागत का 50% जो भी कम हो।
- समेकित कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना 500 रु. प्रति हेक्टेयर या लागत का 50% जो भी कम हो।

दालें

- खरपतवार नियंत्रण के लिए नियमित अंतराल पर निराई–गुडाई करें।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों के पत्तों पर छिड़काव द्वारा जिंक और वोरोन की कमी का उपचार करें।
- बीज बोने के करीब 25 दिन बाद पहली सिंचाई करें।
- कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए निर्धारित कीट प्रबंधन अपनाएं।

एन एफ एस एम की ओर से किसानों को सहायता :

- दालों के गुणवत्तापूर्ण बीज 12 रुपये प्रति किलो की दर से या लागत का 50% जो भी कम हो।
- सूक्ष्मपोषक तत्वों के लिए 500 रु. प्रति हेक्टेयर और चूना/जिप्सम के लिए 750 रु. प्रति हेक्टेयर।
- स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर लागत का 50% तक या अधिकतम 7500 रु. प्रति किसान।
- समेकित कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु 750 रु. प्रति हेक्टेयर।

davp01101/13/0039/0809

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें– मिशन निदेशक, एनएफएसएम, कृषि भवन, नई दिल्ली

किसान कॉल सेंटर नं. 1551

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

किसान की उन्नति - देश की प्रगति

YH-11/08/11

प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन
समता के लिये अपरिहार्य

● ज्यां द्रेज़
रीतिका खेरा

पूरी दुनिया में भोजन कराने को स्नेहवश किए गए काम के रूप में देखा जाता है। खाना देना अथवा अपने खाने में से बांटकर दूसरे को खिलाने के काम को अति धार्मिक काम के बजाय मित्रता और स्नेह को बढ़ाने वाला माना जाता है। यह तथ्य फ़िल्म *अंग्रेजी बैबेट्स फीट्स* में अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया है। इस फ़िल्म में यह दिखाया गया है कि एक गांव के लोग, जो हर रविवार को गिरजा घर जाने के बजाय एक जंगल में आयोजित दावत में एक साथ खाने-पीने की वजह से आपस में दोस्त बन जाते हैं जबकि इससे पहले वे एक-दूसरे को घृणा की नज़र से देखते थे।

इस तरह प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने के पीछे एक यह तर्क़ भी काम कर रहा था कि इससे स्कूल का माहौल कम विद्वेषपूर्ण रहेगा। भारतीय बच्चों के लिये स्कूल का माहौल अक्सर दमघोंटू तथा ग़ैरदोस्ताना होता है। गाली-गलौज और मारपीट आम बात है और बच्चों को शिक्षकों की तरफ से शायद ही कभी शाबाशी अथवा प्रोत्साहन दिया जाता है। इस स्थिति में मध्याह्न भोजन बच्चों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मध्याह्न भोजन का औचित्य

वास्तव में मध्याह्न भोजन एक दूसरा उपयोगी मकसद भी पूरा कर सकता है। 'बच्चों के कल्याण' के तर्क़ के अलावा मध्याह्न भोजन का तीन महत्वपूर्ण संदर्भों में औचित्य है : शैक्षणिक प्रगति, बाल पोषण तथा सामाजिक समानता।

इन तीनों मकसदों में से हरेक के भिन्न पक्ष हैं, इनमें से कुछ दूसरों से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। इस पर विस्तार से प्रकाश डालने से पता चलता है कि शैक्षणिक प्रगति में मध्याह्न भोजन का बुनियादी योगदान यह है कि इससे स्कूलों में नामांकन की संख्या बढ़ती है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन के कारण छात्र-छात्राओं की दैनिक उपस्थिति बढ़ती है (न कि सिर्फ़ वार्षिक नामांकन)। स्कूली भोजन से शिक्षा ग्रहण करने के मामले में उपलब्धि भी बढ़ती है। अभी तक 'क्लासरूम हंगर' (भूखे पेट पढ़ाई) से बच्चे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे और इससे उनकी ज्ञान हासिल करने की क्षमता भी घटती थी। इस तरह सुव्यवस्थित स्कूली भोजन का नियमित पठन-पाठन की प्रक्रिया में योगदान के अलावा तात्विक शैक्षणिक मूल्य भी है। उदाहरण के लिये मध्याह्न भोजन का उपयोग बच्चों में विविध अच्छी आदतें डालने के एक सुअवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है (जैसे खाने से पहले और बाद में हाथ धोना) और स्वच्छ पानी, अच्छे स्वास्थ्य विज्ञान, संतुलित भोजन तथा संबंधित विषयों के महत्व के बारे में उनको शिक्षित करना।

इस तरह मध्याह्न भोजन की कई पौष्टिक परतें भी हैं जो भूखग्रस्त कक्षा से लेकर स्कूली बच्चों के स्वस्थ विकास तक व्यापक है। कई मायनों में मध्याह्न भोजन (कम से कम संभावना की दृष्टि से) पोषण वर्धन का एक समग्र सपना है। बच्चे हर दिन आते हैं और उन्हें जो कुछ दिया जाता है वही खाते हैं। इससे न सिर्फ़ उनकी कैलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, बल्कि उनमें पौष्टिक आयोडीन और लोहा जैसे पूरकों की मात्रा भी बढ़ती है, जिसकी खुराक़ की समय-समय पर उन्हें ज़रूरत पड़ती है। मध्याह्न भोजन पौष्टिक आहार कार्यक्रम लागू करने का बेहतर सुअवसर प्रदान करता है, जिसके लिये जन अभियान की ज़रूरत पड़ती है। इन कार्यक्रमों में कृमि रोग उन्मूलन भी शामिल है। अनुभव संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि जन सहयोग काफी प्रभावकारी साबित हुआ है। उदाहरण के लिये विटामिन ए एवं आयरन की खुराक़ के साथ कृमि उन्मूलन संबंधी जन अभियान से बच्चों में पौष्टिकता बढ़ती है। कम से कम हर साल औसतन 15 प्रतिशत बच्चों को इसका लाभ मिला है।

जहां तक सामाजिक समानता लाने में मध्याह्न भोजन के योगदान का प्रश्न है, उसके भी अनेक पहलू हैं। उदाहरण के लिये मध्याह्न भोजन जातिगत पूर्वाग्रह को भी कम करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि स्कूली बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं और एक ही तरह का भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन लिंग (स्त्री-पुरुष) समानता भी कायम करता है, क्योंकि स्कूलों में पुरुष-महिला अनुपात का अंतर घटता है और यह ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिये नगदी पर आधारित रोज़गार मुहैया कराता है। इससे महिलाओं को अपने घर पर दिन में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का बोझ भी कम हो जाता है। कुछ हद तक मध्याह्न भोजन वर्गीय असामनता भी घटाता है। वास्तव में, समकालीन

IAS PCS

JIGISHA
IAS ACADEMY

The will to win IAS Exam. जहाँ चाह ... वहाँ राह

लोक-प्रशासन
द्वारा जे.पी. सिंह

Giriwar Dayal Singh
Rank 51
Marks
390

सेवा में,
श्रीमान् जे०पी०सिंह सर, (निदेशक, जिगीषा आई० ए०एस० एकेडमी)
आदरणीय सर,
आपके मूल्यवत्तापूर्ण मार्गदर्शन से मैं लोक प्रशासन विषय में मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को समझने एवं उत्तर देने में सक्षम हुआ।
आप की मुख्य परीक्षा पर पकड़ अद्भुत है।
आप में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को अन्तःविषयी दृष्टिकोण अर्थात् एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़कर विश्लेषण करने एवं समझने की क्षमता अद्भुत है।
GIRIWAR DAYAL SINGH
IAS
(Rank-51)

Rashid Munir Khan
Rank 69
Marks
357

आदरणीय जे.पी. सिंह सर,
(अध्यक्ष: जिगीषा IAS एकेडमी दिल्ली)
आपके द्वारा लोक प्रशासन विषय को अत्यन्त ही कम समय में विश्लेषित करने की सफलता के साथ इस विषय में मेरी अच्छी समझ विकसित हुई है। इस में यह सुझाव साबित हुआ। मैं अपनी इस सफलता के पीछे इसे आपका सहयोग हूँ।
Rashid Khan
Rank 69

नोट : इनकी इस शानदार सफलता में लोकप्रशासन के अंकों ने ही निर्णायक योगदान दिया है।

प्रथम बैच :
कक्षा प्रारम्भ : 14 अक्टूबर, सायं 6 बजे
बैच अवधि : 14 अक्टूबर से 28 फरवरी, 09

द्वितीय बैच :
कक्षा प्रारम्भ : 18 नवम्बर, प्रातः 8.30 बजे
बैच अवधि : 18 नवम्बर से 30 मार्च, 09

सीमित सीटें, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकन

A-7 Basement, Jai Tower, Lane of Chawla Restaurant,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

09810569158, 09911668047

YH-11/08/5

भारत में सरकारी स्कूलों में नामांकन कराने वाले बच्चे सुविधाविहीन परिवारों के होते हैं। इस तरह मध्याह्न भोजन को समाज के ग़रीब वर्गों को आर्थिक समर्थन प्रदान करने के रूप में भी देखा जा सकता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्याह्न भोजन के माध्यम से स्कूलों को सुविधाविहीन बच्चों के बीच भागीदारी करने की सुविधा प्राप्त होती है। इससे भविष्य में वर्गीय विषमता घटेगी, क्योंकि शिक्षा का अभाव आर्थिक विपन्नता तथा सामाजिक अलगाव का एक बड़ा स्रोत होता है। संक्षेप में अपने निर्दोष स्वरूप के बावजूद मध्याह्न भोजन जाति, वर्ग और लिंग विषमता की वर्तमान स्थिति के लिये एक बड़ी चुनौती है।

ताज़ा साक्ष्य

पिछले कुछ वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन के संबंध में अध्ययनों की लहर-सी आ गई है। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित अनेक राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में इस बारे में अध्ययन किए गए। इन अध्ययनों से कई उपयोगी जानकारियां मिली हैं।

पहला

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अधिकतर प्राथमिक स्कूलों में लागू है। कुछ राज्यों ने 28 नवंबर, 2001 के सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले पर अमल करने में कई साल लगा दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें तीन महीने के भीतर सभी प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया था। परंतु, अंततः उन्हें सही रास्ते पर आना पड़ा और अब यह क़रीब-क़रीब व्यापक रूप ले चुका है। साथ ही क्षेत्रीय अध्ययनों से यही संकेत मिलता है कि मध्याह्न भोजन अधिकतर राज्यों में नियमित रूप से उपलब्ध हो रहा है।

दूसरा

मध्याह्न भोजन लोकप्रिय है। अभिभावक और शिक्षक दोनों चाहते हैं कि यह जारी रहे। फिर भी उच्च जाति के अभिभावकों एवं शिक्षक समुदाय के कुछ वर्गों में इसके विरोधियों की एक खास संख्या है जो अब लगातार घट रही है। उच्च जाति के अभिभावक अक्सर इस बात पर नाराज़ होते हैं कि उनके बच्चे दलित बच्चों के साथ बैठकर खाते हैं अथवा किसी दलित रसोइए द्वारा तैयार भोजन खाते हैं। (इसके आंकड़े राईट टू फूड कैंपेन वेबसाईट (www.righttofoodindia.org) पर उपलब्ध हैं। शिक्षक भी अक्सर यह शिकायत करते हैं कि मध्याह्न भोजन कक्षाओं की पढ़ाई में बाधक बन रहा है। (देखें सिंह (2004) और जालान एंड शाह (2005))। यदि इस स्कीम पर सही ढंग से अमल किया जाए तो यह शिकायत स्वतः दूर हो जाएगी। समय बीतने के साथ-साथ मध्याह्न भोजन सुगमतापूर्वक स्कूलों की रूटीन का हिस्सा बन जाएगा और उच्च जाति के अभिभावक खुद इस तथ्य को स्वीकार कर लेंगे कि 'समय बदल गया है'। कुछ राज्यों में इस स्कीम पर आधे-अधूरे अमल के कारण भी इसके विपक्षी लॉबी को बल मिला है और मध्याह्न भोजन के विरोध की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

तीसरा

बच्चे भी स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने से खुश रहते हैं। ऐसा इसलिये नहीं कि वे भूखे होते हैं और न इसलिये कि वह भोजन उनके घर पर मिलने वाले भोजन से बेहतर होता है बल्कि वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं। अनेक राज्यों ने मध्याह्न भोजन में

विविधता लाने तथा उसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है, इससे यह भोजन उनके बीच ज्यादा लोकप्रिय बनता जा रहा है। उदाहरण के लिये, दिल्ली में मध्याह्न भोजन के ताज़ा अध्ययन से पता चला है कि अनेक बच्चों को अपने प्लेट के एक-एक दाने को आनंद से खाते देखा गया। ऐसा बच्चा शायद ही देखने को मिला जिसने खाना न खाया हो और ऐसा एक भी स्कूल नहीं मिला जहां मध्याह्न भोजन की व्यवस्था न हो। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसी प्रकार के अध्ययन के लिये राम चंद्रन, जान ध्याला एंड सैहजी, 2003 देखें)।

चौथा

मध्याह्न भोजन स्कूलों में नियमित हाजिरी को बढ़ावा देने में भी काफी प्रभावकारी साबित हुआ है। मध्याह्न भोजन के ताज़ा अध्ययनों के अधिकतर आम निष्कर्ष यही हैं।

कई बार स्कूलों में हाजिरी पर इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से काफी ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में समाज प्रगति सहयोग के साथ तालमेल के बल पर कराए गए ताज़ा अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि तैयार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था लागू होने के बाद एक साल के भीतर कक्षा-1 के नामांकन में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (जैन एंड शाह, 2005)। इसी तरह झारखंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के स्कूलों में नाम लिखाने की संख्या में भारी उछाल आया है। यह तथ्य ग्राम स्वराज अभियान द्वारा तैयार ताज़ा रिपोर्ट में उजागर हुआ है। छोटे नमूने अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुति में पूर्वाग्रह के कारण यह खास आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, परंतु जिस तथ्य पर कोई शक नहीं किया जा सकता वह है मध्याह्न भोजन का स्कूलों में बच्चों की हाजिरी बढ़ाने में बड़ा मददगार साबित होना, खासकर लड़कियों एवं सुविधाविहीन परिवारों के बच्चों की हाजिरी में। इस मामले में शिक्षकों, अभिभावकों तथा दूसरे पर्यवेक्षकों से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

पांचवां

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जातिगत बेड़ियां टूटती हैं और स्कूली बच्चों में सामाजिक समानता की भावना बढ़ती है। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों के प्रारंभिक वर्षों को बच्चों के जीवन की यह महत्वपूर्ण अवधि होती है जब उनकी सामाजिक पहचान की अवधारणा विकसित होती है। उदाहरण के लिये इसी उम्र के आस-पास बच्चों में अपनी जाति तथा सामाजिक स्थिति के प्रति जागरुकता की भावना विकसित होती है। जाति और वर्ग की भावना से परे हटकर साथ-साथ बैठने और मिल-बांटकर खाने से इस नाजुक दौर में सामाजिक समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। उच्च जातीय अभिभावकों द्वारा इस व्यवस्था के विरोध से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इससे वर्तमान सामाजिक मानदंड को महत्वपूर्ण रूप से चुनौती मिलती है।

छठा

जब मध्याह्न भोजन खुद सामाजिक भेदभाव का कारण बनेगा तो मध्याह्न भोजन के समाजीकरण वाले मूल्य ही निरर्थक हो जाएंगे। महासमंद जिले (छत्तीसगढ़) के भोकलाडीह गांव में घटी ताज़ा वारदात से जो समस्या उभरी है उससे यही पता चलता है कि इसके उपयोग से किस तरह सामाजिक अलगाव की स्थिति को चुनौती दी जा सकती है। बोकलाडीह में कुछ दलित बच्चों ने यह शिकायत की थी कि उन्हें दूसरे बच्चों की तुलना में कम खाना दिया जाता है, उन्हें अलग बैठने के लिये कहा जाता है और उन्हें यह कहकर रसोई घर में घुसने नहीं दिया जाता कि वे 'चमार' हैं। जब एक स्थानीय शिक्षक ने उनका मामला उठाया तो उनका तबादला कर दिया गया (दलित स्टडी सर्किल, 2005)। इसका सबल पक्ष यह रहा कि इस वारदात का खूब प्रचार हुआ और स्कूलों में जातिगत भेदभाव की वारदात से सख्ती से निबटने की ज़रूरत के प्रति जन जागरुकता पैदा हुई।

सातवां

मध्याह्न भोजन के पौष्टिक अनुपूरण के एक साधन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण पक्ष भी सामने आए हैं। जहां मध्याह्न भोजन निश्चित रूप से बच्चों को भूखे पेट पढ़ाई की समस्या से मुक्ति दिलाता है वहीं वह उनकी पौष्टिकता की स्थिति में नियमित सुधार ला सकता है। घटिया स्तर का मध्याह्न भोजन (जैसे चावल और नमक) यदि बच्चों की भूख की शक्ति को मारे तथा घर पर ज्यादा पौष्टिक भोजन करने की उनकी खुराक घटाए तो यह गैर उत्पादक भी साबित हो सकता है। इस सिलसिले में यह गौर करना महत्वपूर्ण होगा कि फरजना आफरीदी (2005) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि मध्य प्रदेश में उन्नत मध्याह्न भोजन से सर्वेक्षण वाले इलाके में औसत प्राथमिक स्कूली बच्चों में दैनिक कैलोरी की मात्रा की कमी के स्तर में 35 प्रतिशत की गिरावट आ गई, उनमें दैनिक आयरन की कमी में 25 प्रतिशत की गिरावट आई तथा उनकी पूरी दैनिक प्रोटीन की कमी पूरी हो गई। अन्य अनेक राज्यों ने भी मध्याह्न भोजन में पौष्टिक तत्वों की वृद्धि करनी शुरू कर दी है (उदाहरण के तौर पर अंडे और फल की व्यवस्था से अथवा मध्याह्न भोजन में पौष्टिक तत्व (जैसे आयरन और विटामिन ए) मिलाकर देने से)। इनके अलावा मध्याह्न भोजन को बाल पौष्टिकता में वृद्धि करने का सुअवसर मानकर इसका पूरा उपयोग किया जा सकता है।

अंत में यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि मध्याह्न भोजन के सारे ताज़ा अध्ययनों से इस बात की ज़रूरत महसूस हुई है कि मध्याह्न भोजन स्कीम के गुणात्मक पक्षों में और सुधार किया जा सकता है। बहुत सारे स्कूलों में भोजन बनाने की जगह तथा पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अक्सर स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वास्थ्य के रक्षोपायों की अनदेखी की जाती है। साथ ही सामाजिक भेदभाव (खासकर दलित रसोइयों के ख़िलाफ़) आम बात है। यदि मध्याह्न भोजन की पूरी क्षमता का उपयोग करना है तो इन समस्याओं का दृढ़ता के साथ समाधान निकालना होगा।

मध्याह्न भोजन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसलों को बच्चों के भोजन प्राप्ति के अधिकार की सुरक्षा के रचनात्मक न्यायिक हस्तक्षेप के निर्देशात्मक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है तथापि अदालती फ़ैसला अस्थायी समाधान से ज्यादा महत्व का है। अंततः पौष्टिक मध्याह्न भोजन को स्वस्थ स्कूली वातावरण के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दिए जाने की ज़रूरत है। यह उसी तरह स्कूल का हिस्सा होगा जैसे ब्लैक बोर्ड या पाठ्य पुस्तकें हैं। यह मान्यता स्थायी कानूनी अधिकारिता के साथ-साथ राजनीतिक प्राथमिकताओं तथा वित्तीय आवंटनों में भी परिलक्षित होनी चाहिए। ❑

(लेखकद्वय जीबी पंत सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। लेख द्रेज़ एंड गोयल (2003), द्रेज़ (2006) तथा खेरा (2006) में उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है।

ई-मेल : jaandaraz@gmail.com)

लोक प्रशासन (हिन्दी माध्यम)
में सर्वोच्च स्थान के बाद
एक बार फिर सर्वोच्च अंक

गिरिवर दयाल सिंह
390
(183/207)

मुकेश बहादुर सिंह : 342 (157/185)
अजय हिलौरी : 338 (151/187)
बलराज मीणा : 333 (160/173)
अनुभव वर्मा : 330 (.../...)
राजीव रंजन : 326 (149/177)
वीरेन्द्र कुमार पटेल : 323 (131/192)
और भी ...

लोक प्रशासन
(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in scientific approach and hard work)

UGC-NET
QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
(HISTORY & PUB. ADMINISTRATION)

38 Rank
Shikha Rajput

51 Rank
Giriwar Dayal Singh

Virendra K. Patel
254 Rank

Ajay Hilori
391 Rank

Mukesh B. Singh
465 Rank

Shailendra S. Rathour
615 Rank

यू.पी.पी.सी.एस.-05 में अपार सफलता
छत्तीसगढ़ पी.एस.सी. में 15 वीं रैंक पर हमारे संस्थान के दृष्टिहीन छात्र आशीष सिंह ठाकुर

MPPSC-05 में Top-13 में 4

3 Rank
Aadesh Rai

6 Rank
Nimisha Jaiswal

N.A.
8 Rank
Rinkesh Kumar

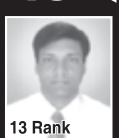
13 Rank
Akhilesh K. Jain

52 Rank
Sanmati Kumar

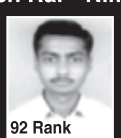
92 Rank
Shashi Kant

95 Rank
Deepali Jain

UPSC-06 में सर्वोच्च अंक - विकास कुमार-353 (184/169)

Abhishek Singh
Topper, UPSC-06

Lokesh Lilhare
Topper, UPSC-05

Vineet Jain
Topper, UPSC-05

A.P.S. Yadav
Topper, UPSC-04

Arvind Kumar
Topper, UPSC-03

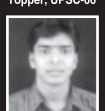
Tirthraj Agarwal
SDM, 9th Rank, CG.

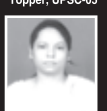
Shikha Rajput
31st Rank, CG.

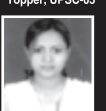
Ranu Sahu (Dy. SP)
60th Rank, CG.

Ram M. Sahu
39th Rank, MP

Prakash Chandra
SDM Uttaranchal-02

आप भी प्राप्त कर सकते हैं 400+ अंक, कैसे? Winning Strategy के साथ

New Batch (Delhi): 6th & 27th November
Admission Open from 1st Nov. '08

* *UPSC* के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी;

संस्थान के सफल विद्यार्थियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन!

JOIN FOUNDATION COURSE
-: SHORT TERM COURSE :-
WRITING SKILL, ESSAY & PERSONALITY DEVELOPMENT

New Batch (Allahabad): 2nd Week of Nov.
Admission Open from 1st Nov. '08

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः संशोधित; परिमार्जित एवं परिवर्धित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)
MAINS - 3000/-
MAINS + PRE. - 4000/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त
Send DD/MO in favour of 'Atul Lohiya'

लोक प्रशासन
Mains के साथ-साथ
Pre. के लिए भी बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'
शिक्षक; मार्गदर्शक और मित्र भी

"PRABHA"
AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Phone : 27653498, 27655134, 32544250. Cell.: 9810651005, 9313650694
Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

DOUBTLESS KNOWLEDGE, DESIRELESS SERVICE
प्रभा

YH-11/08/8

बाल अधिकार - सही परिप्रेक्ष्य

● के.के. वर्मा

बाल अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के समझौते में बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। बाल अधिकार 18 साल से नीचे के सभी मानव जाति के मौलिक अधिकार तथा उनमें निहित अधिकार हैं। भारत ने 11 सितंबर, 1992 को इस समझौते की पुष्टि कर दी थी। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस समझौते पर तालमेल बनाने तथा अमल की निगरानी करने के लिये केंद्रीय एजेंसी के रूप में जिम्मेवारी सौंपी गई है। हालांकि कई देशों ने बाल अधिकार कानून पास कर दिए हैं, संभार तंत्र तथा बुनियादी ढांचा, आपसी द्वंद्व एवं युद्ध सहित भू-राजनीतिक माहौल तथा नौकरशाही की अड़ंगेबाजी इस पर अमल में बाधक रही है जिससे दुनियाभर में बाल अधिकारों के उल्लंघन का शमन करने की व्यवस्था में सुधार करने की अभी काफी गुंजाइश बनी हुई है।

शैक्षणिक सुअवसर तथा नागरिक अधिकार संबंधी संवैधानिक गारंटी के बावजूद व्यापक स्तर पर लाखों बच्चे अपने इन अधिकारों से वंचित हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इसका अधिक हिस्सा वयस्कों के दृष्टिकोण से देखने के कारण पैदा होता है, जो उनके जीवन के सारे पक्षों के बारे में फ़ैसला करते हैं और वे उनके अधिकारों की अपेक्षा उनकी खैरियत का ज्यादा ख्याल रखते हैं। सरकार की सोच भी व्यापक तौर पर उनकी खैरियतमुखी ही होती है।

चूंकि दुनिया में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है, इसलिये हमें बाल अधिकारों पर उसकी निर्धारित परिधि से आगे जाकर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों के मानवीय अधिकारों के बारे में किसी भी समझ को बच्चों के विशेष समूह तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आमतौर पर इन बच्चों को 'ग़रीब बच्चे', 'कार्यकारी बच्चे', 'स्ट्रीट के बच्चे' तथा 'सीमांत बच्चे' की श्रेणी में बांटा जाता है। बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन ग़रीब, दलित तथा इन समूहों के बच्चों तक सीमित नहीं है। ऐसे उल्लंघन मध्यवर्गों तथा अभिजात वर्गों में भी होते हैं। इसलिये इन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने की ज़रूरत है।

बाल अधिकार संबंधी समझौते में कहा गया है कि हर बच्चे को जीने का अधिकार है और सरकार का यह दायित्व है कि वह बच्चों का जीना तथा उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करे।

संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में बाल जीवन की सुरक्षा के सहस्राब्दि विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की चाभी भारत और चीन के हाथ में है। दुनियाभर में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों का पचास प्रतिशत चीन, भारत एवं पाकिस्तान में होती हैं। इन देशों को सलाह दी जाती है कि वे जन स्वास्थ्य प्रणालियों तथा अल्प आयजनित वर्गीय विषमता खत्म करने के मदों पर ज्यादा ख़र्च करें ताकि बच्चों के जीने की दर बढ़ सके।

भारतीय बच्चों को कितना ख़राब भोजन मिलता है, यह उनके स्वास्थ्य एवं रहन-सहन, उच्च शिशु मृत्युदर तथा उनकी रुग्णता की ऊंची दर से पता चलता है। सद्य: जन्मना शिशुओं के लिये जीने की संभावना कितनी कम है इसका प्रमाण यह है कि प्रति 1,000 जीवित जन्मे बच्चों में से 63 शिशु एक साल से कम उम्र में ही मर जाते हैं। यह शिशु मृत्युदर प्रसूति की ऊंची मृत्युदर से जुड़ी हुई है। जो शिशु बच भी जाते हैं वे बाल रोग से पीड़ित रहते हैं। इससे उनकी वृद्धि एवं विकास के लिये भारी ख़तरा बना रहता है। हर साल बीस लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे संदूषण से मरते हैं जिनको फैलने से रोका जा सकता था। इनमें खसरा तथा टेटनस जैसी बीमारियां शामिल हैं। जागरुकता तथा स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी साधारण जानकारी के अभाव में डायरिया, निमोनिया, सांस की समस्या जैसी बीमारियां होती हैं। इससे यह समस्या और गंभीर हो जाती है। स्थानीय स्वास्थ्य की निगरानी करनेवालों द्वारा बच्चों का सही आकलन नहीं करने तथा उपचार उपलब्ध नहीं कराने तथा उनके अभिभावकों को पूरी जानकारी नहीं होने और उन्हें सही सलाह न मिलने से ये चुनौतियां गंभीर हो जाती हैं। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में रेडियोलॉजी तथा लेबोरेटरी सेवा जैसी नैदानिक सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है तथा दवा एवं उपकरण का भी अभाव होता है। प्रारंभिक चरणों में इन बीमारियों को काबू करने के लिये साधनों की सीमित पूर्ति एवं उपकरण और उचित रूप से योग्यता प्राप्त तथा साधन संपन्न पेशेवर लोगों का अभाव रहता है, इससे भी उपचार की प्रक्रिया पेचीदा हो जाती है। इसके अलावा उनके नियमित भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी की भी समस्या है, इससे ज्ञान अर्जन तथा उनकी वृद्धि की क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता

IAS PCS

CENTRE FOR AMBITION

मिशन हमारा—जुनून आपका

संस्था की विशेषताएँ

- आधुनिक तकनीक द्वारा शिक्षण कार्य
- सप्ताह के सातों दिन नियमित कक्षाएँ
- समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तैयारी
- हॉस्टल व मैस की सुविधा
- 24 घण्टे आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा
- लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों द्वारा समय समय पर विशेष मागदर्शन

उपलब्ध विषय

- इतिहास–द्वारा :– अवध प्रताप ओझा (दिल्ली)
- समाजशास्त्र द्वारा :– अजित सिंह (इला.)
- दर्शनशास्त्रा द्वारा :– धमेंद्र मिश्रा, (इला.)
- भूगोल–द्वारा :– डॉ. राघव दुबे (इला.)
- अर्थशास्त्र–द्वारा :– के. बशर (दिल्ली)
- लोकप्रशासन–द्वारा:– अजीत सिंह एवं अमित गुप्ता (इला.)

G.S - By Eminent Team

Fully Air Conditioned (A.C.) Class Room

IAS/PCS 2009-10 नया बैच प्रत्येक सोमवार से प्रारंभ

समाज शास्त्र
(Sociology)
by
अजीत सिंह एवं चेतना सिंह
(लेखक — उपकार प्रकाशन)

सम्पूर्ण भारत में पहली बार
—: फाउन्डेशन कोर्स :—
इण्टर पास विद्यार्थियों हेतु तीन वर्षीय विशेष कोर्स

संस्था के सभी विद्यार्थियों को दिल्ली व इलाहाबाद की प्रमुख संस्थाओं के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन ।

B.A./B.Sc./B.Com के साथ–साथ IAS/PCS की त्यारी का सुनहरा अवसर

OUR SELECTIONS

CENTRE FOR AMBITION

Head Office : 29, Kailash Vihar, Gailana Road, Agra
City Office : B-3, Akhilesh Tower, Hari Parwat, Agra
Ph.: 0562- 2602674, (M) 9411207960, 9219631474

YH-11/08/23

है। आकलन के अनुसार, दुनिया के कुपोषित तीन बच्चों में से एक भारत का है और भारत में बालपन में मरनेवालों में से क़रीब 50 प्रतिशत अपौष्टिकता के शिकार होते हैं।

चूंकि अपौष्टिकता को भुखमरी का कारण माना जाता है, यह ज़रूरी है कि संविधान प्रदत जीने के मौलिक अधिकार के अनुरूप पौष्टिकता प्राप्ति के अधिकार को पुनर्परिभाषित किया जाए। यहां यह उल्लेख करना उपयोगी होगा कि छह साल से कम उम्र की आबादी के 16 प्रतिशत के लिये सिर्फ़ समन्वित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) जैसी एक सरकारी स्कीम है। इस स्कीम पर अमल की जिम्मेवारी भी मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कर्मियों की है और इस मद पर उनके लिये सालाना ख़र्च की जाने वाली राशि का सिर्फ़ 0.88 प्रतिशत ख़र्च होता है। यह समस्या सरकार की ग़लत अवधारणा के कारण ज्यादा गंभीर बन जाती है। सरकार की यह ग़लत अवधारणा है कि प्रथम एवं द्वितीय स्तर की अपौष्टिकता कोई गंभीर समस्या नहीं है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य धीरे-धीरे ख़राब होता चला जाता है और वे तीसरे एवं चौथे स्तर की अपौष्टिकता की स्थिति में आ जाते हैं, जो काफी नाजुक स्तर होता है।

शिक्षा, देखभाल, अवकाश तथा मनोरंजन के बाल अधिकार सकल बाल विकास की दिशा में उठाए गए कदम हैं। उत्साहजनक आंकड़ों से पता चलता है कि पहली बार गैरसाक्षरों की संख्या में वृद्धि रुकी है और सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में नामांकन की संख्या 1950 के दशक के एक करोड़ नब्बे लाख से बढ़कर 2001 में 11 करोड़ 40 लाख हो गई है।

जिस देश में 17 अरब से ज्यादा आबादी 0-6 उम्र समूह के बच्चों की है और 20 प्रतिशत भारतीय युवा हैं, वहां प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने की दिशा में सरकार की पहल प्रशंसनीय है। पूरे देश के लिये राज्य सरकारों की साझेदारी से अमल में लाया जा रहा सर्व शिक्षा अभियान 11 लाख गांवों में 19 करोड़ 20 लाख (192 लाख) बच्चों की शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध हो रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों के बहुसंख्यक बच्चों को फायदा होगा, जो पहले न तो स्कूल जा रहे थे और न ही विभिन्न कारणों से बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में शामिल थे।

हालांकि प्राथमिक शिक्षा की सुगम सुलभता से स्कूलों में नामांकन की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो खुशी मनाने की बात है, लेकिन योग्य शिक्षकों के अभाव, बुनियादी सुविधा की कमी, बुनियादी शैक्षणिक उपकरणों/सुविधाओं का अभाव भारी चिंता के विषय हैं।

परिवार की कमजोर आर्थिक हालत, जो अभिभावकों को अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर से आगे शैक्षणिक सुविधा का लाभ उठाने की बजाय उनसे काम कराने तथा धन कमाने पर मजबूर करती है, ताकि परिवार की आमदनी बढ़ सके, देश में बाल श्रम की समस्या बढ़ाने का कारण है। इसके अलावा कम संख्या में उच्चतर शिक्षा केंद्रों की मौजूदगी, उच्च वित्तीय निवेश, सामाजिक अड़चनें - बाल विवाह, बालिका सुरक्षा आदि भी उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा में लिंग अनुपात में अंतर के स्पष्ट कारण हैं।

बाल सुरक्षा काफी पेचीदा विषय है और बच्चों को बाल श्रम अवैध व्यापार (ट्रैफिकिंग) तथा दूसरे सभी प्रकार के शोषणों तथा सामाजिक अपवर्जना से विशेष रक्षा की ज़रूरत है। अल्प संख्यक समूह, अनुसूचित

जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से ग़रीब वर्ग के रूप में उनकी सामाजिक अपवर्जना होती है। उपलब्ध सेवा तथा इससे संबंधित सूचना का अभाव, विविध संबंधित अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के साथ कानून पर अमल तथा पुनर्वास प्रक्रिया में अंतर चिंता का बड़ा कारण है।

संयुक्त राष्ट्र के समझौते में यह कहा गया है कि बच्चों को भी उनकी उम्र तथा परिपक्वता के अनुरूप फैसला लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार है, इसलिये उनके विचारों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

इसका यह मतलब हुआ कि बच्चों एवं युवकों को स्कूलों एवं वर्गों में, आस्था के मामले में अपनी पसंद के धर्म पर अमल में, उनकी सांस्कृतिक और खेलकूद संबंधी संगठनों में, स्थानीय तथा राष्ट्रीय सरकार में, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों में फैसला लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिलनी चाहिए।

हालांकि बच्चों को नीति निर्धारण एवं उनपर अमल के मामले में अपने विचार प्रकट करने, सूचित करने तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अपने अधिकार के उपयोग का अधिकार है, बुजुर्गों - उनके अपने परिवारों, स्कूलों एवं समुदायों द्वारा इस अधिकार से उन्हें वंचित रखा जाता है।

राष्ट्रीय परिदृश्य में, जहां 1.7 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और जहां 6 करोड़ छह साल से कम उम्र के बच्चे ग़रीबी रेखा से नीचे का जीवन बसर कर रहे हैं और जहां पांच साल से कम उम्र के बच्चे अपौष्टिकता के शिकार हैं, वहां बच्चों के मुद्दों, अधिकारों तथा राष्ट्रीय हितों पर जोर देने के साथ सामूहिक प्रयास करने की साफ़ ज़रूरत है।

हालांकि भारतीय कानून ने स्वास्थ्य के लिये हानिकर उद्योगों, होटलों, रेस्तराओं तथा घरेलू नौकर के रूप में बाल श्रमिक रखने पर पाबंदी लगा रखी है, लघु कुटीर उद्योगों, कार्यालयों तथा घरों में बाल श्रमिकों की भारी मांग जारी है ताकि वे शिशुओं/छोटे बच्चों की देखभाल, रसोईघरों में काम करने तथा घरों के दैनंदिन कामों में मदद कर सकें। यह मांग अर्थव्यवस्था में उछाल तथा बदलती पारिवारिक स्थिति के कारण बढ़ी है ताकि सस्ता बाल श्रम उपलब्ध हो सके। अति उच्च शिक्षित, उच्च पदस्थ हस्तियों द्वारा इन सुविधाविहीन बच्चों को काम पर लगाने तथा उनका शोषण करने के तथ्य को यूनिसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ चेतना कोहली ने पर्याप्त रूप से उजागर किया है। उन्होंने लिखा है कि इन बाल श्रमिकों को उच्चवर्गीय दावतों के दौरान छोटे बच्चों के साथ अकेले बैठा दिया जाता है और ऐसे मौकों पर इस तरह की बात आम है।

कार्यक्रम की योजना तथा प्रबंधन में मानवाधिकार पर आधारित सोच की ज़रूरत है ताकि बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र के समझौते में निर्धारित सिद्धांत पर अमल हो सके और उसकी व्यापकता, गैर-भेदभाव, बच्चों का सही हितसाधन, जीने और विकास करने का अधिकार, मानवाधिकारों की अविभाज्यता तथा परस्पर निर्भरता, जवाबदेही तथा बालहित का सम्मान करने की उसकी भावना का ख्याल रखा जा सके। ये तत्व ही बाल अधिकारों के घोषणापत्र के प्रभाव को सुनिश्चित करेंगे।

बाल अधिकार से संबंधित सरकारी नीतियों तथा उन पर अमल के तौर-तरीक़ों के प्रभाव का असर देखने के लिये उनका विवेचनात्मक विश्लेषण भी वांछनीय है ताकि बाल अधिकारों के सही परिप्रेक्ष्य का स्वाभाविक मूल्यांकन किया जा सके। एक ऐसे हिमायती नेटवर्क की उत्प्रेरक भूमिका की ज़रूरत समय का तक़ाज़ा है जो बाल अधिकारों के लिये संबंधित सरकारों अथवा नागरिक निकायों से बात कर सके, मांग कर सके, समझौता वार्ता कर सके। बाल अधिकारों के उल्लंघन के मुख्य कारणों के निवारण के लिये जनसंचार माध्यमों से सामुदायिक एकजुटता का प्रयास ज़रूरी है ताकि बाल अधिकारों के मुद्दे पर जागरुकता पैदा की जा सके और अधिक से अधिक परिणाम मिल सकें। परिणाममूलक योजना तथा प्रबंधन के लिये ज़रूरी है कि कार्यक्रम के संपादन का सतत अनुश्रवण (कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग) किया जाए और विर्निदिष्ट संकेतकों, संसाधनों के सही आवंटन और प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसमें समंजन किया जा सके। कसौटी पर खरे उतरे वर्तमान कार्यक्रमों/नीतियों की पहचान करना, उनका विश्लेषण करना और उनमें फेरबदल करना ज़रूरी होता है ताकि श्रेष्ठ परिणाम मिल सकें।

इस संदर्भ में स्माइल फाउंडेशन स्कूल का जागरुकता कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 21 राज्यों के क़रीब 1,000 स्कूलों से संपर्क कायम रखता है, जिससे 6 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा होता है और इस प्रक्रिया में वह उन्हें इस बात के लिये उत्प्रेरित करता है कि वे अपने अभिभावक को, पड़ोसियों और व्यापक स्तर पर समाज को इस बात के लिये प्रभावित करें। यह कार्यनीति सरल है। यह पुरानी कहावत - बच्चा ही मनुष्य का पिता है - के दर्शन का इस्तेमाल करें।

युवा भारत की दुर्दशा कम करने के लिये ऐसी अनेक पहलों की ज़रूरत है ताकि उनका दुख कम हो सके, वे खुश हो सकें और सही मायने में प्रोत्साहित हो सकें और समानता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित समाज का सपना साकार हो सके।

चुनौती गंभीर है और इसके लिये सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत है क्योंकि किसी एक संगठन के पास न तो इतना संसाधन और विशेषज्ञता हासिल है कि वह इस गंभीर समस्या का समाधान कर सके, चाहे वह सरकारी निकाय हो अथवा नागरिक संगठन।

फिर भी नागरिक समाज ऐसा हो जिसकी साख हो तथा जिसकी ऐसा करने की क्षमता हो और जो धन के लिये सरकार अथवा बाहरी दान पर निर्भर होने के बजाय ऐसी पहलों के लिये अपना संसाधन जुटा सके जो साधन ऐसे लक्ष्य को पूरा करने के लिये ज़रूरी हो। तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं से अधिक महत्व की इन योजनाओं के लिये सरकार अथवा कोई और पूरी तरह जवाबदेह नहीं हो सकता। इसके लिये सामाजिक उद्यम तथा सामाजिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। इसके लिये सभी क्षेत्रों से ऐसे व्यक्तियों की भागीदारी ज़रूरी है जो अपने संसाधन जुटा सकें, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका, जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व के साथ उपयोग में ला सकें।

बाल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित कर ऐसी पहलों को आगे बढ़ाने तथा आज़ादी की लड़ाई के समय के 'भारत छोड़ो' जैसे प्रभावकारी आंदोलन की ज़रूरत है। नये-नये कानून बनाने तथा आयोग पर आयोग गठित करने से स्थिति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हमारे पास शोभा के लिये अनेक संस्थाएं एवं निकाय पहले से ही मौजूद है। ❑

(लेखक बाल कल्याण की दिशा में कार्यरत संस्था *स्माइल फाउंडेशन* के कार्यक्रम निदेशक हैं।
ई-मेल : varma@smilefoundationindia.org)

ADMISSION NOTICE - IAS 2009-10

Experienced teachers and popular authors of *Tata McGraw-Hill* combine to offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

Geography/भूगोल

***Bhugol Bhusan* awardee Prof. Majid Husain & Dr. Ramesh Singh**

WORKSHOP

How to prepare?

तैयारी कैसे करें?

Eng. Medium: 24th Oct. (9 AM),

हिन्दी माध्यमः **25th Oct. (9 AM)**

REGULAR CLASSES: 3rd & 4th Nov. (9AM)

Pol.Science/राज.विज्ञान

Prof. N.D. Arora & a Prof. on IR

FREE ORIENTATION CLASSES

15th - 18th Oct. (4 PM)

Regular Classes: 4th Nov. (4 PM)

Pāli/पालि by Rituraj Singh

WORKSHOP: ''पालि एक बेहतर विकल्प''

11th Oct. & 25th Oct. (4.30 PM)

Essay/निबंध

Dr. Ramesh Singh & Samiratmaj Mishra

How? What? How much?... to write?

कैसे लिखें? क्या लिखें? कितना लिखें?....

Join Free: Nov. 26th-29th

G.S./सामान्य अध्ययन

Free Orientation Classes:

'' तैयारी कैसे करें? ''

13th – 18th Oct. (9 AM - 12 Noon)

3 - days session of PT Test, Mains Test & Discussions after each Module

- Geography – Prof. Majid Husain & Dr. Ramesh Singh
- Polity – Prof. N.D. Arora & Dr. Ramesh Singh
- Economy - Dr. Ramesh Singh
- History, Stats., G. Mental Ability – Rituraj Singh
- Science, Sc. & Tech, Currents – Ashish K. Vashist

G.S. Current Special (PT)

Ashish K. Vashist, Editor, NEWS REWIND

EXHAUSTIVE CLASSES WITH 100% NOTES

Classes: 19 - 30 March

G.S. Refresher Course

15 - days programme (Apr. 2-15)

कक्षाएंः प्रतिदिन 6 घंटे

Test Series

GS, Geog., Pol.Sc.

A Package of 10 Simulated Tests with the Best expertise ever seen, including explanatory discussions.

Commencing Jan. 3, 2009

joins us and feel the diference!

CIVILS INDIA

IAS STUDY CENTRE

Prepare IAS online, visit:

www.civilsindia.co.in

202A/12-13, ANSAL BUILDING, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9,
PH.: 27652921,20297421, 9818244224, 9810553368.

YH-11/08/28

क्या हैं बच्चों से जुड़ी संवैधानिक प्रतिबद्धताएं?

अनुच्छेद 14- राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विधि के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15- राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा इस अनुच्छेद में उल्लिखित कुछ राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिये कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद 21- किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय तब जब विधि द्वारा संस्थापित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित हो।

अनुच्छेद 14 क - राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिसे राज्य विधि द्वारा निर्धारित करें।

अनुच्छेद 23- मानव का अनैतिक व्यापार, बेगार तथा अन्य प्रकार के बलात श्रम निषिद्ध हैं और इस उपबंध का उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

अनुच्छेद 24- 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी ज़ोखिमपूर्ण व्यावसाय में काम पर नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 45- राज्य सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 243 छ तथा अनुसूची 11- शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई तथा बाल कल्याण को प्रभावित करने वाली अन्य मदों के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को पंचायतों को सौंप कर (अनुसूची 11 की मद 25) बाल देखरेख को संस्थागत बनाने का प्रावधान किया गया है। ❑

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बच्चों को प्राथमिकता

समेकित बाल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को जीवन की अच्छी शुरुआत कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, बच्चों के वजन और उनकी लंबाई का मानीटरन तथा कुछ मामलों में सीमित अवधि के लिये शिशुगृह सुविधाएं शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम का अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलता है। किंतु जहां यह कार्यक्रम भलीभांति चलाया जा रहा है, वहां विशेषकर कमज़ोर वर्गों को यह अत्यावश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। तथापि, इस कार्यक्रम का प्रसार सीमित है और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे इसके कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं। ग्यारहवीं योजना में आईसीडीएस को सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक सेवाएं पहुंचाने के व्यावहारिक तरीक़े खोजे जाने चाहिए। इस कार्यक्रम में पंयायती राज संस्थाओं की पहले से अधिक भागीदारी के माध्यम से जवाबदेही की स्थिति में सुधार के प्रयास भी किए जाने चाहिए।

किंतु बच्चों की मात्र पोषाहारीय आवश्यकता पूरी करना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे देश में बाल मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत उपेक्षित है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार प्राय: 7-15 प्रतिशत भारतीय बच्चे मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अत: यह आवश्यक है कि निजी अथवा सार्वजनिक, सभी प्रकार के स्कूलों में बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये उन्हें परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएं। ग्यारहवीं योजना में मानसिक स्वास्थ्य को स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंतरंग भाग बनाया जाना चाहिए।

बच्चे के विकास में स्कूल की विशेष भूमिका होती है। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के परिवारों के बच्चों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का अनुभव होता है, क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ पाठशाला में प्रवेश के समय उनका शब्द ज्ञान बहुत सीमित होता है। शाला पूर्व विद्यालयों में ऐसे बच्चों को विशेष सहायता देकर उनकी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सामान्य क्षमताओं से भिन्न विशेष प्रकार की क्षमताओं से संपन्न बच्चों तथा अन्य कमज़ोर बच्चों को भी मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा उन्हें उनकी आयु के अन्य बच्चों की भांति शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

निराश्रित बच्चों, अवैध व्यापार पीड़ित बच्चों, संघर्ष अथवा आपदा प्रभावित बच्चों, यौनकर्मियों के बच्चों, बाल श्रमिकों, एचआईवी/एड्स ग्रस्त बच्चों, यौन दुराचार से पीड़ित बच्चों, सामान्य क्षमताओं से भिन्न विशेष प्रकार की क्षमताओं से संपन्न बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों जैसे सर्वाधिक कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। दत्तक-ग्रहण, बचाव एवं पुनर्वास, किशोर पुलिस एककों, आश्रय गृहों, परामर्श एवं चिकित्सा सहायता इत्यादि पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के बचपन के संरक्षण में इन सभी का योगदान रहता है। ❑

दृष्टि The Vision

I.A.S. / P.C.S.

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित हिन्दी माध्यम का प्रतिबद्ध संस्थान

हिन्दी साहित्य

द्वारा–डॉ. विकास

ब्रजेश संत (397 अंक) | आनंद सोमानी (379 अंक) | नीतू कु. प्रसाद (364 अंक) | मुकेश कुमार (363 अंक) | पुष्पेन्द्र कुमार (361 अंक) | ललित शाक्यवार (357 अंक) | धनंजय सिंह भदौरिया (356 अंक) | राकेश स्वर्णकार (356 अंक) | अभिषेक श्रीवास्तव (351 अंक)

- ✦ हिन्दी माध्यम का अकेला विषय जिसमें अंग्रेज़ी माध्यम से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। अतः माध्यम का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं।
- ✦ वह विषय जिसमें 350+ अंक लाना एकदम कठिन नहीं, जैसे– मंजु राजपाल (400 अंक), ब्रजेश संत (397 अंक)।
- ✦ एक भी पुस्तक पढ़ने की अनिवार्यता नहीं। व्याख्या खंड के लिए भी अत्यधिक चयनित तैयारी की संभावना।
- ✦ समझने के लिए कोई जटिल, गूढ़ या अमूर्त अवधारणाएँ नहीं। अतः समझने के लिए एक सरल विषय।
- ✦ एक बार मूल धारणाएँ स्पष्ट होने पर कठिनतम प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं लिखने की स्थिति।
- ✦ सिर्फ 3 महीनों में पूरा होने वाला अत्यंत संक्षिप्त पाठ्यक्रम।
- ✦ साहित्यिक पृष्ठभूमि आवश्यक नहीं। विज्ञान सहित हर पृष्ठभूमि के लिए आदर्श विषय।

निःशुल्क कार्यशाला के साथ सत्र आरंभ :
10 नवंबर, प्रातः 9:00 बजे

दर्शनशास्त्र

द्वारा–डॉ. विकास

दृष्टि वह संस्था है जिसने 7 वर्ष पूर्व दिल्ली केंद्र में पहली बार दर्शनशास्त्र के अध्यापन की नींव रखी। श्रेष्ठ गुणवत्ता तथा कठोर परिश्रम का ही परिणाम है कि दर्शनशास्त्र के साथ सफल अधिकांश टॉपर्स तो यहाँ से सम्बद्ध रहे ही हैं, अंकों का सर्वोच्च स्तर भी यहीं के अभ्यर्थियों ने प्राप्त किया है।

दयानिधान पांडेय (396 अंक) | राजेश प्रधान (382 अंक) | मुक्तानंद अग्रवाल (380 अंक) | बलदेव पुरुषार्थ (379 अंक) | वंदना प्रेयशी (365 अंक) | मनु चौरसिया (364 अंक) | राजीव कुमार (361 अंक) | प्रमोद कु. दुबे (360 अंक) | राम प्रकाश मौर्य (358 अंक)

- ✦ पाठ्यक्रम के सभी खंडों के अध्यापन में श्रेष्ठता का दावा; सिर्फ 1 या 2 सरल खंडों (भारतीय दर्शन व धर्म दर्शन) पर ही टिके रहने का प्रयास नहीं।
- ✦ पाश्चात्य दर्शन व सामाजिक–राजनीतिक दर्शन की जटिलताओं से पलायन नहीं, बल्कि इन खंडों को आसान तथा बोधगम्य बनाने की शैली।

निःशुल्क कार्यशाला के साथ सत्र आरंभ :
09 नवंबर, दोपहर 12:00 बजे

दर्शनशास्त्र व हिन्दी साहित्य के लिए नए पाठ्यक्रम तथा राजस्तरीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप विशेषीकृत पत्राचार सामग्री उपलब्ध है। किसी भी विषय के लिए सामग्री कार्यालय में आकर या डाक द्वारा मंगवा सकते हैं।

अन्य उपलब्ध विषयः सामान्य अध्ययन (प्रा.,मु.), राजनीति विज्ञान (प्रा.,मु.), समाजशास्त्र (प्रा.), दर्शनशास्त्र (मु.), हिन्दी साहित्य (मु.) तथा Philosophy (Engl. Med.)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–9. फोनः 011–27604128, 27601583, 0–9313988616, 0–9810316396

YH-11/08/19

बाल विकास एवं पोषण

● कुमारी रूपम

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 35 प्रतिशत हिस्सा बच्चों का है जिसमें 0-14 वर्ष के बालक-बालिका शामिल हैं। विश्व के 60 लाख से अधिक 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण की वजह से हर वर्ष हो रही है जिसे रोका जा सकता है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी अधिकतर मौतें बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं भारत में होती हैं। भारत में अल्पपोषित बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। यह जनजातीय हिस्सों में अधिक है। भारत में तीन वर्ष से कम उम्र के 44 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, जो सब-सहारा क्षेत्र के 25 प्रतिशत औसत से अधिक हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6 माह से 35 माह के 75 प्रतिशत बच्चे रक्तहीनता के शिकार हैं। 45.8 प्रतिशत शिशुओं (0 से 6 माह) को मां का दूध मिल पाता है। 34.9 प्रतिशत माता प्रसव के 1 घंटे के भीतर नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं। जो न्यूनतम आदर्श स्थिति से भी नीचे है। 3 वर्ष की उम्र के प्रत्येक 3 बच्चों में एक क्लीनिकल रूप से कम वज़न वाले हैं। कम वजन वाले बच्चे मध्य प्रदेश में 60.3 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 52.1 प्रतिशत, गुजरात में 47.4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 47.3 प्रतिशत एवं हरियाणा में 41.9 प्रतिशत हैं। आंध्रप्रदेश में 3 वर्ष तक के 79 प्रतिशत बच्चे रक्तहीनता के शिकार हैं। पंजाब में 80 प्रतिशत बच्चे रक्तहीनता के शिकार हैं। 33 प्रतिशत बच्चे दिल्ली में कम वजन के हैं। प्रथम 6 माह के 12 प्रतिशत, 12 माह तक में 37 प्रतिशत एवं 18 माह तक में 50 प्रतिशत शिशु अल्पपोषित हैं। बिहार में हर रोज़ 400 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। स्तनपान कराकर इनमें से 80 की जानें बचाई जा सकती हैं। बिहार में मात्र 4 प्रतिशत मातायें ही 1 घंटे के अंदर नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं। इस राज्य में बच्चों में कुपोषण का दर 80 प्रतिशत है। (यूनिसेफ, बिहार इकाई)

लौह तत्व की कमी से एशिया एवं अफ्रीका के 20 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाती है। गर्भवती महिलाओं के भोजन में आयोडीन की कमी होने से गर्भस्थ शिशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जन्म के बाद ऐसे बच्चों की बुद्धिमता कम होती है। भारत में क़रीब 10 करोड़ बच्चे कुपोषण के कारण प्रतिरोधक क्षमता की कमी से उत्पन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

बच्चों का लालन-पालन और संतुलित पोषण आज की आवश्यकता है एवं यह बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रसव उपरांत प्रत्येक मां को तत्काल अपना दूध नवजात शिशु को पिलाना शुरू कर देना चाहिए।

तालिका-1

मां के प्रथम दूध कोलोस्ट्रम में पाए जाने वाले पोषक तत्व

पोषक तत्व	मात्रा प्रति 100 मिली.
ऊर्जा (कि.कैलोरी)	58
वसा (ग्रा.)	2.9
कैल्शियम (मिग्रा.)	31
फास्फोरस (मिग्रा.)	14
लौह तत्व (मिग्रा.)	0.09
प्रोटीन (ग्रा.)	2.7
लैक्टोस (ग्रा.)	5.3
कैरोटीन (आईयू)	186
विटामिन-ए (आईयू)	296

प्रत्येक धात्री मां यदि नवजात शिशु को अपना प्रथम दूध (कोलोस्ट्रम) पिलाती है तो भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख 50 हजार शिशुओं की जान बचाई जा सकती है। कोलोस्ट्रम से बच्चों में पोषक तत्व के साथ ही प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों के पोषण में मां का दूध एवं पूरक पोषाहार स्वास्थ्य की धुरी है। इससे बच्चों में समग्र शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है।

कोलोस्ट्रम में विटामिन-ए सबसे ज्यादा होता है। यह रक्तस्राव से होने वाली बीमारी से बचाव करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंत को परिपक्व एवं मज़बूत करता है साथ ही पीलिया रोग से बचाव करता है। यह जन्म से लेकर 1 वर्ष की उम्र की अवस्था के शिशु के सर्वांगीण विकास का आधार है। इस अवस्था में यदि शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसका प्रभाव शिशु के पूरे जीवन पर पड़ता है। मां के दूध के स्राव की मात्रा माता के खान-पान, व्यायाम, आराम तथा मानसिक तनाव से मुक्ति पर निर्भर करती है। जो माता शिशु को स्तनपान कराती है उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 'प्रथम माह में एक धात्री माता जिसे पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्राप्त होता है, उनके स्तनों में प्रतिदिन 850 मिली तक दूध का निर्माण होता है।'

बच्चों का स्वास्थ्य मां के स्वास्थ्य व उनके खान-पान से जुड़ा होता है। 1-5 वर्ष की अवस्था में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास काफी तीव्र गति से होता है। इस उम्र में यदि पूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो बच्चों में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता का भी अभाव होने

लगता है। मस्तिष्क तथा नाड़ी तंतुओं का निर्माण समुचित प्रकार से नहीं हो पाता है। इससे विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसका प्रभाव बालक के बौद्धिक विकास पर पड़ता है। बच्चों के समग्र विकास के लिये पौष्टिक एवं उच्च प्रोटीन युक्त आहार खिलाना आवश्यक है। मस्तिष्क के विकास के लिये प्रोटीन व विटामिन आवश्यक है। खनिज लवण के अभाव से मस्तिष्क के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे बालक मंद बुद्धि का हो जाता है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय बच्चों में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता निम्नानुसार प्रस्तावित की गई है:

तालिका-2

1-6 वर्ष के बच्चों के लिये पोषक तत्व	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1993 के अनुसार मात्रा
कैलोरी	1240-1690कि.कैलोरी
प्रोटीन	22-30 ग्रा.
वसा	25 ग्रा.
कैल्शियम	0.4 ग्रा.
लौह तत्व	12-18 मिलीग्राम
विटामिन-ए	
रेटीनॉल	400 यूजी
कैरोटीन	1600 आईयू
विटामिन-डी	200 आई यू
थायमिन	0.6-0.9 मिग्रा.
राइबोफ्लेविन	0.7-1.0 मिग्रा.
निकोटिनिक एसिड	8-11 मिग्रा.
पायरीडॉक्सीन	0.9 मिग्रा.
फोलिक अम्ल	30-40 यूजी
विटामिन-बी12	0.2-1.0 यूजी
विटामिन-सी	40 मिग्रा.

विटामिन इंजाइम की तरह कार्य करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में सहायता करते हैं। यह हड्डियों के निर्माण तथा त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। दांतों तथा मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। एंटीबॉडीज आंखों को तथा नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखता है। रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करता है। खनिज तत्वों के द्वारा बच्चों में अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका तंतुओं का निर्माण एवं अमाशयिक रस का निर्माण होता है। शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण खनिज लवणों के द्वारा होता है। हृदय की धड़कन, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य खनिज लवण के द्वारा संपन्न होते हैं।

अविकसित एवं विकासशील देश के स्कूल पूर्व बच्चों में कुपोषण बहुत अधिक व्याप्त है। इसका मुख्य कारण पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार की कमी है। उपलब्ध आहार गुणवत्ता तथा गुणात्मकता दोनों ही दृष्टि से कम होते हैं। बच्चों में कुपोषण की स्थिति जानने के लिये हम उसकी उम्र, लंबाई और वज़न के आधार पर इसकी जानकारी ले सकते हैं।

भारत में विद्यालय पूर्व बालकों की औसत लंबाई एवं वजन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली (1971) के अनुसार निम्न है:

तालिका 3

उम्र (वर्ष)	लंबाई से.मी.		वजन कि.ग्राम	
	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1 वर्ष	73.9	72.5	8.4	7.8
2 वर्ष	81.6	80.1	10.1	9.6
3 वर्ष	88.8	87.2	11.8	11.2
4 वर्ष	96.0	94.5	13.5	12.9
5 वर्ष	102.1	104.4	14.9	14.5

विकासशील देशों के बालकों की औसत लंबाई एवं वजन विकसित देशों के बालकों की अपेक्षा कम होती है। जन्म से लेकर 6 माह की उम्र तक उसका वृद्धि एवं विकार सामान्य रहता है। परंतु 6 माह के बाद जब उसे ऊपरी आहार दिया जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है और जिस गति से वृद्धि होनी चाहिए वह कम हो जाती है। इसका कारण स्पष्ट है। विकासशील देश के बालकों के आहार में गुणवत्ता एवं गुणात्मकता दोनों की कमी रहती है। इसके विपरीत विकसित देशों के बालकों में पोषण व्याप्त है।

सुझाव

बच्चों के पोषण में सुधार के लिये आम व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। विशेषकर महिलाओं में जागरुकता बढ़ाने के लिये अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी केंद्र जो निष्क्रिय-सा है उसे अत्यधिक सक्रिय करना होगा। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के परिवारों के बीच पोषण से लाभ की जानकारी विभिन्न माध्यमों से दी जानी चाहिए। शिशुओं/बच्चों के लिये पोषाहार को बढ़ावा देने के लिये 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर शिशु और बच्चों के भोजन पर दिशानिर्देश तय किए गए और उनका प्रचार भी किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये सचिवों की समिति ने कुपोषण और अल्पपोषण की समस्या से निपटने, खुराक में विविधता, पूरक पौष्टिक आहार, खाद्य एवं स्वास्थ्य उपायों के लिये व्यापक दृष्टि अपनाने का सुझाव दिया है। समुचित पोषित बच्चे ही सबल एवं उन्नत भारत की तस्वीर हैं। स्वस्थ बच्चों के बिना विकसित भारत की परिकल्पना बेमानी होगी।

मां का दूध अमृत समान है। माताओं को इसके गुणों से अवगत कराने की आवश्यकता है। शिक्षित महिलाएं भी भ्रांतियों की शिकार हैं। उन्हें भी इसके गुणों, एवं उसमें पाए जानेवाले पोषक तत्वों की जानकारी नहीं है। शोध से पता चला है कि शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं का गर्भाशय के कैंसर से बचाव, रक्तस्राव में कमी, बच्चों के जन्म अंतराल में वृद्धि आदि लाभ होते हैं तथा उनका वजन भी नियंत्रित रहता है। वृहद कार्यक्रम के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक गतिविधियों में संलग्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाकर माताओं, बहनों एवं आमजन को पोषण के महत्व से अवगत कराने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को ज़मीनी स्तर पर यथार्थ रूप में उतारने के लिये ऐसे सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता है जिसमें नियमित मॉनिटरिंग शामिल हो। ❑

(लेखिका पटना वीमेंस कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में व्याख्याता हैं)

हिंसक होता बचपन

● सोना दीक्षित
अरुण कुमार दीक्षित

किशोर अपराध अन्य अपराधों की भांति किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं होते और न ही इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। आसानी से धन प्राप्त करने और उनकी स्वयं की अपेक्षा, घर की भावनात्मक समस्या, माता-पिता का बच्चों को अनुशासित रखने या उनके सहानुभूति के अभाव के फलस्वरूप बरती गई उपेक्षा और विशेष रूप से कुसंगत के कारण होता है

देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भविष्य में उन्हीं के कंधों पर देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। बच्चों के उचित सामाजिक विकास पर बल देना प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं, जिनका बच्चों के समाजीकरण पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है।

घर तथा आसपास के माहौल का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाते हैं। पर हम अक्सर उस परिवर्तन को तब महसूस करते हैं, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तनिक सरोकार और थोड़ा-सा वक़्त हमारे बच्चों को उनका बचपन दे सकता है।

इन दिनों हर कोई चिंतित है। टीवी से लेकर अखबार और नेट तक। बच्चे बेकाबू हुए जा रहे हैं। किसी की सुनते नहीं। कब क्या कर बैठें कोई भरोसा नहीं।

मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चे अपने परिवेश से कल्पनाएं लेकर फैंटेसी बुनते हैं। ये फैंटेसी कभी शक्तिमान बनाती है, तो कभी शूटर। गुस्सा करना और हिंसक होकर बदला लेना इन्हें हीरो का काम लगता है। सेक्स के बारे में न जानते हुए भी फिल्मों और टेलीविजन पर देखे जाने वाले दृश्य इन्हें यौन विकृति का शिकार बनाते हैं। ये बेसिर-पैर की हरकतें करते हैं। नेट का संसार अनजाने ही इन्हें बहुत-सी ऐसी जानकारियां दे देता है जो मन को गुदगुदाती है, कौतुक जगाती है और अनजानी दुनिया में पहुंचाकर उनके नैतिक मूल्यों का ह्रास करती हैं। बच्चों के मन में कौतुक पहले भी होता था। तब भी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता था, तब उन्हें अकेला नहीं रहने दिया जाता था। तरह-तरह के खेल-तमाशों और किस्से-कहानियों में इतना व्यस्त रखा जाता था कि खाली होते ही नींद उन पर झपट्टा मार लेती थी। मां-बाप के झगड़ों से घर के बच्चों को कोई सरोकार नहीं होता था। आज तो मां-बाप के झगड़ते ही बच्चा समझ लेता है कि आज खाने की छुट्टी और मार का अंदेशा। पति-पत्नी के झगड़ों की परिणति जब बच्चों पर हिंसा के रूप में होती है तो हश्र भयावह होता है।

तालिका-1

गुनाह के दलदल में फंसे बच्चे

वर्ष	अपराधों की संख्या
1995	9,766
1996	10,024
1997	7,909
1998	9,352
1999	8,888
2000	9,267
2001	16,509
2004	19,229
2005	18,939

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास और देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिये सदैव से ही प्रयास किए जाते रहे

IAS/PCS/NET/JRF
निष्कर्ष Education System NES
राजनीति विज्ञान
द्वारा नवाब सिंह सोमवंशी
कार्यशाला
(विषय की संक्षिप्तता व्यापकता, एंव महत्ता पर चर्चा)
10 Nov. 10AM
सामान्य अध्ययन
अर्थशास्त्र
द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम
डॉ0 मनोज सिंह
कार्यशाला
10 Nov. 2PM
विशेष टीम द्वारा
Study Programme
Study Materiel Distribution
Lecture & topic formating
Q . formating
Revision
Test
IAS
PCS
पत्राचार सामग्री उपलब्ध
मुख्य परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा
Weekend Classes
Sat. & Sunday
10AM to 2.30 PM
Started at 15 Nov. 08
NES Where Success is always yes
B-15, Top Floor, Above SBI ATM
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
9868333384, 9711366645
YH-11/08/20

हैं। इस संबंध में हमारे देश में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से विशेष प्रयास प्रारंभ किए गए। आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में सुधार विद्यालय अधिनियम, 1876 इस दिशा में पहला ठोस प्रयास था। इसे बाद में सन् 1997 में संशोधित किया गया था। बाद में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा-562 में विशेष रूप से बच्चों एवं युवा अपराधियों को सद्व्यवहार बनाए रखने के लिये परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रावधान किया गया था। इस संबंध में भारतीय जेल कमेटी 1919-20 की रिपोर्ट के अनुसार, युवा अपराधियों के लिये अलग से उपचार की आवश्यकता पर बल दिया गया था और तदनुसार 1920, 1922 एवं 1924 के वर्ष में क्रमशः मद्रास, बंगाल और बंबई की सरकारों द्वारा बाल अधिनियम बनाए गए थे जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों की रक्षा, संरक्षण एवं युवा अपराधियों को उचित उपचार प्रदान करना था। स्वतंत्रता के उपरांत इस क्षेत्र में और भी अनेक प्रयास किए गए।

बच्चों के संबंध में देश में लागू विभिन्न व्यवस्थाओं एवं अधिनियमों में एकरूपता और बाल कल्याण एवं विकास हेतु प्रभावकारी ढंग से कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1986 में दिया गया एक अहम निर्णय भी विशेष स्थान रखता है। इस निर्णय में न्यायालय द्वारा भारत सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे जिनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा संपूर्ण देश के बच्चों के हित के लिये, उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों की देखभाल, विकास तथा पुनर्वास के साथ-साथ बच्चों के लिये न्याय व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 1986 संसद द्वारा पारित कराया गया। इस अधिनियम में उपेक्षित और अपचारी बच्चों के लिये किए गए विविध प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित रूप प्रदान करने तथा उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों में स्पष्ट रूप से फ़र्क करके उनकी ज़रूरतों के मुताबिक सुरक्षात्मक तथा पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में संशोधन भी किया गया है। संशोधित अधिनियम को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 कहा गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपेक्षित और अपचारी बच्चों के लिये किशोर गृहों, विशेष गृहों, प्रेक्षण गृहों तथा अनुरक्षण संस्थानों के निर्माण और रखरखाव के लिये सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

किशोर न्यायालयों की व्यवस्था

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के लिये एक या एक से अधिक न्यायालयों के गठन की व्यवस्था रखी गई है और इस हेतु प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे और जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार, महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इसकी सहायता हेतु दो अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें कम से कम एक महिला हो, राज्य सरकार द्वारा पैनल में रखे जाने की व्यवस्था की गई है। किशोर न्यायालयों के कार्य के संबंध में ये प्रावधान किए गए हैं कि न्यायालय का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा और जहां बहुमत न हो वहां प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मामले का निस्तारण किया जाएगा।

अपराध की जांच एवं सजा की व्यवस्था

किशोर न्यायालय अधिनियम की धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत तथ्यों की जांच करने के उपरांत जिस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं उनमें उपदेश या भर्त्सना के उपरांत किशोरों को उसके घर भेज दिया जाना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त नेकचलनी के आश्वासन पर बालक को उसके पिता/संरक्षक एवं किसी अन्य उपयुक्त संरक्षण में दिया जा सकता है। ऐसे संरक्षक अथवा व्यक्ति से बॉड भरा लिया जाना आवश्यक किया गया है। यदि किसी किशोर की आयु 17 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम हो तो उसे न्यूनतम दो वर्ष के लिये स्पेशल होम में रखा जा सकता है। अपराधों की प्रकृति तथा परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय द्वारा निरुद्ध अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है, किंतु ऐसी अवधि किसी भी स्थिति में किशोर की आयु 18 वर्ष प्राप्त करने से अधिक नहीं हो सकती।

किशोर के प्रति किए गए अपराधों के लिये दंड की व्यवस्था

किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोरों के प्रति क्रूरता, उन्हें भीख मांगने के लिये इस्तेमाल करने पर अथवा प्रेरित करने पर संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में क्रमशः 6 माह, एक वर्ष एवं तीन वर्ष के कारावास से अधिनियम की धारा-41, 42 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। यह दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी किशोर को कोई मादक पदार्थ किसी सार्वजनिक स्थान पर देगा या उसके माध्यम से दिलवाएगा (ऐसा किसी चिकित्सक के आदेश या किसी बीमारी के आधार पर न हो) तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी किशोर को शोषण हेतु नियोजित करता है अथवा किशोर द्वारा अर्जित धनराशि का उपभोग करता है तो उसे तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

किशोर गृहों एवं संप्रेक्षण गृहों की स्थापना

अधिनियम में राज्य सरकारों को उपेक्षित किशोरों को रखने के लिये किशोर गृहों तथा जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से उन्हें संप्रेक्षण गृहों की स्थापना करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उपेक्षित किशोरों को किशोर गृहों में रहने की व्यवस्था के साथ उनके भरण-पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं उनके उपयोगी विकास के साथ उनके चरित्र और योग्यता का विकास हो सके तथा जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से संप्रेक्षण गृह में उन्हें रखने के लिये अपेक्षित संप्रेक्षण गृहों की व्यवस्था निर्धारित की गई है। जहां किशोरों के रहने, भरण- पोषण और उनकी चिकित्सा परीक्षा एवं उपचार की व्यवस्था आदि की सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में ही बच्चों की भी विशाल संख्या है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 6 वर्ष तक की आयु के कुल बच्चों की संख्या लगभग 16 करोड़ तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के कुल बच्चों की संख्या लगभग 19 करोड़ है। बच्चों के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे किशोर के अंतर्गत आते हैं। 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या भी क़रीब 6 करोड़ है। देश की आज़ादी के 60 वर्ष बाद और तमाम तरह के विकास की सरकारी घोषणाओं और दावों के बावजूद यथार्थ यह है कि देश में विद्यमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और विषमताओं के कारण आज तक अनेक बच्चों के लिये दोनों समय के भोजन तक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

सुझाव

- बाल न्यायालयों से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों के निस्तारण की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। विशेष रूप से न्यायालयों में ऐसे मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं जो बाल मनोविज्ञान या बच्चों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव रखते हों और उन्हें इस संबंध में

बच्चों के लिये संवैधानिक एवं विशेष कानूनी प्रावधान

संविधान का अनुच्छेद-24 : 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य ख़तरनाक व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध।

संविधान का अनुच्छेद-39 (ड) : सरकार द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मज़बूर होकर उन्हें ऐसे रोज़गार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।

संविधान का अनुच्छेद-39 (च) : सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हों तथा बालकों की शोषण से रक्षा हो।

संविधान का अनुच्छेद-45 : 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

संविधान का अनुच्छेद-21 (क) : संविधान के 86वें संशोधन, 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।

भारतीय दंड संहिता धारा-82 : 7 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को किसी भी अपराध में दंडित करना वर्जित।

दंड प्रक्रिया संहिता धारा-125 : संतान चाहे वे वैध अथवा अवैध हो, भरण-पोषण के भत्ते के हक़दार होंगे।

संरक्षक एवं परिपाल्य अधिनियम, 1890 : न्यायालय की संस्तुति पर अवयस्क के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी या उसकी संपत्ति अथवा दोनों के बारे में संरक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था।

कारखाना अधिनियम, 1948 : बच्चों को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में श्रम पर लगाना प्रतिबंधित।

शिशु अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित-1978) : बच्चों को श्रम साध्य या ख़तरनाक कार्यों में सेवायोजन पर प्रतिबंध।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 : बच्चों के हित के लिये तथा उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों की देखभाल, विकास तथा पुनर्वास के (यथा संशोधित-2000) साथ-साथ समुचित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक कानून।

राष्ट्रीय बाल आयोग : बच्चों के विकास और उनसे संबंधित समस्याओं के सभी पहलुओं का अध्ययन और समस्याओं के निराकरण के लिये आवश्यक कदम उठाना।

Mains cum PT IAS 2009/10

भूगोल

-अनिल केशरी

Shiv Kumar
Rank-57

Ashish Kr. Deharia
Rank- 462

Rajesh Kumar
Rank - 521

Arun Kr. Maurya
Rank - 650

कक्षा समय - 6:15-9:00 सांय

1. प्रतिदिन मानचित्र अवलोकन का अभ्यास जो प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में उपयोगी।
2. कक्षा के अर्न्तगत अवधारणा एवं संकल्पना के विकास पर विशेष बल।
3. प्रश्नों के उत्तर लेखन एवं प्रतिदिन जांच की विशेष प्रणाली, फाइल मेन्टिनेन्स सिस्टम के अन्तर्गत।
4. शिक्षक के साथ व्यक्तिगत संपर्क जिससे छोटी-छोटी समस्याओं का सरलता से समाधान।
5. गत वर्षों में पूछे गए तथा संभावित प्रश्नों की आवश्यकता के आधार पर पूर्णतः संशोधित अध्ययन सामग्री।
6. विस्तृत कक्षा नोट्स जिससे मुख्य परीक्षा में लेखन सरल।
7. आकस्मिक जांच परीक्षा।
8. प्रत्येक खण्ड के पश्चात् जांच परीक्षा।
9. प्रतिदिन प्रारम्भिक परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ट जांच परीक्षा।
10. प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रत्येक खंड पर विशिष्ट कक्षाएं।

नए पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षाएं

कक्षा प्रारंभ-10 नवम्बर

DISCOVERY
...Discover your mettle

B-14, (Basement), Comm. Complex,
Mukherjee Nagar, Delhi-110 009

Contact us at : 32906050, 9313058532

YH-11/08/18

विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसके साथ-साथ यह भी प्रयास होना चाहिए कि उनके द्वारा पारित आदेश न केवल विधि व्यवस्थाओं के आधार पर हों बल्कि ऐसे हों जो मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए किशोर के सुधार पर बल देते हों।

- किशोर अपराध से संबंधित मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी बच्चे को हथकड़ियां न पहनाई जाएं और उन्हें किसी भी दशा में अन्य अपराधियों के साथ नहीं रखा जाए। इससे वे मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों तथा अपराधियों की कुसंगत से बचाए जा सकेंगे। इससे भविष्य में उनमें सुधार परिलक्षित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य में पुनर्वासन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतया देखा गया है कि कुछ दिनों और महीने किशोर गृहों में रखने के बाद यहां से निकले बच्चे अपराध की दुनिया में पुनः कदम रख लेते हैं अर्थात वे अपराध की दुनिया को छोड़ नहीं पाते। उन्हें इससे विलग करना कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
- उपेक्षित और अपचारी बालिकाओं को विशेष रूप से बनाए गए पृथक किशोर गृहों में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उन्हें महिला कर्मचारी या अधिकारी की देखरेख में ही रखा जाए। इसके अतिरिक्त किशोर गृहों में तैनात कर्मचारियों की पोषाक ऐसी होनी चाहिए जो पुलिस विभाग के कर्मचारियों से भिन्न प्रकार की हो। इससे बच्चों पर स्वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और घरेलू परिवेश के निर्माण से उन बच्चों में सुधार की अधिक गुंजाइश रहेगी।
- किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार के साथ-साथ समाजसेवी संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के स्तर पर भी समय-समय पर विचार-गोष्ठी, कार्यशाला आदि के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे बच्चों की समस्याओं के बारे में विचार करने के साथ उनकी शिक्षा, देखरेख तथा पुनर्वास में उनका अधिक से अधिक योगदान प्राप्त हो सके।
- अभी तक स्थापित किए गए किशोर गृहों, संप्रेक्षण गृहों, विशेष गृहों, परिवीक्षा गृहों, अल्पकालिक समय में रखने वाले गृहों, नारी निकेतन, भिक्षुक गृहों आदि के रखरखाव, वैधानिक औपचारिकताओं, मनोरंजन सुविधाओं तथा शिक्षण आदि की व्यवस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र कर उसे प्रकाशित कराई जाए तथा इसे जन सामान्य के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायत, शिक्षण संस्थानों तथा सहयोग की आकांक्षा रखने वाले लोगों तक पहुंचाने का समुचित प्रबंध किया जाए।
- सामान्यतया उपेक्षित और अपचारी किशोर बहुत अधिक संख्या में रेलों, बसों, ढाबों, कालीन के कारखानों या चूड़ी के कारखानों या बहुत-सी ऐसी गंदी बस्तियों में पाए जाते हैं जहां से निकालकर उन्हें किशोर गृहों में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ही समस्या का सही निराकरण हो सकता है। अतः किशोर गृहों की समुचित संख्या में स्थापना करते हुए ऐसे बच्चों को यहां तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- इस बात की भी विशेष आवश्यकता है कि किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों की अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जाए ताकि समुचित रूप से प्रयोग किए जाने हेतु हर स्तर से प्रयास किया जाना संभव हो सके।
- सभी किशोर गृहों में अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ बच्चों के लिये उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वहां से निकलने के बाद वे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने के लिये रोज़गार की व्यवस्था स्वयं कर सकें और किसी के ऊपर बोझ न बनें।
- उपेक्षित बच्चों के लिये पुनर्वास की समुचित व्यवस्था हेतु बच्चों के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों, चुनी हुई त्रिस्तरीय पंचायतों, समाज सेवियों तथा शिक्षण संस्थाओं का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इन बच्चों के लिये अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।
- बच्चों में अपराध में लिप्त होने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु आपराधिक दुनिया के दुष्परिणामों को उजागर करने संबंधी विशेष फ़ीचर फिल्में, कार्टून, कहानियां, क्विज तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं आदि के आयोजन तथा विभिन्न संचार माध्यमों के सहयोग से उनके प्रसारण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए अर्थात विभिन्न 'उपचारात्मक कदम' उठाने के साथ 'प्रीवेन्टिव कदम' भी उठाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चों के अधिकारों की मुहिम से जुड़े गैरसरकारी संगठनों की भागीदारी को प्राप्त करके निश्चित रूप से इस दिशा में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

किशोर अपराध अन्य अपराधों की भांति किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं होते और न ही इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। किशोर अपराध आसानी से धन प्राप्त करने और उनकी स्वयं की अपेक्षा, घर की भावनात्मक समस्या, माता-पिता का बच्चों को अनुशासित रखने या उनके सहानुभूति के अभाव के फलस्वरूप बरती गई उपेक्षा और विशेष रूप से कुसंगत के कारण होता है। माता-पिता का अत्यधिक नियंत्रण या ढिलाई, नैतिक शिक्षा का अभाव, मनोरंजन की सुविधा का अभाव, गंदी बस्तियों आदि से अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है और उन्हें अपराध के संसार में न चाहते हुए भी ढकेल दिया जाता है। इससे उनका स्वयं का जीवन कष्टमय होता ही है साथ ही समाज के लिये उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती और वे भारस्वरूप हो जाते हैं। किशोरों की समस्याओं का निदान उन कारणों और बाधाओं को दूर करके ही किया जा सकता है। इसके लिये कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त एक सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से नैतिक शिक्षा प्रदान करते हुए एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के साथ विधिक आधार पर मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय व्यवस्था से ही संभव है। ❑

(लेखकद्वय क्रमशः शिक्षा विभाग जेडीवीएमपीजी कॉलेज, कानपुर में वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधि विभाग डॉ. बी.आर. आंबेडकर महाविद्यालय, आगरा में प्रवक्ता हैं।

ई-मेल : arundixit1969@yahoo.com)

उद्यमशीलता | विश्वसनीयता | संवेदनशीलता

निर्माण IAS

Give the best ... Take the best

हिन्दी माध्यम का उभरता सर्वश्रेष्ठ संस्थान

by **कमल देव (K.D.)**

स्थापना वर्ष के परिणाम ने इसे प्रमाणित कर दिखाया

हमारे सफल अभ्यर्थी

SAROJ KUMAR

Rank **22nd** हिन्दी माध्यम में प्रथम स्थान

G.S. पढ़ाने में कमल सर और उनकी टीम का विकल्प नहीं है।

NEELIMA

Rank **23rd** हिन्दी माध्यम में द्वितीय स्थान

G.S. QIP Class मैने निर्माण में किया और उत्तर लेखन प्रभावी बना।

Neelima

इतिहास

Ranjit Kumar 100th Rank

Krishan Gopal 142nd Rank

R.K. Kedia 377th Rank

Ajay Jadeja 402nd Rank

Nimba Ram 470th Rank

Ranjeet Kumar 471st Rank

सामान्य अध्ययन

Amit Kr. 89th Rank

Ajay Kr. Ojha 310th Rank

Deepak Sharma 359th Rank

Mayank Sharma 417th Rank

Bhanu Chand 645th Rank

Anita Meena 679th Rank

सफलता की प्रथम सीढ़ी यह विश्वास है कि 'मैं कर सकता हूँ'

सा. अध्ययन

1st Nov. 9 AM & 13th Nov. 2.30 PM

इतिहास

10th Nov. 5.30 PM

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम मुख्य परीक्षा हेतु बैच शीघ्र प्रारंभ अगस्त माह

आपके भविष्य निर्माण के हमारे आधार

- परिष्कृत लक्ष्यभेदी अध्ययन सामग्री
- परीक्षापयोगी विषय वस्तुओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण
- विशेषज्ञों से व्यक्तिगत संपर्क की सुलभता
- प्रश्नों की विविधता एवं बदलते स्वरूप के अनुसार अध्यापन
- उत्तर लेखन पर विशेष बल
- तथ्य व विश्लेषण की समन्वयात्मक शैली विकास का अभ्यास

सफलता के लिए मजबूत नींव आवश्यक है और नींव का निर्माण हम करते हैं।

12 Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-9, # 9891327521, 47058219

YH-11/08/25

बाल अधिकार और भारत

● **बाल अधिकार अभिसमय क्या है?**

प्राय: सीआरसी अथवा यूएनसीआरसी के नाम से संबोधित संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (संधि/समझौता) है जिसमें बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जिन देशों ने इस अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की पुष्टि की है वे अंतरराष्ट्रीय कानून के जरिये इससे बंधे हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस अभिसमय को अपनाकर 20 नवंबर, 1989 (बाल अधिकारों की घोषणा की 30वीं वर्षगांठ) को सदस्य देशों के हस्ताक्षर के लिये जारी किया था। आवश्यक संख्या में राष्ट्रों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद 2 सितंबर, 1990 को यह प्रभावी हो गया। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों (अमरीका और सोमालिया को छोड़कर) ने इसकी पुष्टि की है।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय की धारा 1 के अनुसार जब तक किसी लागू कानून के तहत बच्चा और पहले वयस्कता नहीं प्राप्त कर लेता, अट्ठारह वर्ष से कम आयु का प्रत्येक मानव, बच्चा कहलाएगा।

अभिसमय बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और अधिकारों को अभिव्यक्त करता है। इसमें राज्यों (सरकारों) से बच्चों के सर्वोत्तम हित में काम करने की अपेक्षा की गई है। अभिसमय मानता है कि प्रत्येक बच्चे के कुछ बुनियादी अधिकार हैं, जिसमें जीवन का अधिकार, अपना नाम और पहचान, परिवार अथवा सांस्कृतिक समूह में अभिभावकों द्वारा पालन-पोषण, दोनों अभिभावकों से संबंध, भले ही वे अलग हो गए हों, शामिल हैं।

अभिसमय के अनुसार, सरकारें अभिभावकों को अपना अभिभावकीय उत्तरदायित्व निभाने की अनुमति देने को बाध्य हैं। अभिसमय में यह भी स्वीकार किया गया है कि बच्चों को अपना अभिमत व्यक्त करने का अधिकार है और यह भी कि उनकी बात सुनी जाए तथा उचित हो तो उन पर अमल भी किया जाए। उन्हें शोषण और दुर्व्यवहार से संरक्षण तथा उनकी निजता के संरक्षण का भी अधिकार है। अभिसमय में अपेक्षा की गई है कि बच्चों को अमानवीय स्थितियों में नहीं रखा जा सकता और न ही उनकी उपेक्षा/तिरस्कार किया जाना चाहिए।

● **बच्चों के अधिकार क्या हैं और भारत में उनकी क्या स्थिति है?**

बाल अधिकार अभिसमय में तमाम आवश्यकताओं और मुद्दों से संबंधित बच्चों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। भारत ने 11 दिसंबर, 1992 को इसकी पुष्टि की।

तुरंत कार्यक्षेत्र में आने वाले बाल अधिकार निम्नानुसार हैं :

- शिक्षा का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 18 वर्ष के 50 प्रतिशत भारतीय बच्चे विद्यालय नहीं जाते। तीसरी से पांचवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या चिंता का विषय है। लगभग 50 प्रतिशत लड़के और 58 प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ देते हैं।

- अभिव्यक्ति का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को मनचाहे तरीक़े से व स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। परंतु अधिकतर बच्चों का बड़ों द्वारा शोषण किया जाता है और उन्हें अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाती।

- सूचना का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को अपने बुनियादी अधिकारों और समाज में उसकी स्थिति को जानने का अधिकार है। निरक्षरता और अज्ञानता की उच्चदर के कारण वंचित तथा निर्धन वर्ग के बच्चे अपने और अपने समाज के बारे में सूचना नहीं प्राप्त कर पाते।

- पौष्टिक आहार का अधिकार : भारत के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। भारत में प्रत्येक पांच में से एक लड़का तथा दो में से एक लड़की, कुपोषित है।

- स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार : भारत के दो वर्ष से कम आयु के 58 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण नहीं होता। इनमें से 26 प्रतिशत बच्चों को किसी प्रकार का टीका नहीं लगाया जाता। भारत के 60 प्रतिशत से अधिक बच्चे रक्ताल्पता (खून की कमी) के शिकार हैं। भारत में पैदा हुए प्रत्येक 1,000 में से 95 बच्चे अपनी पांचवीं वर्षगांठ नहीं मना पाते। भारत में जन्मे प्रत्येक 1,000 में से 70 बच्चे एक वर्ष की आयु भी पूरी नहीं कर पाते।

- दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार : पांच से पंद्रह वर्ष तक के क़रीब 20 लाख बच्चे यौनकर्म से धनोपार्जन करते हैं, जबकि 15 से 18 वर्ष तक के 33 लाख बच्चे यही काम करते हैं। भारत में व्यावसायिक यौनकर्मियों की कुल संख्या में बच्चों की संख्या 40 प्रतिशत के क़रीब है। पांच लाख बच्चों को प्रतिवर्ष इस व्यवसाय में धकेल दिया जाता है।

- शोषण से संरक्षण का अधिकार : सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में 1 करोड़ 70 लाख बच्चे काम करते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि बच्चों को काम के लिये मज़बूर किया जाता है, वे अपनी इच्छा से काम नहीं करते। अधिकतर अभिभावक ही विवश करते हैं, परंतु उनके निर्णय को प्रभावित करने में भर्ती करने वाले (ठेकेदार) की भूमिका भी अहम होती है।

घर के बाहर जब बच्चे काम करते हैं, औसतन वे 21 घंटे प्रति सप्ताह परिश्रम करते हैं। निर्धन और बंधुआ परिवार प्राय: अपने बच्चों को ठेकेदारों के हाथ बेच देते हैं। वे उन्हें शहरों में आकर्षक काम दिलाने का झांसा देते हैं, परंतु वे प्राय: वेश्यालयों, होटलों और घरेलू कार्य में लगे पाए जाते हैं। कई बच्चे भाग खड़े होते हैं और सड़कों पर जीवन व्यतीत करने लगते हैं।

- उपेक्षा से संरक्षण का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को उपेक्षा से परे सुरक्षित और संरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। परंतु शोषणकारी और अमानवीय स्थितियों में काम करने वाले बच्चों की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है।

- विकास का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता और संभावना की खोज करने के लिये विकास का अधिकार है। वंचित वर्ग के बच्चों की कष्टकारी जीवन परिस्थितियां उनके स्वतंत्र और निर्वाधित विकास में बाधक होती हैं।

- मनोरंजन का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को खेल, मनोरंजन और अपने व्यक्तित्व के विकास की खोज में कुछ समय बिताने का अधिकार है। भारत के अधिकतर निर्धन बच्चों को उचित मनोरंजन की गतिविधियों का अवसर प्राप्त नहीं होता।

- नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार : प्रत्येक बच्चे को अपने राष्ट्र के नाम से पहचाने जाने का अधिकार है। भारत में अनेक निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों को किसी जिन्स की तरह देखा जाता है और कई बार उन्हें अन्य देशों में श्रमिकों अथवा वेश्याओं के रूप में भेज दिया जाता है।

- उत्तरजीविता का अधिकार : भारत में जन्म लेने वाली 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों में से 30 लाख को अपनी 15वीं वर्षगांठ देखना नसीब नहीं होती और क़रीब 10 लाख तो पहली वर्षगांठ तक नहीं जी पातीं। प्रत्येक छठी लड़की की मृत्यु तो लड़का-लड़की में भेदभाव के कारण होती है।

● **भारत में क्या स्थिति है?**

भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा 1959 का एक पक्षकार है। इसके अनुसार भारत ने 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अंगीकार कर ली थी। नीति में बच्चों के जन्म से पूर्व और उपरांत तथा उसके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होने तक की अवधि में समुचित सेवाओं के संवैधानिक प्रावधानों की पुष्टि की गई है। तदनुसार सरकार राष्ट्रीय और राज्य के कानूनों की समीक्षा के लिये कार्रवाई कर रही है ताकि उन्हें अभिसमय के प्रावधानों के अनुकूल बनाया जा सके। अभिसमय पर क्रियान्वयन की प्रगति का भलीभांति मूल्यांकन करने के लिये सरकार ने समाज के विभिन्न दावेदारों को साथ लेते हुए निगरानी की उपयुक्त कार्यविधि भी विकसित कर ली है।

भारत ने बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास संबंधी विश्व घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए हैं। शिखर सम्मेलन में दिए गए वचन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय बाल कार्ययोजना भी तैयार की है। देश के 3 करोड़ बच्चों की आवश्यकताओं, अधिकारों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में घोषित कार्ययोजना की अधिकांश सिफ़ारिशों को समाहित कर लिया गया है। योजना में स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, शिक्षा, जल, स्वच्छता और पर्यावरण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के बारे में योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय संदर्भ में अभिसमय के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये ढांचा (व्यवस्था) तैयार करना।

'ख़तरे में बचपन' शीर्षक से विश्व के बच्चों की स्थिति के बारे में यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट, 2005 में भारत में बच्चों की स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि भारत के लाखों बच्चे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, शिक्षा, पीने का साफ़/सुरक्षित पानी और उत्तरजीविता के अधिकारों से समान रूप से वंचित हैं। बताया गया है कि उनमें से 63 प्रतिशत भूखे ही सो जाते हैं और 53 प्रतिशत कुपोषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 करोड़ 70 लाख बच्चे कच्चे घरों में रहते हैं, 7 करोड़ 70 लाख बच्चे नल का पानी नहीं पीते, 8 करोड़ 50 लाख बच्चों का टीकाकरण नहीं होता, 2 करोड़ 70 लाख बच्चों का वजन गंभीर रूप से कम है और 3 करोड़ 30 लाख कभी विद्यालय नहीं गए। इसका आकलन है कि भारत में 5 से 14 वर्ष के 7 करोड़ 20 लाख बच्चों को बुनियादी शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं है। लड़कियां इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि लड़के को वरीयता दिए जाने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है।

● **भारत में बच्चों के अधिकारों के संवर्धन और क्रियान्वयन के लिये क्या उपाय किए गए हैं?**

बाल अधिकारों को सुनिश्चित रूप से लागू करने और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के प्रति भारत की वचनबद्धता को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया है।

29 दिसंबर, 2006 को संसद के अधिनियम के तहत अधिसूचित यह आयोग एक वैधानिक निकाय है। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 6 सदस्य होंगे जो बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास और देखभाल, बाल न्याय, विकलांग बच्चे, बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र और बच्चों से जुड़े कानून के क्षेत्रों से लिये जाएंगे।

आयोग को शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। इसके अलावा बाल अधिकारों से वंचित किए जाने संबंधी मामलों और बच्चों के विकास और संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों पर अमल नहीं किए जाने की शिकायतों की स्वत: ही सुनवाई कर सकता है। कानून में दिए गए बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी उपायों की समीक्षा और परीक्षा के उद्देश्य से आयोग उनके प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय सुझाएगा, आवश्यक हुआ तो उसमें सुधार के उपाय बताएगा और शिकायतों की जांच करेगा अथवा अपने आप ही बच्चों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के हनन की सुनवाई करेगा।

आयोग का उद्देश्य बाल अधिकारों का समुचित प्रवर्तन और बच्चों से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही बाल अधिकारों से वंचित रखे जाने संबंधी मामलों का स्वत: संज्ञान लेना और शिकायतों की जांच करना, बच्चों के विकास और संरक्षण संबंधी कानूनों पर अमल नहीं करना और उनके कल्याण के उद्देश्य से दिए गए दिशानिर्देशों, नीतिगत निर्णयों का पालन नहीं करना, बच्चों की राहत की घोषणाओं पर अमल नहीं करना, इन सभी मामलों के बारे में आयोग स्वत: ही संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा और राज्य सरकारों को उसको सुधारने के उपाय करने के निर्देश जारी करेगा। ❑

बच्चों में निवेश की ज़रूरत

● अक्षय के. पांडा

5 साल से 15 साल के बच्चों के लिये एक आवासीय स्कूल का कार्यक्रम बनाकर बच्चों के मद पर होने वाले सरकारी धन के ख़र्च को इस पर केंद्रित रखा जाए

भारत में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में निर्धारित न्यूनतम वज़न से भी कम वजन के बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। यह संख्या अफ्रीका उप-सहारा क्षेत्र की तुलना में दुगना है। 1998-99 में 3 साल से कम उम्र के 47 प्रतिशत बच्चे कम वज़नी अथवा अति कम वज़न के थे। कम वज़न की शिकायत भारत के क़रीब तीन चौथाई बच्चों में पाई जाती है। अपौष्टिकता के स्तर में हल्की कमी आई है। 1992-93 और 1998-99 के बीच 3 साल से कम उम्र के बच्चों में कमवजनी की स्थिति में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। फिर भी समान आर्थिक वृद्धि दर वाले देशों की उपलब्धि की तुलना में यह प्रगति काफी कम है।

अपौष्टिकता, दोनों तरह की प्रोटीन ऊर्जा संबंधी अपौष्टिकता तथा सूक्ष्म पौष्टिकता, बच्चों के विकास के अनेक पक्षों को प्रभावित करती है। खासकर यह उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास को बाधित करती है और संदूषण को बढ़ाती है जिससे अपौष्टिकता में और कमी आती है। भारत में बीमारी के बोझ के 22 प्रतिशत हिस्से बाल अपौष्टिकता के कारण ही पैदा होते हैं। पौष्टिकता में कमी से शिक्षा ग्रहण करने तथा उत्पादकता की क्षमता भी घटती है जिसका आमदनी और आर्थिक विकास पर भी उल्टा असर पड़ता है।

सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय लक्षणों के आधार पर कमवजनी संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर हुआ है कि कौन-सा समूह अपौष्टिकता के भारी ख़तरे का सामना कर रहा है। अधिकतर विकास संबंधी बाधा का सामना दो साल के बच्चे कर रहे हैं और काफी हद तक उनको ठीक करना मुश्किल होता है। कमवजनी की समस्या शहरी इलाकों (38 प्रतिशत) की अपेक्षा ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में (50 प्रतिशत) देखने को मिलती है। यह प्रतिशत बालिकाओं में सबसे ज्यादा (48.9 प्रतिशत) है जबकि लड़कों में उससे कम (45.5 प्रतिशत), अन्य जातियों (44.1 प्रतिशत) की अपेक्षा अनुसूचित जातियों (53.2 प्रतिशत) की अपेक्षा अनुसूचित जनजातियों में (56.2 प्रतिशत) ज्यादा है। यद्यपि कमवजनी की समस्या का आर्थिक स्थिति से संबंध है, परंतु न्यूनतम विश्लेषणात्मक आंकड़ों में यह स्थिति 60 प्रतिशत तक पाई जाती है। इसके अलावा 1990 के दशकों के दौरान शहरी-ग्रामीण, अंतरजातीय, पुरुष-महिला तथा पौष्टिकता के स्तर के संबंध में अंतर-सांख्यिकी विश्लेषणात्मक असमानता बढ़ी है।

भारत में सूक्ष्म पौष्टिकता की कमी भी व्यापक रूप ले चुकी है। स्कूल पूर्व बच्चों में से 75 प्रतिशत खून की कमी तथा 57 प्रतिशत स्कूल पूर्व बच्चे विटामन ए की कमी के शिकार हैं। आयोडिन की कमी देश

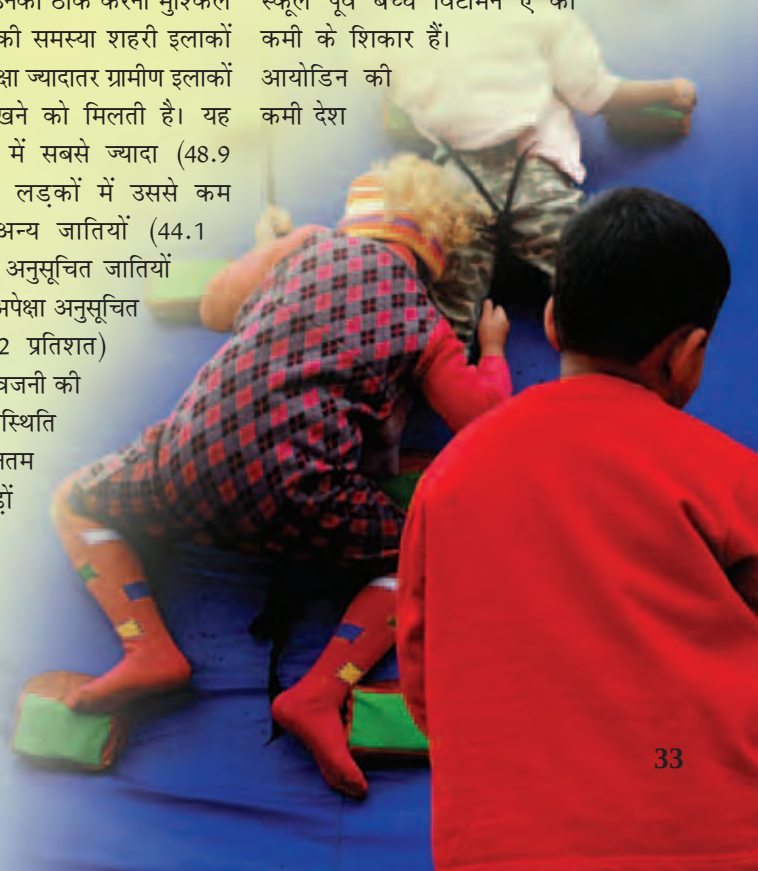

के 85 प्रतिशत जिलों में पाई जाती है। विकसित देशों में स्वास्थ्य के मद पर ख़र्च का जो परिणाम देखने को मिलता है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद पर उसका योगदान दिखाई नहीं पड़ता।

बच्चे किसी भी देश के अति महत्वपूर्ण संसाधन हैं। भारतीय बच्चे, खासकर कुछ क्षेत्रों के बच्चे आमतौर पर पौष्टिकता के मामले में धनाभाव से जूझ रहे होते हैं। ग़रीबी से उनकी बौद्धिक तथा शारीरिक क्षमता पर उल्टा असर पड़ता है। दूसरी तरफ दुनिया के अति धनी देश अमरीका के राष्ट्रपति अपने बच्चों को गणित के क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने के लिये प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि उनकी नौकरी भारतीयों के हाथों से बच सके। अमरीकियों पर ख़तरा कोई कल्पना की बात नहीं है, क्योंकि प्रतिशत कम होने के बावजूद भारत में ऐसे छात्रों की बड़ी संख्या अमरीकियों को अच्छी नौकरी पाने में बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है।

भारत के बच्चों ने अपनी ऐसी स्थिति बनाने के लिये काफी संघर्ष किया है। साथ ही ऐसे बच्चों की भी बड़ी संख्या है जो निरक्षर हैं। बड़ी संख्या में निरक्षरता से अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ख़राब स्वास्थ्य, अपर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं तथा जीवनस्तर सुधारने के मौकों की कमी राजनीतिक बाज़ार में घोर प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करती है। इसका एक दुष्परिणाम यह होता है कि लोग सुविधाविहीन वर्गों के लिये शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण की मांग करने लगते हैं। सामाजिक कार्रवाई तथा उसकी प्रतिक्रिया के कारण समाज में तनाव और संदेह की स्थिति पैदा होती है। सामाजिक रूप से सुविधाविहीन लोगों के लिये पिछले साठ साल में कोई सुव्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया है।

समस्या अभी भी व्यापक है। देश अभी भी संविधान के खंड-III के प्रावधानों को लागू करने की स्थिति से काफी पीछे है। खंड-III में बचपन के दुरुपयोग तथा बच्चों की वृद्धि एवं विकास के सकारात्मक उपायों की व्यवस्था है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 21ए, 23, 24, 39 (ई), 39 (एफ) में बच्चों की वृद्धि और विकास के प्रावधान हैं। इन पर अमल की बात अभी दूर है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 21(ए) 86वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया और दिसंबर 2002 में यह प्रभावी हो गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसे अभी भी मौलिक अधिकार बनना बाकी है क्योंकि इस कानून को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

यह चिंता की बात है कि इस मामले में सरकार के प्रयासों के बावजूद संविधान के खंड-III के अधिकतर प्रावधानों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। अच्छी कोटि की शिक्षा तथा बेहतर नौकरी की सुविधा अभी भी सभी वर्गों की बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य आबादी के अलग-अलग समुदाय द्वारा समान हिस्से की मांग पर लगातार बढ़ते ज़ोर से परिलक्षित होता है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता भी बाधित होती है। मानव संसाधन की घटिया कोटि से अर्थव्यवस्था का नुक़सान होता है और आरक्षण के साथ अपनी जगह बनाने के प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रयास के फलस्वरूप पैदा होनेवाले सामाजिक तनाव के कारण अब कुशल कर्मियों की भयंकर कमी हो रही है।

बच्चों के विकास के लिये अनेक योजनाएं एवं धन मुहैया कराने वाले स्रोत रहे हैं, परंतु अब तक इन योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। हम अभी भी वांछित लक्ष्य से काफी दूर हैं। संभवत: बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिये अधिक सार्वजनिक धन की व्यवस्था की साधारण गणना से पता चलता है कि यदि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अनुकूल पद्धति अपनाई जाए तो प्रति बच्चा वृद्धि दर से सार्वजनिक धन की व्यवस्था करना कठिन नहीं होगा।

अभी हम वांछित स्तर के आस-पास भी नहीं हैं। सभी बच्चों के लिये समान मानक तथा उसी तरह का अनुकूल माहौल बनाने के ख़िलाफ़ कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। परंतु, तब भी यह काम संभव नहीं हो सका और कई वर्गों के लिये यह प्रारंभिक अभाव अभी भी आम बात है। जातिगत आधार पर आरक्षण जारी है और नयी-नयी मांगें उठ रही हैं। प्रारंभिक धनाभाव का आभास संविधान निर्माताओं को भी था, इसलिये संविधान निर्माताओं ने आबादी के उन कुछ वर्गों के लिये शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने की व्यवस्था की जो समान स्तर से नीचे थे। ये प्रावधान प्रारंभ में दस वर्षों के लिये किए गए थे। यह व्यवस्था कानून में कायम रही।

इस बात में कोई दम नहीं है कि प्रारंभिक अभाव वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता, जो ऐसे अभाव की स्थिति में नहीं है। ठोस विवेचना के अभाव में यह अंतर न सिर्फ बना रहेगा बल्कि और बढ़ेगा।

अर्थव्यवस्था का ठोस सिद्धांत यही है कि एकल लक्ष्य के लिये एकल उपकरण हो। इस पृष्ठभूमि में यह बेहतर होगा कि 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिये एक आवासीय स्कूल का कार्यक्रम बनाकर बच्चों के मद पर होने वाले सरकारी धन के ख़र्च को इस पर केंद्रित रखा जाए। यह कार्यक्रम इस घोषित लक्ष्य के साथ शुरू किया जाए कि उस साल के बाद अच्छी कोटि की नौकरी और उच्चतर शिक्षा की सुविधा खत्म कर दी जाएगी।

यह एकल उपाय सभी बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिये पूरा ज़रूरी साधन मुहैया कराएगा और उन्हें एक कुशल युवक बनाएगा। इस एक ही कार्यक्रम से उनकी अपौष्टिकता की समस्या का समाधान हो जाएगा। उनके विशेष इलाज की व्यवस्था हो सकेगी और एक जनतांत्रिक समाज की बुनियाद खड़ी होगी और हर युवक के मन में जनतांत्रिक भावना पैदा होगी। अगर कोई अपने बच्चे को इस आवासीय स्कीम वाले स्कूल में न भेजे तो यह अपने हित एवं कल्याण की उनकी अपनी सोच होगी। ऐसे उपाय के सामाजिक एवं आर्थिक लाभ के मद्देनज़र इनके लिये धन की व्यवस्था करना कठिन नहीं होगा। यह बात राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था से साबित हो चुकी है।

बाल उन्मुखी दृष्टिकोण के तहत बच्चों के पूर्ण विकास के लिये पर्याप्त धन की गणना का आधार जमा धनराशि के आधार पर की जाती है जो उनकी शैक्षणिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये दी जाती है। कॉरपोरेट जगत को स्कूल स्थापित करने तथा उनके लिये धन की व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन स्कूलों द्वारा संभावित गड़बड़ियों पर नियंत्रण के लिये एक नियामक बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक आधार पर तय शर्तों के आधार पर इन स्कूलों के कार्यकलापों की समय-समय पर इस नियामक द्वारा सुनवाई कर उपयुक्त विधानमंडल के समक्ष उसकी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। ❑

(लेखक भारतीय आर्थिक सेवा से संबद्ध हैं।
ई:मेल : akshya.panda@nic.in)

परमाणु ऊर्जा के उपयोग की योजनाएं

● सुरेश अवस्थी

परमाणु ईंधन और तकनीक के व्यापार पर तीन दशकों से अधिक समय से लगा हुआ प्रतिबंध समाप्त हो गया है। भारत का परमाणु वनवास समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र में भी नयी संभावनायें पैदा होंगी

गयारह अक्तूबर को भारत अमरीका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते की अंतिम औपचारिकता पूरी होते ही भारत ने विकास के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। तमाम पेचीदगियों और जटिलताओं के बावजूद यह समझौता भारत का अति महत्वपूर्ण करार है। अब भारत के पास असैन्य उद्देश्यों के लिये परमाणु ईंधन और तकनीक के व्यापार पर तीन दशकों से अधिक समय से लगा हुआ प्रतिबंध समाप्त हो गया है। इस बात की प्रसन्नता समूचे भारत को और सभी भारतीयों को होनी चाहिए। अनेक बाधाओं को पार करने के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बगैर परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किए परमाणु ईंधन की आपूर्ति का अधिकार पाने वाला भारत एकमात्र देश है। अब ऊर्जा सुरक्षा, स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेज़ी से काम करने का समय है। इससे अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिला है। समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने जो वक्तव्य दिया उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ईंधन की निरंतर आपूर्ति और उसके पुनर्शोधन से जुड़ी सभी आशंकाओं का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। कुछ आलोचकों ने समझौते को अमरीका द्वारा एकतरफा लाभ प्राप्त करने की नीति के नज़रिये से देखा, जबकि सच्चाई यह है कि अमरीका की तुलना में भारत को अधिक लाभ होने की आशा है। परमाणु शोध के क्षेत्र में भारत काफी आगे है। परमाणु अस्त्रों के मामले में भी हम आत्मनिर्भर हैं। समझौते से मुख्य लाभ केवल ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में ही होगा। वास्तव में भारत ने विकास का जो रास्ता चुना है उसके लिये हमें ऐसे समझौते की नितांत आवश्यकता थी। हमें 2013 तक ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान क्षमता में 100 गीगावाट की आवश्यकता होगी। यह कोयला और तेल के जरिये नहीं हो सकता। आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह हानिकारक है। जो लोग परमाणु ऊर्जा को महंगा बता रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इसमें अधिकांश पैसा रिएक्टर की स्थापना में ही व्यय होगा। बाद में उत्पादन शुरू होने पर यह किफायती हो जाता है। इसी वर्ष सितंबर माह में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) से परमाणु व्यापार के बारे में बिना किसी शर्त अनुमति मिलने के बाद भारत अब परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में कुछ यथार्थवादी योजनाएं बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि प्रारंभिक संकेतों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि निकट भविष्य में परमाणु ऊर्जा ही भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होगी। देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रमुख सूत्रधार भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लि. (एनपीसीआईएल) निश्चित ही कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में विचार कर रहा है। निगम की अपेक्षा है कि विश्व की शीर्ष ऊर्जा कंपनियां यथा- अमरीका की जीई (जनरल इलेक्ट्रिक्स), फ्रांस की अरवा, जापान की तोशिवा वेस्टिंगहाउस और रूस की रालाटॉम, प्रत्येक दो-दो रिएक्टर लगाएं जिनसे 8,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो। एनपीसीआईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एनएसजी से अनुमति मिलने के बाद साफ़ तौर पर कहा कि देश में 40 अरब डॉलर के रिएक्टर निर्माण का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की तर्ज़ पर देश के कुछ चुनिंदा स्थानों में न्यूक्लियर पार्क बनाने की योजना है, जहां केवल परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होगा। यूरेनियम प्राप्त करने के लिये भारत का पसंदीदा आपूर्तिकर्ता रूस ही है, जो पहले से ही इस क्षेत्र में सहयोग करता रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी उम्मीदें हैं, परंतु वहां की अंदरूनी राजनीति

के कारण उसमें अभी समय लग सकता है। कजाकिस्तान भी एक बड़ा स्रोत है जहां यूरेनियम के खनन के बारे में संयुक्त उपक्रम गठित करने की संभावना के बारे में सोचा जा रहा है। कनाडा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र अप्सरा कनाडा के सहयोग से बना था। वह अब पुन: परमाणु कारोबार के लिये उत्सुक है और अब निजी क्षेत्र भी मैदान में उतरने की सोच रहे हैं। देश-विदेश दोनों के निजी क्षेत्र भारत में अपार संभावनाएं देख रहे हैं।

एक भारतीय कंपनी ने सुदूर अफ्रीका के नाइगर में यूरेनियम के खनन के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। सहारा क्षेत्र स्थित छोटा-सा यह देश यूरेनियम के मामले में काफी संपन्न है। रोचक तथ्य यह है कि नाइगर एनएसजी का सदस्य भी नहीं है। भारत ने नाइगर में रुचि उस समय ली थी, जबकि एनएसजी में वह गया भी नहीं था। चीन भी नाइगर में अपने पांव फैला रहा है। मुंबई स्थित 3 अरब वाली कंपनी टॉरियन रिसोर्सेज़ प्रा. लिमिटेड को हाल ही में यूरेनियम के खनन का ठेका मिला है। कंपनी को यूरेनियम के भंडार के लिये चर्चित तीन हजार वर्ग किलोमीटर के सहारा रेगिस्तान में उत्खनन का अकेला अधिकार मिला है। कंपनी के अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में कम से कम 30 हजार टन यूरेनियम पाए जाने की संभावना है। हालांकि आकलन कुछ अधिक आशावादी है, परंतु यह एक सकारात्मक शुरुआत है। इस सबसे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2020 तक 20 हज़ार मेगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का जो अनुमान लगाया है उसे पूरा किया जा सकता है। दरअसल, प्रधानमंत्री का तो यह कहना है कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 40 हज़ार मेगावाट तक जा सकता है। वर्तमान में जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसका यह एक तिहाई के क़रीब है। प्रधानमंत्री ने जो अनुमान लगाया है वह परमाणु ऊर्जा विभाग के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें आयातित परमाणु ईंधन का हिसाब तो रखा गया है परंतु नये परमाणु बिजली घरों का नहीं। यदि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के संभावित प्रवेश का हिसाब लगाया जाए तो अनुमान से कहीं अधिक ऊर्जा का उत्पादन होने की संभावना है। सर्वविदित है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में परमाणु ऊर्जा को लेकर जो वातावरण बना है, उसमें भारत की निजी क्षेत्र की कुछ दिग्गज कंपनियां रिलायंस पावर और टाटा पावर, एनटीपीसी, एलएंडटी आदि भी आकर्षित हुई हैं और विदेशी विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में हाथ बंटाना चाहती हैं।

यह तो तय है कि भारत में ऊर्जा की कमी है। देश को काफी अधिक विद्युत की आवश्यकता है। भारत में चरम समय पर ऊर्जा की मांग की तुलना में 14.8 प्रतिशत की कमी है। आगे अभी यह अंतर बढ़ने ही वाला है। देश में इस समय ऊर्जा का कुल उत्पादन 124 मेगावाट है। इसमें से कोयले का हिस्सा 55 प्रतिशत, पनबिजली का 26 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस 10 प्रतिशत, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा 5 प्रतिशत और परमाणु ऊर्जा के हिस्से में कुल 3 प्रतिशत उत्पादन क्षमता है। भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण यूरेनियम की कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिये भारत ने अमरीका के साथ असैन्य परमाणु समझौते की आवश्यकता महसूस की। एनपीसीआईएल के अनुसार देश के 6 राज्यों में कुल 17 रिएक्टर हैं जो क़रीब चार हजार मेगावाट का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा 2,660 मेगावाट क्षमता वाले रिएक्टर उत्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। भारतीय रिएक्टर त्रुटिपूर्ण ईंधन आपूर्ति के कारण पूरी क्षमता से ऊर्जा उत्पादन नहीं कर पाते। एक अनुमान के अनुसार उनमें केवल क्षमता का 40 प्रतिशत ही उत्पादन होता है। बदली हुई परिस्थितियों में भारत अब बड़े-बड़े रिएक्टर लगाने की सोच रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानक 1,000 मेगावाट क्षमता वाले रिएक्टरों का है। इस तरह के दो रिएक्टर भारत रूस से प्राप्त करने जा रहा है। ये कूदनकुलम (तमिलनाडु) संयंत्र में लगाए जाएंगे। रूस ने 1992 में एनएसजी का सदस्य बनने से पहले ही इनकी आपूर्ति का वचन दिया था। भारत और रूस कुटनकुलम में चार और रिएक्टर लगाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके लिये मौजूदा समझौते का विस्तार किया जा सकता है।

कनाडा से भी भारत को कैन्डू (सीएएनडीयू) रिएक्टर मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है। इससे थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र शीघ्र ही लगाए जा सकेंगे। भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और इसके लिये ब्रीडर रिएक्टर की प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। स्वतंत्र रूप से इसके विकास में 10-15 वर्ष का समय लग सकता है। परंतु कनाडा का रिएक्टर प्राप्त होने पर यह लक्ष्य 2010 तक हासिल किया जा सकता है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के प्रमुख श्रीकुमार बनर्जी का अनुमान है कि भारत में यूरेनियम के जो भंडार हैं उनसे 2020 तक केवल 10 गीगावाट का ही उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने एक भेंट में कहा है कि हमलोग 200 मेगावाट क्षमता के आठ नये रिएक्टर लगाने जा रहे हैं। यदि जैसी हमारी योजना है, नयी खानों में उत्पादन शुरू हो जाता है तो 2020 तक हम 5,600 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन करने लगेंगे। भारत की यूरेनियम खदानें मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हैं। ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और इनमें से अधिकांश में खनन के लिये वातावरण फिलहाल अनुकूल नहीं है। मेघालय में भी यूरेनियम के अच्छे भंडार मिले हैं, परंतु वहां पर्यावरण को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे क्षेत्र डोमियां सियाट में भी यूरेनियम के भंडारों का पता चला है, पर सुरक्षा कारणों से वहां भी फिलहाल उत्खनन संभव नहीं है। भारतीय यूरेयिम निगम (यूसीआईएल) देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी यूरेनियम की खोज के लिये प्रयत्नशील है। परंतु इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भारतीय यूरेनियम की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है जितनी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों से प्राप्त होने वाले यूरेनियम की। गुणवत्ता में उन्नीस ठहरने के कारण भी भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमतानुसार उत्पादन करने में असमर्थ रहे हैं। आयातित ईंधन से तीन नये प्रस्तावित रिएक्टरों को चलाया जा सकेगा। 220 मेगावाट के कैग-4 इकाई, आरएपीपी (राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र) की रावतभाटा स्थित पांचवीं और छठी इकाई, ईंधन की कमी के कारण चालू नहीं हो पाई है। अब उनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोकरापार (गुजरात) और रावतभाटा (राजस्थान) में 700 मेगावाट की दो-दो इकाइयां और प्रस्तावित हैं। एनएसजी से परमाणु व्यापार की अनुमति मिल जाने के बाद यूसीआईएल ने विदेशों में यूरेनियम की खोज और उत्खनन की

योजना बनाई है। इसके लिये यूसीआईएल ने तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में देश की अग्रणी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी (तेल और प्राकृतिक गैस निगम) के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम बनाने का प्रस्ताव रखा है। दोनों कंपनियां, खोज और खनन के अलावा यूरेनियम अयस्क के प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग और परिवहन के क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत-अमरीका असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर होने से पहले फ्रांस के साथ भारत का इसी प्रकार का समझौता संपन्न हुआ है। अमरीकी संसद (कांग्रेस) में समझौते के मसौदे को पारित होने में कुछ देरी लगी, इस बीच तय कार्यक्रमानुसार फ्रांस के साथ समझौता हो गया। दरअसल, सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति याक शिराक ने ही भारत की ऊर्जा समस्याओं से हमदर्दी दिखाते हुए चार वर्ष पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश के साथ मिलकर इस बात का समर्थन किया था कि केवल ईंधन की आपूर्ति करने के बजाय भारत के साथ किसी बड़े परमाणु समझौते की पहल की जानी चाहिए। फ्रांस के साथ हुए समझौते का रोचक पहलू यह है कि इसमें परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति, परमाणु सुरक्षा विकिरण, पर्यावरण संरक्षण और परमाणु ईंधन चक्र के प्रबंधन आदि जैसी बातें भी शामिल होंगी। फ्रांस अपने बिजली उत्पादन के लिये सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है। उसकी ज़रूरतों का लगभग 78 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से ही पूरा होता है। उसने पानी के दबाव से चलने वाले रिएक्टर बनाए हैं, जिसमें भारत की दिलचस्पी है। विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है परमाणु ऊर्जा के मामले में फ्रांस की प्रौद्योगिकी अमरीकी प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक उन्नत है और उससे वर्षों आगे है और फ्रांस के साथ हुए समझौते में कोई शर्त भी नहीं लगाई गई है। निश्चय ही फ्रांस के साथ परमाणु सहयोग भारत के ऊर्जा संकट के हल की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। फ्रांस की अरेवा कंपनी विश्व की सर्वश्रेष्ठ परमाणु ऊर्जा कंपनी मानी जाती है। उसके साथ परमाणु ऊर्जा विभाग की बातचीत शुरू हो गई है। अरेवा के अतिरिक्त भी फ्रांस की क़रीब 30 कंपनियां भारत के साथ असैन्य परमाणु व्यापार के लिये उत्सुक बताई जाती हैं। ये कंपनियां 100 अरब डॉलर के कारोबार पर निगाह लगाए बैठी हैं।

एक अगस्त, 2008 को जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ हुआ निगरानी समझौता और 6 सितंबर, 2008 को एनएसजी में मिली परमाणु व्यापार की छूट ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु सहयोग के क्षेत्र में योगदान करने के लिये भारत को एक उत्तम अवसर प्रदान किया है। इससे न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा बल्कि मित्र देशों की सहायता भी की जा सकेगी। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोड़कर के अनुसार, भारत भारी पानी के दबाव से चलने वाले (पीएचडब्ल्यूआर) रिएक्टरों के निर्माण में महारत हासिल कर चुका है। हाल ही में विएना में आईएईए की बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने इस रिएक्टर को विकासशील देशों को बेचने की पेशकश की। डॉ. काकोड़कर के अनुसार 220 मेगावाट क्षमता वाले ये रिएक्टर न केवल पूंजीगत लागत, बल्कि सुरक्षा निष्पादन और प्रति यूनिट ऊर्जा लागत की दृष्टि से भी स्पर्धात्मक हैं। यह प्रणाली लघु विद्युत ग्रिडों वाले विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। नयी और बदली हुइ परिस्थितियों में भारत न केवल परमाणु प्रौद्योगिकी और रिएक्टरों का आयात करेगा बल्कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित लघु रिएक्टरों और उनकी प्रौद्योगिकी का निर्यात भी कर सकेगा।

परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी के कारोबार में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिये भारत को 1962 के अपने परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करना होगा। हालांकि रिएक्टरों के निर्माण में लारसन एंड टूब्रो जैसी नामी कंपनियां पहले से ही लगी हुई हैं। परंतु ऊर्जा उत्पादन में उनकी भागीदारी के लिये कानून में परिवर्तन करना होगा। दरअसल, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियां उसी समय से भारत के दौरे पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर व्यापारिक संभावनाएं तलाश रही हैं, जब से परमाणु समझौते की रूप-रेखा रखी गई। जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अमरीका दौरे के दौरान जो युगांतकारी समझौता दोनों देशों के बीच हुआ उसने न केवल वैश्विक ऊर्जा व्यापार में लगी सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों की कंपनियों के जीवन में ऊर्जा का नया संचार किया बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चिंता को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। और अब इस महत्वपूर्ण समझौते के अमल का मार्ग साफ़ हो जाने के बाद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। उन्हीं के वित्तमंत्री रहते 1991 में देश आर्थिक संकट के लंबे और कठिन दौर से बाहर निकल सका था और अब उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व के दौरान देश का 34 वर्षों से चला आ रहा परमाणु वनवास समाप्त हुआ है। समझौते के फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 34 वर्ष पहले तमाम देशों से जो अलगाव पैदा हुआ था, वह अब व्यावहारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा प्रदूषण विहीन ऊर्जा मानी जाती है। इस क्षेत्र में भी भारत की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन पर अब सुचारू रूप से काम हो सकेगा।

अमरीका और फ्रांस के साथ परमाणु करारों पर हस्ताक्षर से रोज़गार के विपुल अवसर भी पैदा होंगे। रोज़गार की इस महती संभावना को देखते हुए देश के प्रमुख शिक्षा संस्थान ऊर्जा क्षेत्र के लिये कुशल वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन आदि तैयार करने के लिये कमर कस रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसी शैक्षणिक सत्र से नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी) में तीन वर्ष के एम. टेक. कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये फ्रांस के जोसफ कोरियर विश्वविद्यालय से सहयोग मिल रहा है। कोर्स के छात्रों को फ्रांस भी भेजा जाएगा। इसी प्रकार चेन्नई आईआईटी भी परमाणु ऊर्जा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। अगले वर्ष से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में दो वर्ष का एम. टेक. पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में तैयारी शुरू हो गई है। वैसे तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी मुंबई में लंबे समय से यह पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, परंतु अब तक अधिक छात्र इसमें नहीं आते थे। परंतु अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीशियनों और इंजीनियरों की मांग में वृद्धि की संभावना को देखते हुए अधिकाधिक छात्र इन पाठ्यक्रमों की ओर आकर्षित होंगे, ऐसी प्रबल संभावना है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल कर्मचारियों की कमी केवल भारत में ही नहीं है, यह विश्वव्यापी है। भारत का परमाणु वनवास समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र में भी नयी संभावनायें पैदा होंगी, ऐसा विश्वास है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

D दीक्षांत IAS — सिविल सेवा के लिए समर्पित संस्थान — **SYNERGY**

Tata McGraw-Hill
द्वारा शीघ्र प्रकाशित पुस्तकें

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ...
समाजशास्त्र
डॉ. एस.एस. पाण्डेय
Tata McGraw-Hill

भारतीय समाज
एक परिचय
डॉ. एस.एस. पाण्डेय
Tata McGraw-Hill

अन्य प्रकाशित पुस्तक :
'Changing Focus on LMR in India'
by Dr. S.S. Pandey

समाजशास्त्र

by

DR. S. S. PANDEY

प्रथम बैच प्रारम्भ
14 October, 08

द्वितीय बैच प्रारम्भ
11 November, 08

CSE-07 में हमारे संस्थान के सफल छात्र...

SONAL GOEL
RANK 13

ASHISH PANDEY CSE - 07

ARWIND WANI CSE 07

MAHENDER CSE-07

RAGHU KIRAN B CSE-07

ANU AGARWAL CSE-07

AJAY LINDA CSE-07

GAURAV SHARMA CSE-07

DEVESH GUPTA CSE-07

E.V. VARDHAN REDDY CSE-07

ARCHNA CSE-06

CSE-07 में हमारे अन्य चयनित छात्र

Chaavi Bhardwaj Rank 11	Vikas Pathak Rank 26	KAVLE VINOD PARASHURAM Rank 43	VIKAS NARWAL Rank 58	CHANDRA SHEKHAR Rank 79	MOHD ZUBAIR ALI Rank 82	ATUL KUMAR Rank 91	NEEVA JAIN Rank 99
S SATEESH BINO Rank 105	ALOK RAJORIA Rank 167	C VAMSI KRISHNA Rank 175	ARAVA RAJKAMAL Rank 179	RAHUL S Rank 241	DEVINDER ARYA Rank 244	GAURAV SHARMA Rank 264	NEEVA JAIN Rank 277
PRIYANKA SINGLA Rank 287	SADRE ALAM Rank 311	RAGHU KIRAN B Rank 343	SIBA PRASAD PANDA Rank 351	ROHIT RAJ Rank 364	DEVESH GUPTA Rank 378	SHAIFALI G SINGH Rank 395	ROHIT ANAND Rank 416
ANU AGARWAL Rank 485	AMIT RAJ Rank 488	SENTHIL K Rank 507	AJAY LINDA Rank 532	E V SHIVARAMAKRISHNA Rank 631	SACHIN KR. ATULKAR Rank 685	? आप भी हो सकते है?	

हमारे छात्रों द्वारा समाजशास्त्र (हिन्दी माध्यम, CSE) में अंक प्राप्त किया गया...

Students	Paper-I		Paper-II	Total
Naval Kishor	177	+	181	= 358
Amit Kr. Singh	178	+	167	= 345
Kumar Abhishek	174	+	168	= 342
Saurabh Nayak	170	+	171	= 341
Ashutosh Goswami	164	+	174	= 338
Ashok Yadav	177	+	150	= 327
Mahendra Sharma	173	+	153	= 326
Mritunjay Singh	152	+	174	= 326
Chandra Shakher	158	+	168	= 326
Ashish Pandey	170	+	155	= 325
Sanjeev Pathak	170	+	165	= 325
Vivek Sukrishan	167	+	156	= 323
Punam	165	+	155	= 320
Arvind Wani	164	+	153	= 317
Shweta Chandraker	182	+	132	= 314
Saloni	138	+	175	= 313
Rahul Singh	170	+	142	= 312
Sunita	157	+	150	= 307
Manoj Patel	171(1st Paper)			

PT +MAINS SPECIAL PROGRAMME, 09

- प्रश्नोत्तर परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें संभावित प्रश्नों के उत्तरों के रूपरेखा पर चर्चा एवं UPSC में पूछे गये 10 वर्षों के प्रश्नों की समीक्षा
- नवीन घटनाओं एवं नवीन सैद्धान्तिक विकास के साथ सम्बद्ध करते हुए अध्यापन एवं प्रत्येक सप्ताह Class Tests.
- UPSC के अतिरिक्त U.P., M.P., Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand, Chhattisgarh, Haryana, Himachal, PCS के लिए भी विशेष अध्यापन - कार्यक्रम
- Non Sociological Background वाले छात्रों के लिए 1 घंटे (प्रतिदिन) का विशेष कार्यक्रम

Distence Education Programme: प्रा०-2500/- | मुख्य : 3000/- | प्रा० + मुख्य : 5000/- | भेजें - D.D., Shipra Pandey के नाम देय

301-302, Jaina Building Extn. Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9, Tel. : 9312511015, 9868902785, 011-27654518

YH-11/08/21

भारत में बाल विकास : राज्यवार आंकड़े

क्र. स.	राज्य	शिशु मृत्युदर (प्रति एक हजार जीवित जन्म)	3 वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चे (% में)	टीकाकरण प्रसार (% में)	संस्थागत प्रसव सेवाओं का प्रसार (% में)	कक्षा I-X में पढ़ाई छोड़ने की दर
		2005-06	2005-06	2005-06	2005-06	2004-05
1.	उत्तर प्रदेश	73	47	23	22	43.77
2.	छत्तीसगढ़	71	52	49	15.7	*
3.	मध्य प्रदेश	70	60	40	29.7	64.7
4.	झारखंड	69	59	35	19.2	*
5.	असम	66	40	32	22.7	74.96
6.	उड़ीसा	65	44	52	38.7	64.42
7.	राजस्थान	65	44	27	32.2	73.87
8.	बिहार	62	58	33	22	83.06
9.	अरुणाचल प्रदेश	61	37	28	30.8	70.79
10.	आंध्र प्रदेश				68.6	63.69
11.	त्रिपुरा	52	39	50	48.9	73.36
12.	गुजरात	50	47	45	54.6	59.29
13.	दिल्ली	40	33	63	60.7	46.92
14.	पश्चिम बंगाल	48	44	64	43.1	78.03
15.	जम्मू-कश्मीर	45	29	67	54.3	53.75
16.	मेघालय	45	46	33	29.7	79.15
17.	कर्नाटक	43	41	55	66.9	59.38
18.	उत्तरांचल	42	38	60	36	*
19.	हरियाणा	42	42	65	39.4	32.48
20.	पंजाब	42	27	60	52.5	44.06
21.	नगालैंड	38	30	21	12.2	67.29
22.	महाराष्ट्र	38	40	59	66.1	54.16
23.	हिमाचल प्रदेश	36	36	74	45.3	32.42*
24.	मिज़ोरम	34	22	46	64.6	66.95
25.	सिक्किम	34	23	70	49	82.3
26.	तमिलनाडु	31	33	81	90.4	55.19
27.	मणिपुर	30	24	47	49.3	43.02
28.	गोवा	15	29	79	92.6	40.65
29.	केरल	15	29	75	99.5	7.15
	भारत	**57**	**46**	**44**	**40.7**	**61.92**

IAS PCS
संवाद
हिन्दी साहित्य
कुमार 'अजेय'
सफलता का मानक एक सफल शिक्षक के मार्गदर्शन से ही सम्भव है
नि:शुल्क कार्यशाला
11 5 PM November
सा. अध्ययन
संवाद टीम
BPSC : मुख्य परीक्षा स्वतंत्र बैच
हिन्दी साहित्य, इतिहास, L.S.W
टेस्ट सिरीज Tuesday
निबंध/साक्षात्कार
क्रैश कोर्स
For Working Students Classes on SAT & SUN
पत्राचार उपलब्ध
दर्शनशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन
नोट Allahabad Almighty IAS में भी नोट्स + कक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं
A-35/36, Basement, Bhandari House (Behind Post Office)
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
65025294, 9213162103, 9891360366
YH-11/08/3

फार्मर्स फील्ड स्कूल

उन्नत खेती का ज्ञान – फसल बने वर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ उठाइये:

दलहन स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति रू0 7500 प्रति हे0 तक की आर्थिक सहायता
समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) रू0 750 प्रति हे0 तक की आर्थिक

गेंहू सिचाई के लिए प्रति पम्प सेट रू0 10,000 तक की आर्थिक सहायता

अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि अधिकारी से मिलें या 1551, किसान कॉल सेन्टर पर निःशु

किसान की उन्नति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
NATIONAL FOOD SECURITY MISSION

प्रगतिशील किसानों व विशेषज्ञों से उन्नत खेती की जानकारी प्राप्त करें।

1. अपने घर के निकट स्थापित फार्मर्स फील्ड स्कूल में भाग लेकर आप बेहतर उत्पादन तथा पैदावार के लिए मिट्टी, उर्वरक, कीटनाशकों तथा फसल प्रबंधन की श्रेष्ठ विधियाँ सीख सकते हैं। फार्मर्स फील्ड स्कूल में आपको 'सजीव' प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2. यह प्रशिक्षण पूरे फसल चक्र के दौरान चलेगा । इसमें हर सप्ताह 4–5 घंटे का एक सत्र होगा।
3. धान की सघन प्रणाली सीखें। इसके ज़रिये आप कम पानी और उर्वरक का इस्तेमाल कर धान की उपज 30–50 प्रतिशत बढ़ा सकते हैं।
4. अपने खेत तथा मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त धान, गेहूँ तथा दलहन की श्रेष्ठ किस्मों के साथ–साथ उपयुक्त बीज दर, इनके मिलने के स्थान, कीमत तथा बुआई की विधि और समय की जानकारी भी पाएँ।
5. उर्वरक इस्तेमाल करने के उपयुक्त तरीके, उसकी मात्रा तथा उपयोग के समय की जानकारी पाएँ ताकि कम कीमत और मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त करें।
6. मिट्टी में उर्वरक शक्ति में सुधार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित अन्य पोषक तत्वों के सही अनुपात में प्रयोग का तरीका सीखें।
7. पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचानना सीखें जिससे उनका समय पर उपचार कर पाएँ।
8. अम्लीय एवं क्षारिय मिट्टियों के लक्षणों को पहचानना सीखें। चूना और जिप्सम उपयोग करने की सही विधि और उपयुक्त समय की जानकारी पाएँ।
9. उपज तथा लाभ में वृद्धि के लिए फसल की सही समय पर सिंचाई की अवस्था की जानकारी पाएँ।
10. जैविक कीट नियंत्रक विधि सीखें ताकि फसल उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ कीटनाशकों का उपयोग कम किया जा सके।

याद रखें कि उचित समय पर उचित मात्रा में बीज, खाद, पानी और कीट प्रबंधन के प्रयोग से अधिकतम फसल उत्पादन प्राप्त होता है।

davp01101/13/0046/0809

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

YH-11/08/12

घाटी में रेल : पहले ही दिन जीता कश्मीर का दिल

श्रीनगर स्टेशन पर जमा सैकड़ों लोगों को जैसे ही लाल रंग की चमचमाती ट्रेन की पहली झलक दिखी, उन्होंने सीटियां बजाकर तालियों की गड़गड़ाहट से वादी की पहली ट्रेन के यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

ट्रेन के हर डिब्बे में नब्बे लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ऐसे आठ डिब्बों में दस हजार से अधिक यात्री सवार थे। पर यात्रियों के उत्साह को देखकर किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई यह ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकी। औरत, मर्द, जवान और बच्चे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यात्रियों ने खिड़की से बाहर झांककर और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। श्रीनगर स्टेशन पर ट्रेन से तकरीबन पांच सौ यात्री उतरे।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन की शुरुआत की थी। उस दिन स्टेशन पर आम लोगों की उपस्थिति नगण्य थी। श्रीनगर स्टेशन के प्रबंधक जुबैर मजीद ने बताया "रविवार को दस हजार से अधिक लोगों ने ट्रेन से यात्रा की। स्टेशन पर आए लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि मैं उनकी गिनती करने में असमर्थ था।"

यह ट्रेन श्रीनगर और अनंतनाग के बीच दिन में दो बार चलेगी। रास्ते में पंपोर, काकपोस, अवंतिपोरे, पजगाम और बिसबेहारा में रुकेगी। इस ट्रेन ने मध्य कश्मीर के बड़गाम और राजवंशर स्टेशनों को श्रीनगर से जोड़ा है।

जाड़े के मौसम में ठंड से बचाव के लिये ट्रेन के केबिन में ताप नियंत्रक उपकरण लगाए गए हैं। बर्फ़बारी से ट्रेन के आवागमन पर कोई असर न हो इसके लिये एहतियाती उपाय भी किए गए हैं।

कश्मीर में यात्रियों के लिये शुरू हुई रेल सेवा ने पहले ही दिन लोगों का दिल जीत लिया। उस दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगे, जैसे हर कोई इस पहले सफ़र के ऐतिहासिक पल का भागीदार बनना चाहता था। बड़गाम जिले के राजवंशेर स्टेशन से लेकर अनंतनाग जिले के स्टेशन तक हर स्टेशन पर भीड़ रही। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेनों में जगह न होने की वजह से बहुत से लोग इसमें चढ़ ही नहीं सके और बाद में उन्होंने अपना टिकट वापस कराया।

पहले दिन हज़ारों लोगों ने यहां रेल के सफ़र का लुत्फ़ उठाया। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर एक रेल अधिकारी ने बताया कि "रेल के सभी आठ कोच पूरी तरह ठसाठस भरे हुए थे। अधिकांश यात्रियों ने अनंतनाग तक की टिकट ली, जिसमें बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर लोगों का ट्रेन पर चढ़ना मुश्किल हो गया।" उन्होंने कहा कि हमने उन सभी लोगों के टिकट वापस किए जो ट्रेन में जगह नहीं होने की वज़ह से जा नहीं सके थे। रेल में कुल 720 लोग बैठ सकते हैं। फिलहाल रेल चार चक्कर लगाती है।

अली मोहम्मद वानी नौगाम के रेलवे स्टेशन पर सुबह सात बजे पहुंच गए, जबकि रेल के वहां पहुंचने में काफी समय था। वानी ने कहा कि इससे पहले हमने जम्मू-दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में ही रेल देखी थी, ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलगाड़ी हमारे इलाके में दौड़ रही है। अनंतनाग से लौटते वक़्त उन्होंने बताया कि वह इसका सफ़र करने वालों में सबसे पहले सदस्य होना चाहते थे। यहां के बाग़-ए मेहताब इलाके में रहने वाले गलीचा व्यापारी वानी ने कहा कि रेल सेवा काफी ज़रूरी थी। उन्होंने रेल में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बताया।लेकिन उनका कहना था कि रेलों के चक्कर ज्यादा होने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ❑

सद्भावना के फल लेकर ट्रक पहुंचे सीमापार

पहले दिन सीमा पार से 14 ट्रक आए और जम्मू-कश्मीर से 13 भेजे गए। राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने इसका उद्घाटन किया।

क़रीब छह दशकों तक बंद रहने के बाद जब कश्मीर की नियंत्रण रेखा व्यापार के लिये खुली तो पाकिस्तान का पत्थर नमक, पेशावरी चप्पलों और फल-सब्ज़ियों से लदे ट्रक भारतीय ज़मीन पर दिखाई दिए।

चुनावी आचार संहिता के कारण राजनीतिक दल इस समारोह से दूर रहे, लेकिन यह पिछले महीने में कश्मीर को तीसरा बड़ा तोहफा था। इसके पहले केंद्र सरकार कश्मीर को रेल सेवा और बगलिहार परियोजना के दो बड़े तोहफे दे चुका है।

जम्मू-कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच व्यापार की अधिकारिक रूप से शुरुआत हुई। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एन. एन. वोहरा ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) रवाना किया। पीओके से भी ट्रक जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार करके आए। पुंछ में राज्यपाल के सलाहकार एच.एच. तैयबजी ने इस रस्म को पूरा किया।

ताज़ा फलों और कश्मीरी वस्तुओं से भरे 13 टाटा गाड़ियों को सजाकर उड़ी के सलामाबाद लाया गया था। पीओके से मक्की, बासमती चावल, हल्दी, मसाले, पत्थर नमक और पेशावरी चप्पलों से भरे हुंडाई के 14 ट्रकों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। हर तीन महीने बाद दोनों ओर के व्यापारियों की बैठक होगी जिसमें व्यापार के बारे में बातचीत कर मुश्किलों को दूर किया जाएगा। अमरनाथ विवाद के बाद कश्मीर में बने हालात को दुरुस्त करने और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिये ऐसे कदम उठाए गए हैं।

जिस झेलम वैली मार्ग को लेकर अलगाववादियों और कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों ने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग खोलने के लिये इतना ज़ोर लगाया, इस मार्ग को जम्मू-कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया था। इस मार्ग पर केवल घोड़ा गाड़ी चल सकती थी। इस मार्ग को बनवाने के लिये विदेश से इंजीनियरों की मदद ली गई थी। ❑

मुद्रा वायदा कारोबार : संभावना और चुनौतियां

● ओ.पी. शर्मा

भारत ने मुद्रा वायदा कारोबार प्रारंभ कर आर्थिक उदारीकरण की गति तेज़ कर दी है। मुद्रा वायदा कारोबार को एक प्रकार से रुपये के पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा में कदम के रूप में देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभिक वर्षों में तारापोर समिति ने रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिये तीव्र आर्थिक विकास की दर, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और नियंत्रित महंगाई को आवश्यक बताया था। उस परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा वायदा कारोबार पर चर्चा समीचीन है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था विकास की गति धीमी पड़ गई है। वित्त वर्ष 2008-09 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर घटकर 7.9 प्रतिशत रह गई। अर्थव्यवस्था का अन्य चिंताजनक पहलू मुद्रास्फीति का 23 अगस्त, 2008 के समाप्त सप्ताह में 12.34 प्रतिशत के आंकड़े पर होना था। मुद्रास्फीति की दर 25 अगस्त, 2007 को केवल 3.94 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार जो मई 2008 में 306.2 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा था वह तेज़ी से गिरकर 15 अगस्त, 2008 को 286 करोड़ डॉलर ही रह गया। इन सब चिंताजनक पहलुओं के बीच मुद्रा वायदा कारोबार शुरू होने के कारण रुपया का डॉलर के सामने अर्थव्यवस्था की अनुकूल स्थिति में बने रहना मुश्किल होगा।

भारत में मुद्रा वायदा कारोबार पहली बार 29 अगस्त, 2008 को प्रात: 9 बजे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रारंभ हुआ। इसका उद्घाटन वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने किया। मुद्रा वायदा को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तथा बांबे स्टॉक एक्सचेंज भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुके हैं। मुद्रा वायदा एक ऐसा बाज़ार है जिसमें विदेशी मुद्रा को अग्रिम रूप से बेचने या ख़रीदने का सौदा किया जाता है। जिस तिथि को यह सौदा होता है उससे आगे की तिथि पर विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण होता है। मुद्रा वायदा में सौदा अग्रिम विनिमय दर पर होता है। भारत में अगस्त 2008 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने मुद्रा वायदा कारोबार के संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, रुपये का वायदा कारोबार केवल अमरीकी डॉलर से होगा और सौदों का अंतिम निबटान रुपये की विनिमय दर से होगा। मुद्रा में वायदा अनुबंध डॉलर की तुलना में रुपये की क़ीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर होंगे। सौदों का आकार एक हज़ार अमरीकी डॉलर प्रति अनुबंध होगा। सौदे की अवधि 12 माह की होगी तथा एक व्यक्ति को अधिकतम 200 अनुबंध करने की अनुमति होगी। सौदों का निबटान प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को दोपहर 12 बजे होगा। मुद्रा वायदा के सौदे कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच किए जा सकेंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ट्रेडिंग सदस्य के लिये एक करोड़ तथा क्लेयरिंग सदस्य के लिये 10 करोड़ रुपये नेटवर्थ बैलेंस शीट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा क्लीयरिंग सदस्य के लिये 50 लाख रुपये तरल नेटवर्थ की अलग से ज़रूरत होगी। स्पष्ट है मुद्रा वायदा कारोबार महंगा सौदा होगा। इसमें कारपोरेट तथा वैयक्तिक ऊंची संपदा (एचएनआईज) वाले भूमिका निभाएंगे। रिज़र्व बैंक ने मुद्रा वायदा कारोबार के शुरुआत में केवल 'रेजिडेंट इंडियंस' को मुद्रा वायदा में सहभागिता की अनुमति दी है। अभी विदेशी निवेशकों को इससे दूर रखा गया है। हालांकि वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने विदेशी संस्थागत निवेशकों और अप्रवासी भारतीयों को भी मुद्रा वायदा में कारोबार की अनुमति दिए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ब्याजदर डेरिवेटिव और साख डेरिवेटिव भी शुरू करने का सुझाव दिया।

भारत में मुद्रा वायदा की 29 अगस्त, 2008 को, पहले ही दिन अच्छी शुरुआत हुई। इसमें कंपनियों, दलालों और फुटकर निवेशकों ने अपेक्षा से अधिक कारोबार किया। इस दिन मुद्रा वायदा शुरू होते ही पहले ही मिनट में (प्रात: 9.01 बजे) पांच हज़ार से ज्यादा सौदे हुए। पहला सौदा 44.1500 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर हुआ। पहले दिन रुपया 44.50 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंचा और यह 43.94 रुपये पर बंद हुआ। रुपया मुद्रा वायदा (करेंसी फ्यूचर्स) में डॉलर के मुक़ाबले कहां टिक सकेगा इस बात का पता इस बाज़ार से आगे प्रतिदिन चल सकेगा। फिलहाल पहले दिन तो रुपया बंद भाव के हिसाब से 28 अगस्त, 2008 के मुक़ाबले कमज़ोर पड़ा। मुद्रा वायदा में सहभागियों का बड़ा भाग दो मुद्राओं को लेकर आपस में बंटा नज़र आया। कुछ सहभागियों ने जहां निकट भविष्य में डॉलर की और मज़बूती पर सौदे किए वहीं ज्यादातर सहभागियों ने अगले कुछ हफ़्तों में अमरीकी डॉलर में गिरावट का लक्ष्य रखकर सौदे किए। मुद्रा वायदा के पहले दिन अधिकतर सौदे सितंबर और अक्तूबर 2008 के थे।

भारत में मुद्रा वायदा कारोबार की अच्छी शुरुआत से इसके भविष्य में गति पकड़ने की संभावना है। अनुमान है मुद्रा वायदा कारोबार

एक वर्ष में ही 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि नारायण के अनुसार मुद्रा वायदा का रोज़ाना कारोबार 35 अरब डॉलर का हो सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूत्रों के अनुसार 29 अगस्त, 2008 तक मुद्रा के वायदा कारोबार के खंड में उतरने और खरीद-बिक्री करने के लिये 300 से अधिक सदस्यों और 11 बैंकों ने पंजीकरण कराया है। मुद्रा वायदा में एफआईआई और एनआरआई को अनुमति मिलने से कारोबार और अधिक फैलेगा।

भारत में मुद्रा वायदा कारोबार की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके जवाब में वित्तमंत्री पी. चिदंबरम कहते हैं, "आर्थिक विकास को गति देने के लिये भारत में इस तरह के कारोबार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।" विकसित देशों में मुद्रा वायदा काफी पहले से तथा बड़े आकार में है। मुद्रा वायदा में कांट्रेक्ट आकार जापान में एक लाख 15 हज़ार डॉलर तथा ऑस्ट्रेलिया में 86 हज़ार डॉलर है जबकि भारत में यह एक हज़ार डॉलर से शुरू ही हुआ है। भारत में मुद्रा वायदा के पक्ष में बात यह है कि हाल के वर्षों में विनिमय दर में भारी उतार-चढ़ाव से अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा था। देश की कंपनियां भी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव से अछूती नहीं रह सकीं। भारतीय रिज़र्व बैंक भी एक रिपोर्ट में कह चुका है कि विनिमय दर में अत्यधिक हलचल से कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर पड़ सकता है।

भारत में रुपये की विनिमय दर में बदलाव को देखें तो जहां रुपया हाल के वर्षों में डॉलर के मुक़ाबले मज़बूती के ऊंचे स्तर पर पहुंचा वहीं उसके मुक़ाबले निचले स्तर तक भी लुढ़का। रुपये की विनिमय दर में भारी परिवर्तन के पीछे भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की घटकों की तुलना में अमरीकी डॉलर संकट का प्रभाव अधिक है। इधर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में खनिज तेल की क़ीमतों में उछाल ने भी मुद्राओं की विनिमय दर में उथल-पुथल मचा दी। तेल की क़ीमत और डॉलर एवं रुपये की विनिमय दर में संबद्धता देखने को मिलती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में खनिज तेल की क़ीमतों में गिरावट आती है तो डॉलर मज़बूत होता है परिणामस्वरूप रुपया कमज़ोर पड़ने लगता है। इसके विपरीत कच्चे तेल की क़ीमतें बढ़ती हैं तो डॉलर कमज़ोर पड़ता है। इसका थोड़ा प्रभाव रुपये की मज़बूती के रूप में देखने को मिलता है। यहां रुपये की थोड़ी मज़बूती के पीछे कारण यह होता है कि तेल की क़ीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ना प्रारंभ हो जाती है।

रुपये की विनिमय दर में बदलाव का अर्थव्यवस्था पर विहंगम प्रभाव पड़ता है। बीते महीने (2007-08) में जब रुपया मज़बूती पर था, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के नये आयाम देने वाले सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का निर्यात लड़खड़ाने लगा। इसके विपरीत जब रुपया कमज़ोर पड़ने लगता है तो निर्यातों में वृद्धि, आयात महंगे, महंगाई, विदेशी ऋण का अधिक बोझ आदि प्रभाव पड़ने लगते हैं। विनिमय दर परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिये विनिमय दर को एक अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। इस काम के लिये मुद्रा वायदा कारोबार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मुद्रा के वायदा कारोबार के जरिये आयातक और निर्यातक अपने ज़ोखिम का आकलन कर के सौदे कर सकते हैं। इससे ज़ोखिम कम हो जाता है। डॉलर और रुपये की विनिमय दरों में अस्थिरता बढ़ती रही है। डॉलर की दरों में अपेक्षा से ज्यादा उतार-चढ़ाव होने की स्थिति में आयातकों और निर्यातकों को घाटा होने की संभावना रहती है। मुद्रा वायदा कारोबार के जरिये विनिमय दरों के तेज़ उतार-चढ़ाव पर काबू पाया जा सकता है। अगर ऐसा संभव होता है तो मुद्रा वायदा का भारत के विदेशी व्यापार पर निश्चित रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत में मुद्रा वायदा की अभी नयी शुरुआत है। इसके विकसित होने के मार्ग में कठिनाइयां होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सबसे अधिक चिंताप्रद बात तो निवेशकों का शेयर बाज़ार से विश्वास कम हो जाना है। इसका बुरा असर मुद्रा वायदा कारोबार पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा निवेशकों को मुद्रा वायदा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस पर कर ढांचे की भी पेचीदगी है। नये खिलाड़ियों के लिये नकद निबटान का तरीक़ा नया है जो अब तक भौतिक निबटान पद्धति अपनाते आए हैं। इसके अलावा ऐसे बिचौलिये जो पहले से ही ओटीसी बाज़ार में ट्रेडिंग कर रहे हैं वे मुद्रा वायदा का अलग से लाइसेंस लेने से कतरा रहे हैं। ओटीसी एक ऐसा बाज़ार है जहां काउंटर आधार पर मुद्रा का क्रय और विक्रय किया जाता है। बहुत से छोटे खिलाड़ियों को पहले से ही स्थापित काउंटर प्रतिस्पर्धियों से मुक़ाबला करने की चुनौती है। ये सब मुद्रा वायदा कारोबार के मार्ग में ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका समाधान रिज़र्व बैंक और सेबी को करना होगा। इसके साथ मुद्रा वायदा से रुपया पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा में बढ़ता है तो भारत को पूर्व के 'आसियान संकट' से सबक लेते हुए इस तरह के संकट से बचने के कदम भी उठाने होंगे। वैसे भारत में आर्थिक सुधारों को लागू हुए सतरह वर्ष हो चुके हैं, किंतु रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिये भारत की अर्थव्यवस्था के दहाई अंक की विकास दर अर्जित करने तक इंतजार करना बेहतर होगा। ❑

(लेखक राजस्थान के सवाईमाधोपुर स्थित आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंध विभाग में व्याख्याता हैं।
ई-मेल : opsomdeep@yahoo.com)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिये कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिये कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

– वरिष्ठ संपादक

SIHANTA IAS

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास
रजनीश राज
15 कार्यशाला नवम्बर प्रातः 11 बजे

G.S.
रजनीश राज एवं टीम
10 कार्यशाला नवम्बर सायं 4 बजे

दर्शनशास्त्र
प्रभात राय
11 कार्यशाला नवम्बर प्रातः 8 बजे

चयनित अभ्यर्थी (UPSC -2007)

Ranjit Kr. Singh
Rank - 49

Girivar Dayal Singh
Rank - 51

Tafseer Iqbal
Rank -181

Rupesh Kumar
Rank - 197

Neha (Rank - 237)

Ranjan Kr. Singh
Rank - 257

Yagyesh Rank - 276

Digvijai Chaudhary
Rank - 302

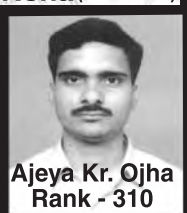
Ajeya Kr. Ojha
Rank - 310

Ajay Kumar
Rank - 339

Waseem Ur Rehman
Rank - 404

Pawan Kr. Khetan
Rank - 449

Suhani Mishra
Rank - 450

Ravi Ranjan Kumar
Rank - 669

B.P.S.C. मुख्य परीक्षा हेतु

इतिहास विषय के लिए रजनीश राज के मार्गदर्शन में 15 अक्टूबर से विशेष सत्र

स्थान ▶ सृजन मार्गदर्शन सह-शिक्षण संस्थान, मैत्री शांति भवन, बी.एम.दास रोड, पटना

फोन :- 0611-688072, 09204117719

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -9

011-42875012, 9873399588, 9891941827, 9212575646

YH-11/08/6

ग़रीबी निर्धारण का अर्थशास्त्र

● रहीस सिंह

अमीरी और ग़रीबी के मध्य लगातार बढ़ती हुई खाईं जटिल संघर्षों को जन्म दे सकती है। दुनिया में ग़रीबों को अध्ययन का एक विषय मात्र बना दिया गया है

जब से वैश्वीकरण और उदारवाद का दौर आरंभ हुआ है, दुनिया ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की है। फोर्ब्स की सूची में अमीरों की संख्या में लगातार वृद्धि, पांच से दस करोड़ प्रतिमाह वेतन पाने वाले मेधावी युवकों को देखकर लगता है कि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन इस प्रगति में बहुत कुछ ऐसा भी छिपा हुआ है जो आने वाले समय में जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आज की कुछ सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में इसकी झलक देखी जा सकती है जिनका सीधा सरोकार इन्हीं आर्थिक विकासों से है। प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में इस आर्थिक विकास के साथ-साथ आम आदमी की ज़िंदगी भी खुशहाल हुई है ? क्या ग़रीबी और बेरोज़गारी की दर में आधारभूत कमी हुई है अथवा ग़रीबों की स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन हुआ है?

कुछ समय पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी ने दुनिया के सामने इसी संबंध में एक ज्वलंत सवाल पेश किया। उनका कहना था कि आर्थिक प्रगति का सीधा सरोकार आम आदमी की ज़िंदगी से होता है। इसलिये यदि दुनिया तेज़ी से आर्थिक प्रगति कर रही है तो उसका प्रभाव आम आदमी पर दिखना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। श्री सरकोजी ने तो इसका पता लगाने के लिये दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों - अमर्त्य सेन और स्टिंगिल्ट्ज के नेतृत्व में एक समिति बनाई है। लेकिन शेष दुनिया शायद केवल आंकड़ों का अर्थशास्त्र दुरुस्त करने में लगी हुई है क्योंकि आंकड़े ही यह तय करते हैं कि आम आदमी से लेकर खास आदमी तक का जीवन किस तरह से यापन होता है। हालांकि आजकल घरेलू स्तर से लेकर एशियन विकास बैंक और विश्व बैंक के स्तर तक यह मुद्दा गंभीर बना हुआ कि आखिर ग़रीब किसे माना जाए? उसे, जिसकी आय 1 डॉलर प्रतिदिन या उससे कम है अथवा उसे, जिसकी आय 1.25 डॉलर प्रतिदिन या उससे कम है या फिर उसे, जिसकी आय 1.35 डॉलर प्रतिदिन या उससे कम है। इन सबसे अलग हटकर भारत जैसे देश अपने पारंपरिक ढंग को ग़रीबी निर्धारण का सर्वश्रेष्ठ पैमाना मानते रहे जिसके अनुसार केवल वे लोग ग़रीब हैं जो प्रतिदिन 2,400 कैलोरी से कम भोजन से पेट भर पाते हैं। देश में इस श्रेणी की 26 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय लेखा सेवा इसी आधार पर गणना करती है। ग़रीबी के निर्धारण का एक और भी तरीक़ा चलन में है जो विश्व बैंक ने प्रतिपादित किया था और अब पुनरीक्षण किया है। विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित फार्मूला पीपीपी यानी क्रय शक्ति समता का है जिसके तहत दुनिया के देशों के बीच ग़रीबी के मध्य तुलनात्मक स्थिति जानने का प्रयास किया गया है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक का 1 डॉलर प्रतिदिन के आधार पर ग़रीबी आकलन का

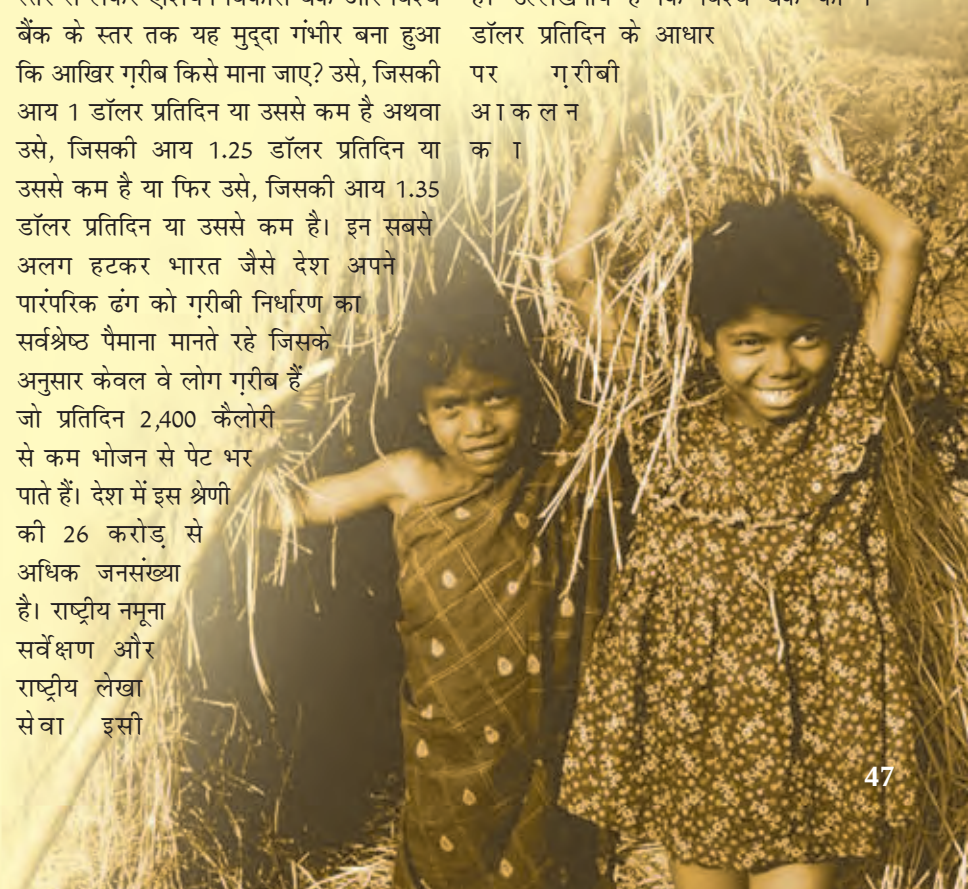

तरीक़ा दुनिया के देशों के बीच घरेलू स्तर पर तुलनात्मक उपभोग पर आधारित है, जो उपभोग पीपीपी के नाम से जाना जाता है। ग़रीबी प्रतिदर्श में तुलनात्मक अध्ययन के लिये यद्यपि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीक़े के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं के एक सेट के तुलनात्मक मूल्य को लिया जाता है जिससे अलग-अलग देशों के ग़रीब क्रय करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, इसलिये इसे भी पूरी तरह से उचित नहीं माना जा सकता है। जैसे- इसमें अंशकालिक निर्धारण संभव नहीं है जबकि वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई और मुद्रास्फीति में परिवर्तन बहुत जल्दी-जल्दी हो रहे हैं।

पिछले दिनों एशियाई विकास बैंक(एडीबी) द्वारा एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2008 प्रकाशित की गई जिसमें ग़रीबी से जुड़े नये निर्धारकों (न्यू मेजर्स) को लेकर एशियाई ग़रीबी रेखा (एशियन पॉवर्टी लाइन) का निर्माण किया गया। अगर एशिया के देश इसे स्वीकार कर लेते हैं तो भारत जैसे देश में ग़रीबों का प्रतिशत कम से कम 50 का आंकड़ा पार कर सकता है। यह रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक के वार्षिक सांख्यिकीय प्रकाशन के तहत एक विशेष अध्याय 'की इंडीकेटर्स 2008' के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसमें क्रियाविधि संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग़रीबी निर्धारण की तुलनात्मक व्याख्या करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर एक विशिष्ट अध्याय 'कंपेयरिंग पॉवर्टी एक्रास कंट्रीज : द रोल ऑफ पर्चेजिंग पॉवर पैरिटीज' है जिसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये तुलनात्मक ग़रीबी दरों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। एशियाई विकास बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री अफजल अली ने इस रिपोर्ट को ग़रीबी निर्धारण के मामले में मील का पत्थर माना है। उनकी दृष्टि में इस रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक ग़रीबी आकलन का इतना गंभीर और संवेदनशील विश्लेषण पहली बार सामने आया है जिससे विशेषकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये उपयुक्त ग़रीबी-रेखा अपनाई जा सकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एशिया के देशों ने अपने-अपने अनुसार ग़रीबी-रेखा का निर्धारण कर रखा है जिससे ग़रीबी की दर और ग़रीबों की संख्या का वास्तविक प्रतिबिंबन नहीं हो पाता। भारत में अब तक परंपरागत फार्मूला ही चल रहा है। उसी परंपरागत फार्मूले के आधार पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में वर्ष 2004-05 में 22.15 प्रतिशत लोग ग़रीबी-रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे थे जो 1977-78 के 51.3 प्रतिशत के मुक़ाबले आधे ही रह गए हैं। इसका आधार था ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्रतिमाह 211.30 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिये 454.11 रुपये मासिक आय। भारत में ग़रीबी की दर और उसमें आई कमी तालिका 1 में देखी जा सकती है :

अगर थोड़ी देर के लिये केवल कैलोरी के

क्या है क्रय शक्ति समता (पर्चेजिंग पावर पैरिटी - पीपीपी)?

क्रय शक्ति समता (पीपीपी) दो मुद्राओं के मध्य क्रय शक्ति की समता स्थापित करने वाला दीर्घकालिक सिद्धांत है, जिसे 1920 में गुस्ताव कैसल ने विकसित किया था। यह 'लॉ ऑफ वन प्राइस' के नाम से भी जाना जाता है। इसे निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है :

$S = P1 / P2$

जहां

S= मुद्रा 1 और मुद्रा दो की विनिमय दर का प्रतिनिधित्व करती है

P1= किसी वस्तु की मुद्रा 1 में क़ीमत

P2= किसी वस्तु की मुद्रा 2 में क़ीमत

अथवा

$\$/£ = \$P/£P$

जहां

$ = अमरीकी डॉलर

£ = ब्रिटिश पाउंड

P = क्रय शक्ति

इस स्थिति में यदि किसी विनिमय दर अधिक है तो पाउंड की क़ीमत डॉलर के मुक़ाबले वृद्धि दर्शाने वाली होगी और यदि विनिमय दर कम है तो डॉलर की क़ीमत पाउंड के मुक़ाबले वृद्धिपरक होगा। उदाहरण के तौर पर निश्चित वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली बास्केट का मूल्य अमरीका में 1,500 डॉलर है और ब्रिटेन में 1,000 ब्रिटिश पाउंड तो पीपीपी विनिमय दर 1.50 डॉलर/पाउंड हुई। यदि वास्तविक विनिमय दर 1.80 डॉलर /पाउंड हो तो पाउंड की क़ीमत उपयुक्त पीपीपी के आधार पर 20 प्रतिशत अधिक प्रदर्शित होगी अथवा डॉलर की क़ीमत 16.7 प्रतिशत कम प्रदर्शित होगी।

पीपीपी और बाज़ार विनिमय दरों के मध्य काफी अंतर रहता है। उदाहरण के तौर पर विश्व विकास संकेतक 2005 के आकलन के मुताबिक 1 अमरीकी डॉलर की क्रय शक्ति समता (पीपीपी) 1.8 यूयान थी जबकि सामान्य विनिमय दर के हिसाब से 1 डॉलर का मूल्य 7.8 यूयान के बराबर था। उल्लेखनीय है कि चीन का प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1,800 डॉलर है लेकिन पीपीपी के आधार पर यह 7,204 डॉलर हो जाता है। इसके विपरीत जापान का सामान्य प्रतिव्यक्ति घरेलू उत्पाद 37,000 डॉलर था लेकिन पीपीपी के आधार पर यह 30,615 रह गया।

बिग मैक इंडेक्स : क्रय शक्ति समता को आकलित करने का यह एक और तरीक़ा है जो अर्थशास्त्रियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। इसके तहत मैकडोनाल्ड के बिग मैक बर्गर की दुनिया अलग-अलग देशों के रेस्तरां से क़ीमत लेकर तुलनात्मक मूल्य निकाला जाता है।

उदाहरण के तौर पर यदि बिग मैक की अमरीका में क़ीमत 4 डॉलर है और ब्रिटेन में 3 पाउंड है तो पीपीपी के आधार पर 1 डॉलर की क़ीमत 3/4 पाउंड होगी या 1 ब्रिटिश पाउंड की क़ीमत पीपीपी के आधार 4/3 डॉलर होगी। इसे लोकप्रिय बनाने वाले अर्थशास्त्री इसलिये उपयोगी मानते हैं क्योंकि इसके तहत विभिन्न देशों में वस्तु की अंतिम क़ीमत मालूम की जा सकती है। लेकिन बिग मैक आम लोगों का भोजन नहीं है बल्कि उच्च एवं उच्च मध्यम वर्ग का भोजन है इसलिये इसे आधार बनाकर पीपीपी का निर्धारण करना और फिर उसके आधार पर ग़रीबी का आकलन करना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ❑

आधार को ही तर्कसंगत मान लें (जोकि वास्तव में है नहीं। इससे अधिक कैलोरी तो खाद्य संग्राहक और आखेटक जनजातियां भी प्राप्त कर लेती हैं) तो भी भारत में इस समय 22.15 प्रतिशत लोग ग़रीबी-रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि यह ग़रीबी को मापने का उपयुक्त पैमाना नहीं है क्योंकि भोजन के अलावा ग़रीब लोग अन्य कई प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होते हैं। अभी हाल ही में योजना आयोग ने स्वयं छह क्षेत्रों के 27 तत्वों को निश्चित किया है जिनके आधार पर ग़रीबी की दशा की पहचान हो सकती है। इनमें औसत आय और भोजन की उपलब्धि के अलावा यह भी देखा जाएगा कि उनके बच्चे स्कूल जाने से, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से, पेयजल व साफ़-सफ़ाई से, बिजली, सड़क और शुद्ध हवा की सुविधा से वंचित तो नहीं हैं। दरअसल, ग़रीबी एक ऐसा कारक है जो ऐसे दुर्दांत चक्र को जन्म देता है जिससे छुटकारा मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। ग़रीबी के कारण ग़रीब सुविधाओं से वंचित रह जाता है और सुविधाओं से वंचित रह जाने के कारण वह और भी ग़रीब होता जाता है। ग़रीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बीमारी, बेरोज़गारी और पर्यावरण प्रदूषण सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है भारत मानव विकास सूचकांक के मामले में बहुत पीछे (127वें पायदान पर) है।

तालिका 1

वर्ष	दौर	ग़रीबी दर (%)	ग़रीबी में कमी (पांच वर्ष में)(%)
1977-78	32वां	51.3	
1983	38वां	45.65	11.01
1987-88	43वां	39.09	14.37
1993-94	50वां	37.27	4.66
1999-00	55वां	26.09	30.00
2004-05	61वां	22.15	15.10

पिछले दिनों एशियाई विकास विकास बैंक और विश्व बैंक की दो रिपोर्टें एक साथ आईं, दोनों ने अपने-अपने हिसाब से निर्धारकों को अपनाकर अलग-अलग निष्कर्ष दिए। दोनों निष्कर्षों में कौन-सा उपयुक्त है यह बता पाना मुश्किल है परंतु दोनों ही स्थितियों में भारत जैसे विकासशील देश द्वारा अपनाए जाने वाले निर्धारकों को तो अस्वीकृत ही होना है। हालांकि इसके बाद भी स्थिति विभ्रममूलक रहने की संभावना रहेगी क्योंकि एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक ने अलग-अलग निर्धारक अपनाए हैं। एशियाई विकास बैंक ने जो नयी ग़रीबी रेखा (एशियन पावर्टी लाइन) सुनिश्चित की है उसके अनुसार, 1.35 डॉलर प्रतिदिन से कम आय वाले वर्ग को ग़रीब माना जाएगा। फजल अली का कहना है कि "हालांकि एशिया तथा सामान्य तौर पर विकासशील दुनिया के लिये अति ग़रीबी (एक्स्ट्रीम पावर्टी) के लिये 1 डॉलर प्रतिदिन अभी उपयुक्त बेंचमार्क बना रहेगा, लेकिन उन देशों के लिये, जहां अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि हुई है, यह समय ग़रीबी के नये निर्धारक स्थापित करने के लिये उचित है।" इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसमें ग़रीबी आकलन के संवेदनशील पक्षों को विभिन्न प्रविधियों द्वारा पीपीपी के आधार पर निर्धारित किया गया है। यहां पीपीपी एक ऐसा रूपांतरक (कनवर्जन फैक्टर) है जो वस्तुओं और सेवाओं के दिए गए सेट पर समान क्रय क्षमता को सुनिश्चित करता है। एशियन विकास बैंक ने जो पीपीपी के आधार पर 1.35 डॉलर प्रतिदिन का आधार बनाया है उसके हिसाब से 16 देशों के 1.042 करोड़ लोग 2005 में ग़रीबी रेखा के नीचे होने चाहिए। इसके साथ ही (28 अगस्त को) विश्व बैंक ने नये आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार, 2005 में दुनिया में ग़रीब लोगों की संख्या आज के आकलन के मुताबिक 1.4 करोड़ रही होगी जोकि पिछले आकलन से 500 लाख अधिक है (पिछले आकलन के मुताबिक यह 948 लाख थी)। विश्व बैंक के मुताबिक नयी ग़रीबी रेखा 1.25 डॉलर प्रतिदिन है। विश्व बैंक रिपोर्ट कहती है कि विकसित दुनिया में उससे कहीं ज्यादा ग़रीब हैं जितना कि हम सोचते थे, लेकिन इसके बावजूद इसे ग़रीबी के विरुद्ध लड़ाई में असफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विश्व बैंक का कहना है कि पिछले 25 वर्षों के लिये ग़रीबी का पुन:

कितने ग़रीब

भारत में ग़रीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की संख्या कुल आबादी की क़रीब दो तिहाई है। ऐसा एशियाई विकास बैंक के आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग़रीबी रेखा को मापने के लिये एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने नया मापदंड जारी किया है। जिसका नाम एशियाई ग़रीबी रेखा रखा है। इसके तहत क़रीब 1.35 डॉलर रोज़ाना कमाई करने वालों को ग़रीबी रेखा के नीचे रखने की बात कही गई है। नये मापदंड के आधार पर भारत में ग़रीबी की स्थिति का आकलन करें तो देश की क़रीब दो-तिहाई आबादी, यानी क़रीब 72 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं।

इससे पहले एक डॉलर रोज़ाना कमाई के आधार पर भारत समेत अन्य विकासशील देशों में ग़रीबी का अनुमान लगाया जाता रहा है। एडीबी के डॉ. अली का कहना है कि "भारत और अन्य देशों में पिछले कुछ सालों में तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ है। ऐसे में एक डॉलर के बेंचमार्क को बदलना ज़रूरी हो गया था। यही वजह है कि एडीबी ने ग़रीबी रेखा के लिये नया मापदंड जारी किया है।"

हालांकि विश्व बैंक के मुताबिक, भारत में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में तकरीबन 2 फीसदी की कमी आई है और यह 24.3 फीसदी पर पहुंच गई है। दरअसल, विश्व बैंक एक डॉलर रोज़ाना कमाई के आधार पर ग़रीबी रेखा का आकलन करता है। उसके मुताबिक, आर्थिक विकास से देश में ग़रीबों की संख्या में कमी आई है। विश्व बैंक के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में भारत की आर्थिक विकास दर 7 फीसदी की दर से बढ़ी है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2002 से 2005 के बीच तकरीबन 96 लाख लोग ग़रीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। अगर 1.25 डॉलर प्रतिदिन आय को मानक माना जाए, तो इस दौरान क़रीब 47 लाख लोग ग़रीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। विश्व बैंक का कहना है कि विकासशील देशों में जीवनस्तर पर ख़र्च को एक डॉलर से बढ़ाकर 1.25 डॉलर प्रतिदिन किया जाना चाहिए। विश्व बैंक का यह आंकड़ा 2003-2005 के बीच का है, ऐसे में पिछले दो सालों में खाद्यान्न की क़ीमतों में तेज़ी को शामिल नहीं किया जा सका है। ❑

संस्कृत की तैयारी हेतु समर्पित भारत का गौरवमय संस्थान

IAS **PANINI CLASSES** PCS

संस्कृत साहित्य में देशभर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली सुश्री सीमा तिवारी (206 रैंक) 393 अंक

More than 10 students have obtained 350+ Marks in CSE-2007

अब संस्कृत साहित्य सर्वोच्च स्थान की ओर अग्रसर

PANINI IAS CLASSES में..

पहले से और भी बेहतर, संक्षिप्त पाठ्यक्रम, सर्वाधिक अंकदायी विषय

संस्कृत साहित्य

by

Kailash Bihari & S. Kumar

BA, B.Ed., M.A., Gold Medalist, UGC, J.R.F., NET, BET, SET.

कक्षागत विशेषताएँ

- प्रारंभिक चरण से व्याकरण की संपूर्ण तैयारी।
- नियमित रूपेण संस्कृत अनुवाद का अभ्यास।
- संस्कृत-निबंध लेखन का आत्मनिष्ठ प्रयास।
- संस्कृत व्याख्या लेखन की नयी वैज्ञानिक पद्धति।
- प्रतिखण्ड पृथक्-पृथक् साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा।
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का संशोधित अध्ययन सामग्री।
- अनदेखा पाठांश (Unseen Passage) का सतत् अभ्यास ।
- संभावित बदलती प्रश्नों की प्रवृत्ति पर कक्षा में विशेष परिचर्चा।

9 निःशुल्क परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ

Nov. 08 at 9 AM

नोटः संस्कृत अभ्यर्थी के परेशानियों को देखते हुए, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र (IAS) पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी पुस्तकें और निर्देशिका पुस्तिका (IAS Guide Line) "पाणिनि संस्थान" में उपलब्ध, अब बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं।

नवीन सत्र प्रारम्भ 23 नवम्बर एवं द्वितीय बैच प्रारम्भ 14 दिसम्बर, 2008

अन्य कक्षाएँ : **NET/JRF, DSSSB, PGT, TGT** बैच प्रारम्भ नवम्बर प्रथम सप्ताह

समयाभाव अथवा किसी कारणवश जो PANINI CLASSES में नहीं आ सकते, वे पत्राचार के माध्यम से नवीन अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए दिल्ली में भुगतान योग्य अपेक्षित राशि (5000/-) का बैंक ड्राफ्ट MINI CHANDANI के नाम भेजे। साथ ही दो फोटो एवं जन्म तिथि सहित पूरा पता।

नामांकन प्रारम्भ

A-18, (BASEMENT) Young Chamber, (Near Batra Cinema) Mukherjee Nagar, Delhi - 9

K.B.-09312100162, S.K.-09958122675, R.C.-09311724189

YH-11/08/17

निर्धारण करने से पता चला है कि इन नये प्रतिमानों के तहत ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। विश्व बैंक द्वारा दुनिया में ग़रीबों की प्रतिशतता तालिका 2 में प्रदर्शित की गई है।

रिपोर्ट बताती है कि विकासशील दुनिया की लगभग 29 प्रतिशत आबादी (चीन को छोड़कर) 1.25 डॉलर प्रतिदिन से नीचे जीवन गुजारती है जो कि 1981 के 40 प्रतिशत के मुक़ाबले कम है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक की 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1990 : पावर्टी' में 33 देशों के नमूने के आधार पर यह निर्धारित किया गया था कि निम्न आय वाले देशों में 1 डॉलर प्रतिदिन ग़रीबी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। अत: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे ही मानक बेंचमार्क स्वीकार करने के लिये उसने प्रस्ताव किया। प्रामाणिक तौर पर 1 डॉलर प्रतिदिन ग़रीबी रेखा का निर्माण बाज़ार विनियम दरों पर नहीं करता है, बल्कि क्रय शक्ति समता के आधार पर करता है। उदाहरण के तौर पर 2005 में मुद्रा बाज़ार से 44.10 रुपये देकर 1 डॉलर प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि 1 डॉलर की अमरीका में क्रय क्षमता उतनी है जितनी की उसी वर्ष में 44.10 रुपये की भारत में। वस्तुत: 2005 के अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (आईसीपी) के परिणामस्वरूप 1970 के बाद पीपीपी की वैश्विक सांख्यिकीय प्रोजेक्ट में यह पाया गया कि 1 डॉलर की अमरीका में कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के लिये उतनी क्रय क्षमता थी जितनी कि भारत में 15.60 रुपये की (वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, 2008)। इस आधार पर बाज़ार विनियम दर और क्रय शक्ति समता (पीपीपी) में व्यापक अंतर आ जाता है। एशियन विकास बैंक की रिपोर्ट 2008 में पीपीपी से संबंधित इसी प्रकार के कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। इसे तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2
विश्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में ग़रीबी का प्रतिशत

क्षेत्र	1990	2002	2004
दक्षिण एशिया एवं प्रशांत	15.4	12.33	9.07
यूरोप एवं मध्य एशिया	3.60	1.28	0.95
लातिनी अमरीका एवं कैरेबिया	9.62	9.08	8.64
मध्य पूर्व एवं दक्षिण अफ्रीका	2.08	1.69	1.47
दक्षिण एशिया	35.04	33.44	30.84
उप-सहारा अफ्रीका	46.07	42.63	41.09

स्रोत : विश्व बैंक रिपोर्ट, 2008

तालिका 3
एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत बाज़ार विनिमय दरें एवं पीपीपी 2005

देश	विनिमय दर (औसत स्थानीय मुद्रा प्रति डॉलर ; 2005)	सकल घरेलू उत्पाद	पीपीपी प्रति परिवार अंतिम उपभोग पर ख़र्च *	अंतिम उपभोग पर सरकार का ख़र्च **
बांग्लादेश	64.33	22.64	25.49	14.12
भूटान	44.10	15.74	18.46	
कंबोडिया	4092.50	1278.60	1615.30	343.48
फिजी	1.69	1.43	1.55	0.67
भारत	44.10	14.67	15.60	9.35
इंडोनेशिया	9704.74	3934.30	4,192.83	2513.16
लाओ पीडीआर	10,655.20	1988.40	3741.62	927.20
मलेशिया	3.79	1.73	2.11	0.75
मालदीव	12.80	8.13	9.74	2.88
मंगोलिया	1,205.22	417.22	522.49	137.79
नेपाल	71.37	22.65	26.47	13.54
पाकिस्तान	59.51	19.10	20.71	10.14
फिलीपींस	55.09	21.75	24.18	12.90
श्रीलंका	100.50	35.17	40.04	14.75
थाईलैंड	40.22	15.93	17.47	10.63
वियतनाम	15,858.90	4712.70	5919.89	1675.85

स्रोत : एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट, 2008
पीपीपी - वर्ल्ड बैंक (2008) से
बाजार विनिमय दरें -आईएमएफ(2007)से
* परिवारों द्वारा वैयक्तिक उपभोग पर ख़र्च
** सरकार द्वारा सामूहिक उपभोग पर ख़र्च

अगर तालिका को देखें तो पता चलता है कि बाज़ार विनिमय दर और पीपीपी के मामले में मुद्रा के तुलनात्मक मूल्य में ज़मीन आसमान का अंतर है। यही नहीं, सकल घरेलू उत्पाद तथा उपभोग पर ख़र्च के मामले में व्यापक अंतर देखा गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ग़रीबी आकलन का यह अर्थशास्त्र बहुत ही जटिल है। यही अंतर ग़रीबी के उचित निर्धारण में अवरोधक का कार्य करते हैं।

बहरहाल, ये सब तो तकनीकी बातें हैं, जो असल है वह यह कि दुनिया में ग़रीबों को अध्ययन का एक विषय मात्र बना दिया गया है। अमीरी और ग़रीबी के मध्य लगातार बढ़ती हुई खाई जटिल संघर्षों को जन्म दे सकती है। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश भारत इस मामले में सबसे आगे है। भारत में चार साल पहले तक सिर्फ़ नौ खरबपति थे अब 56 हैं। बारह साल पहले तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खरबपतियों का हिस्सा दो प्रतिशत था, अब यह लगभग 22 प्रतिशत है। वहीं अर्जुन सेनगुप्त आयोग के मुताबिक भारत में 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें बीस रुपये प्रतिदिन भी नसीब नहीं हो पाते। ऐसे में विश्व बैंक का सवा डॉलर का पैमाना और एशियाई विकास बैंक का 1.35 डॉलर का पैमाना भारत में कितनों को ग़रीबी रेखा के नीचे पहुंचा देगा, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ❑

(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं।
ई-मेल : rahees_@yahoo.com)

वैश्विक मंदी से कैसे बचे भारत

● अरविन्द कुमार मुकुल

भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और कड़े पूंजी पर्याप्तता संबंधी नियमों ने भारतीय बैंकों को वैश्विक मंदी की मार से बचा लिया है। रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार, यदि कोई भारतीय बैंक शेयर बाज़ार में ज्यादा पैसा लगाता था तो उसे अतिरिक्त पूंजी भी देना होता था। इससे भारतीय बैंक तथा वित्त संस्थान शेयर बाज़ारों की उठा-पटक से बच गए

अमरीकी मंदी का असर विकासशील तथा विकसित देशों दोनों में नज़र आने लगा है। पूरी दुनिया में जो वैश्विक मंदी कि हवा चल रही है क्या भारत को इससे पूरी तरह बचा कर रखा जा सकता है? सौभाग्यवश पश्चिमी देशों के बैंकों तथा आर्थिक संस्थानों ने जिस तरह का नुकसान तथा राइट डाउन देखा वैसी स्थिति से भारतीय बैंक तथा वित्त संस्थान बचे हुए हैं। संयोगवश जिस तरह अमरीका का मेरील लिंच, ली मैन ब्रदस तथा वाशिगंटन म्युच्युअल तथा यूरोप के फोरटिस ने ज़मीन पर लोटने की स्थिति को प्राप्त किया, भारत के वित्तीय संस्थान इस स्थिति से बचे हैं। इसके लिये भारतीय सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की तारीफ़ की जानी चाहिए।

इस समय विषयों पर जो चर्चा हो रही है वह भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गर्वनर एस. वेंकटरमण के अनुसार दो धरातलों पर हो रही है। एक धरातल पर यह बात उठती है कि जितना जोख़िम विदेशी बैंकों ने लिया उतना भारतीय बैंकों ने नहीं लिया। इस कारण भारतीय बैंक ज्यादा सुरक्षित रहे मगर यहां पर एक प्रश्न यह है कि क्यों भारतीय बैंकों ने कम जोख़िम लिया। इसका जबाव भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली है। सन् 1990 में जब पूरी तरह मुक्त कार्यप्रणाली पर ज़ोर था, तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय आर्थिक व्यवस्था के अध्यक्ष के लिये अनुभवी बैंकर एम. नरसिंहम को नियुक्त किया। एम. नरसिंहम की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने माना कि वित्त सही स्तर पर सही ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। एम. नरसिंहम ने एक आदर्श निर्देश तैयार किया कि किस तरह भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लिये दिशानिर्देश तैयार करें।

श्री नरसिंहम का मॉडल उचित पूंजीवाद, अच्छा प्रोविजनल नियम तथा सुबनावट वाले सुपरविजन पर आधारित था। भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री नरसिंहम की सिफ़ारिशों को पूरी तरह मान लिया। इस मॉडल में एक महत्वपूर्ण तथ्य था – भारतीय निवेश बैंकिंग का अमरीकी निवेश बैंकिंग से अलग होना। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमरीकी ग्लास-स्टीगल कानून, 1993 का भारतीय संस्करण तैयार किया जो भारतीय बैंकों को पूंजी प्रवाह से बचाने वाला था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कड़े कैपिटल एडीक्वेसी नियम बनाए और यदि कोई भारतीय बैंक शेयर बाज़ार में ज्यादा पैसा लगाता था तो उसे अतिरिक्त पूंजी भी देना होता था। इससे भारतीय बैंक तथा वित्त संस्थान शेयर बाज़ारों की उठा-पटक से बच गए। उपर्युक्त कारकों का प्रयोग अच्छे परिणाम दिए। बैंकों तथा वित्त संस्थानों की पूंजी का बर्बाद होना संभव न रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक को बेसल 11 नियमों के पालन के लिये धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इस कारण वैश्विक मंदी का जो फल दूसरे देशों के बैंक भुगत रहे है, भारत उससे अछूता है।

अमरीकी मंदी की मार से भारतीय व्यवस्था के बचने का एक और बड़ा कारण है – भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र में होना। सरकार कई भारतीय बैंकों की स्वामी है। इसी तरह ज्यादातर वित्त संस्थानों का स्वामी भी भारत सरकार तथा भारत की राज्य सरकारें हैं। एक सरकारी बैंक या वित्त संस्थान में निवेशकों का विश्वास ज्यादा रहता है। अमरीका मंदी के बाद जो आज कर रहा है भारत उसे पहले से करता रहा है। अमरीका ने बेल आउट पैकेज पेश किया।

भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता से अपने को बचाए रखकर बहुत अच्छा किया। यदि हमने पूर्ण परिवर्तनीयता को अपना लिया होता तो मंदी की मार भयानक होती। आर्थिक उदारीकरण के समय भी सावधान रहना आज काम आ रहा है।

अभी हाल में आईएमएफ के पूर्व सलाहकार तथा वर्तमान में शिकागो बिजनेस स्कूल के

प्रोफेसर डॉ. रघुराम जी. राजन ने एक रपट दी है। इस रपट में कई महत्वपूर्ण सुझाव हैं। ये सुझाव भारतीय आर्थिक प्रणाली को आधुनिक तथा सुचारू रखने में भी मदद देंगे।

इस समय भारतीय शेयर बाज़ारों को सही तरह से नियंत्रित रखने में सेबी की चर्चा भी ज़रूरी है। पी-नोट या पार्टिसिपेटरी नोट की भूमिका की चर्चा भी आवश्यक है। भारतीय स्टॉक प्रणाली में आई कई समस्याओं के लिये विदेशी निवेश जिम्मेवार है। इस संबंध में सेबी की भूमिका तारीफ़ योग्य है।

अमरीकी फेडरल रिज़र्व को वर्ष 2006-07 में 39 खरब अमरीकी डॉलर का मुनाफ़ा हुआ जिसमें 34 खरब डॉलर अमरीकी खजाने में जमा हो गए। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये में से मात्र 10,000 करोड़ सरकारी खाते में जमा कराता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक भी इस मामले में अमरीकी फेडरल रिज़र्व की तरह काम करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आधी समस्याएं हल हो जाएंगी।

एक दूसरा काम जो भारत में फेडरल रिज़र्व के अनुसार भारत में होना चाहिए, वह मुद्रास्फीति के मामले में है। अमरीकी फेडरल रिज़र्व मुद्रास्फीति की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर करता है न कि थोक मूल्य सूचकांक पर। इससे काफी अंतर आता है। पिछले वर्ष अमरीका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो प्रतिशत बढ़ा। इसी पद्धति को भारत में अपनाया जाए तो मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत की हो, न कि 12 प्रतिशत की (12 प्रतिशत की मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक आधारित गणना के कारण होता है)। यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित गणना में मुद्रास्फीति में हो तो क्रय ब्याज दर 5 प्रतिशत का रख सकते हैं। इससे भारत का आर्थिक विकास बेहतर होगा।

रूस के वरिष्ठ राजनयिक और दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ मिखाइल तितारको, मास्को विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर सर्गेइ लुनयोव और वरिष्ठ इतिहासकार ततान्या सौम्या ने भारत और विश्व की अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को नसीहत दी है कि वे दुनिया के सामने मौजूदा आर्थिक संकट से सबक लेते हुए गुटनिरपेक्ष और बहुध्रुवीय व्यवस्था के दीर्घकालीन महत्व को समझें, अन्यथा समूचे संसार को इसका भयंकर दंश लंबे समय तक झेलना पड़ेगा।

योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया के अनुसार, "हमारी अर्थव्यवस्था खुली है। जब विश्व बाज़ार चढ़ता है तो उसका लाभ हमें भी मिलता है और जब गिरता है तो भी उसका असर पड़ता है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हम पर इसका असर बहुत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बैंक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, इसलिये सुरक्षित हैं। जहां तक इन जहरीले कागज़ों यानी शेयरों की बात है तो उनका हिस्सा न के बराबर है। थोड़ी बहुत तरलता की कमी महसूस हुई थी, सो हमने सीआरआर में कटौती की है। हम चाहते हैं कि बैंकों में धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जनता को ऋण भी मिलता रहे। यदि और भी धन चाहिए तो सरकार वह इंतजाम करेगी। भारत से विदेशी पूंजी वापस जा रही है, इसलिये विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा लेकिन उसे हम संभाल लेंगे। आर्थिक मंदी का फायदा भी हो रहा है। आज कच्चे तेल की क़ीमत घट कर 75 डॉलर से कम हो गई है।"

भारत के आर्थिक विकास दर पर वैश्विक मंदी के प्रभाव के बारे में श्री अहलुवालिया ने कहा कि "हमारी विकास दर पिछले साल 9 प्रतिशत थी। इस साल हमने अंदाजा लगाया है कि यह घटकर 7.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक रह जाएगी। यह और गिरी यानी 7 प्रतिशत पर आई, तो भी हम ख़राब स्थिति में भी 7 प्रतिशत की दर से विकास कर लेंगे। हो सकता है अगले वर्ष परिस्थितियां बदलें।" श्री अहलुवालिया मानते हैं कि अमरीकी आर्थिक मंदी का असर भारत पर 6 से 8 महीनों तक ही रहेगा।

भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष एम. एस. वर्मा का मानना है कि अमरीकी मंदी के कारण भारतीय कंपनियों के लिये बाहर से कर्ज़ जुटाना मुश्किल हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रफ़्तार भी थम जाएगी। लेकिन फिर भी श्री वर्मा मानते हैं कि भारत की नियामक एजेंसियों का प्रदर्शन अभी तक काफी सराहनीय रहा है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मानना है कि "अमरीकी उथल-पुथल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी यह घड़ी आत्मसंतुष्ट होकर चुपचाप बैठने की नहीं है बल्कि नयी चुनौतीपूर्ण व्यवस्था का मुकाबला करने के लिये हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ बचने के लिये बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों की निगरानी के लिये अंतरराष्ट्रीय समूह बनाए जाने की ज़रूरत है। वित्तीय प्रणाली और तंत्र को स्थिर करने के लिये सभी देशों को हर संभव प्रयास करने चाहिए।"

दुनिया के सबसे बड़े निवेशक तथा विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट के अनुसार "अगर जल्द ही मंदी को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो वर्तमान स्थिति आर्थिक पर्ल हार्बर का रूप ले सकती है।" आर्थिक मंदी से जिस तरह भारत और चीन अपेक्षाकृत कम प्रभावित हैं और इससे अच्छी तरह उबर रहे हैं उससे छह बड़ी शक्तियों के बीच आर्थिक ढांचे में बेहतर संतुलन कायम करने में मदद मिल सकती है यह कहना है कि विदेश मामलों के विशेषज्ञ के. सुब्रह्मण्यम का।

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम मानते हैं कि अमरीकी मंदी से भारत अप्रभावित है। भारत के कानून सुरक्षित हैं। मॉर्गन स्टेनली के भारत प्रमुख नारायण रामचंद्रन के अनुसार भारत पूरी तरह अमरीकी अर्थव्यवस्था की तरह खुला नहीं है। इस कारण अमरीकी मंदी भारत पर कम असर डालेगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी का मानना है कि अमरीकी मंदी से भारत को लाभ होगा क्योंकि तेल की क़ीमतों तथा अनाज की क़ीमतों में कमी भारत के लिये लाभकारी है। इससे आर्थिक व्यवस्था और मुद्रास्फीति में लाभ होगा। राज्यसभा सदस्य एन. के. सिंह भी मानते हैं कि भारतीय विकास यात्रा विश्व आर्थिक मंदी से अप्रभावित रहेगी। भारत के पास अभी भी 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हैं जो भारत की आर्थिक स्थिति को एक नयी मज़बूती दे सकती है।

भारत के प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आर्थिक सलाहकारों तथा आम जनता को भी यह सोचना होगा कि हमारे देश को ऐसे कौन से उपाय करने हैं कि अमरीकी मंदी वाली स्थिति भारत में न हो।

आर्थिक समीक्षकों के अनुसार परिसंपत्तियों की गिरती क़ीमतों पर नज़र रखनी चाहिए। यही तो उत्पादन और मांग बढ़ने की वजह होती है। हम जानते हैं कि वित्तीय संस्थानों पर लगाम कस कर, बाज़ार से नगदी सोख कर या ब्याजदर को बढ़ा कर केंद्रीय बैंक परिसंपत्तियों की चढ़ती क़ीमतों पर नज़र रख सकते हैं।

एक बार फिर 1944 जैसे ब्रेटान वुड्स

जागृति The Awakening

... The Making of A New Tradition

इतिहास द्वारा अजीत झा

Kumar Pranav (IAS 2006)

PT के लिए इतिहास विषय से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन कर सिर्फ जागृति के अजीत झा सर के नोट्स को आधार बनाकर उसका बार-बार अध्ययन करता रहा तथा कक्षा में लिए जाने वाले मौखिक एवं लिखित टेस्ट अत्यंत लाभकारी रहे। क्योंकि मैंने देखा कि पिछले तीन वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के लगभग 90% उत्तर सर के नोट्स से मिल जाते हैं, इसमें खुद के नोट्स बनाने की आवश्यकता महसूस हुई ही नहीं।"

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, अगस्त-07

Manu Tentiwal (IAS-04) Rank 57

Manoj Sharma (IAS-04) Rank 121

Kumari Ranjeeta IAS 2005

Amit P. Singh IAS 2005

Yamini IAS 2004

Shweta Chandrakar Chtgh. PCS, 93 Rank

RAMAN KUMAR IAS - 2007

RAVI PATEL IAS -2007

Amit Kr. Singh UPPCS-2004

जागृति The Awakening का उद्देश्य इतिहास विषय में अभ्यर्थियों को पर्याप्त ज्ञान प्रदान करना ही नहीं बल्कि प्राप्त ज्ञान को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास करना है। वस्तुतः सिविल सेवा प्रतियोगिता एक सटीक और सही रणनीति से जीती जाती है, इसलिए **जागृति The Awakening** का संपूर्ण प्रयास आपकी इस चुनौती को सफलता के माध्यम से साकार करने की रही है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करने के लिए सदैव प्रस्तुत रही है।

.... यही बात हमारे प्रत्येक वर्ष के परिणाम से प्रमाणित होती है।

त्याहारों की शुभकामनाओं के साथ जागृति The Awakening प्रस्तुत है अपने शीतकालीन सत्र के साथ

तीन दिवसीय कार्यशाला : 14 November 4 PM

हमारे कार्यक्रम

PT के लिए

- चार महीने का एकीकृत कोर्स
- संपूर्ण अध्ययन सामग्री
- कक्षा में ही PT की सम्पूर्ण तैयारी
- प्रत्येक Topic के बाद जांच परीक्षा
- 120 प्रश्नों की UPSC के मानदंडों के आधार पर जांच परीक्षाएँ

MAINS के लिए

- चार महीने का एकीकृत कोर्स
- इतिहास बोध के साथ तथ्यों एवं संकल्पनाओं की व्याख्या
- दक्ष प्रस्तुतिकरण तकनीक युक्त अध्यापन
- नियमित जांच परीक्षाएँ
- संपूर्ण अध्ययन सामग्री

कोई भी तीन कक्षाएँ निःशुल्क

201, A-29/30, 2nd Floor, Jaina House, Comm. Comp. Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

09899889355

PVP पंकज विधि प्रवाह DELHI

The Spectrum of LAW

For Judicial & Civil Services; CLAT & LL.B. Entrance

... 'विधि' की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध संस्थान

LAW

द्वारा **पंकज कुमार त्रिपाठी**

- *जिन्होंने दिल्ली में हिन्दी माध्यम में 'विधि' को स्थापित किया है।*
- *जो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर बेजोड़ पकड़ रखते हैं।*
- *जो प्रत्येक प्रश्न पर खुली परिचर्चा के समर्थक हैं।*
- *जिन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में 'विधि' पर राष्ट्रीय परिचर्चाओं में भाग लेकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है।*

CLAT & LL.B. Entrance का बैच 18 Nov.

ध्यान दें-हमारी टीम द्वारा इलाहाबाद शाखा में विधि की कक्षाएँ जारी हैं।
C.P.C. द्वारा प्रो. टी.पी.त्रिपाठी 16 नवम्बर
स्थान : अनन्या एकेडमी
आनन्द भवन एवं डी.जे. हॉस्टल के मध्य

नया बैच प्रारम्भ 11 Nov.

SANDHYA'S IAS DELHI

(PVP Institute Group)

"थिंकर्स" अब कोई समस्या नहीं

समाजशास्त्र

द्वारा **पंकज मिश्रा**

नया बैच प्रारम्भ : 14 Nov., 3 PM

इलाहाबाद शाखा
स्थान : श्री साँई गुरूकुल
फोन : 9415639012
9/7 चर्च लेन, एलनगंज, डायमण्ड जुबली छात्रावास के सामने।

प्रथम तीन कक्षाएँ निःशुल्क

DELHI CENTRE

205, A-29/30, 2nd Floor, Jaina House, Comm. Comp. Dr. Mukherjee Nagar,

9999796996, 011-47017167 DELHI-9

YH-11/08/16

समझौते की ज़रूरत है जिसमें सभी देश मिल कर भाग लें। नीतिगत फ़ैसलों को लेते वक़्त परिसंपत्तियों की क़ीमतों को ध्यान में रखना होगा, एक केंद्रीकृत व्यवस्था सभी परिसंपत्तियों के लिये बनानी होगी तथा मंदी से लड़ने के लिये सभी देशों को मिलना होगा।

इस बीच नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक साक्षात्कार में कहा कि "वैश्विक आर्थिक संकट से भारत पर छोटी और दीर्घकालिक समस्याएं आएंगी जिनका परिणाम आर्थिक मंदी और बेरोज़गारी के रूप में दिखाई देगा।" मंदी से उत्पन्न बेरोज़गारी की चपेट में पहले जेट कर्मचारी आए हालांकि बाद में उन्हें काम पर ले लिया गया मगर एयर इंडिया में बिना वेतन के 5 वर्षों की छुट्टी, टाटा मोटर्स में छंटनी की योजना, रिलायंस रिटेल में कर्मचारियों का निकाला जाना आदि आने वाली बेरोज़गारी के संकेत हैं। चोलामंडलम डीबीसी फाइनेंस अपनी 50 शाखाओं को बंद करने जा रहा है। कई इंफोटेक कंपनियों भी अपना ख़र्च कम कर रही है। पूर्व सांसद तथा राजदूत गौरीशंकर राजहंस का कहना है कि "भारत में भी बड़ी-बड़ी कंपनियां बड़ी बेहरमी से अपने अफसरों को नौकरी से निकाल रही हैं।" उनका कहना है कि "यदि कंपनी के ख़र्च में कटौती नहीं होगी तो कंपनी बैठ जाएगी।" सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक तथा अध्यक्ष बी. रामालिंगम राजू के अनुसार "वे पिछली दफा की 10,500 नियुक्तियों की अपेक्षा इस बार मात्र आठ हज़ार से लेकर दस हज़ार तक नियुक्तियां करेंगे।"

आर्थिक लेखक, राज्यसभा सांसद और योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन. के. सिंह के अनुसार अभी निम्न कदमों को उठाने की ज़रूरत है :

- रिवर्स रिपो रेट को 150 आधर अंक तक घटाना । इससे ब्याज दर में कमी आएगी।
- स्पेशल परपस वेहिकल की स्थापना जिसका कुल मूल्य 25 से 30 खरब अमरीकी डॉलर हो । इससे भारतीय रिज़र्व बैंक की आमदनी में इजाफ़ा होगा।
- ऑयल बांड निर्गम करना (यह अभी स्थगित है।)
- एसएलआर में 300 बीपीएस की कमी।
- सभी बैंकों में जमा कर सरकारी गारंटी जारी करना। ❑

(लेखक प्रॉफिट आई रिसर्च प्रा. लि. के अध्यक्ष हैं।
ई-मेल : mukul.arvind@gmail.com)

शीर्ष पर सचिन

कभी उन्हें क्रिकेट का खुदा कहा गया तो कभी रनों की मशीन और कभी रिकार्डों का बादशाह। क्रिकेट के युगपुरुष सचिन तेंदुलकर गत दिनों इन उपमाओं पर एक बार फिर सौ फीसदी खरा उतरते हुए ब्रायन लारा को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। अब उनके नाम 369 अंतरराष्ट्रीय मैच, 28,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन और 81 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन पीटर सिडल की गेंद पर तीन रन लेकर पूर्व कैरेबियाई कप्तान ब्रायन लारा का 11,953 रन का रिकार्ड तोड़ दिया। लारा ने 131 मैचों में 52.88 की औसत से ये रन बनाए थे जबकि तेंदुलकर का यह 152वां टेस्ट है।

शेन वार्न जैसे फिरकी के जादूगर और शोएब अख्तर सरीखे रफ़्तार के सौदागर के लिये आतंक का पर्याय रहे तेंदुलकर की रनों की भूख 19 बरस के अंतरराष्ट्रीय करियर में कम नहीं हुई है।

एकदिवसीय क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा रन मुंबई के इस मास्टर बल्लेबाज के बल्ले से ही निकले हैं। उन्होंने 417 एक दिवसीय मैच खेलकर 44.33 की औसत से 16,361 रन बनाए हैं

शीर्ष छह बल्लेबाज

बल्लेबाज	मैच	पारी	नाबाद	रन	औसत	उच्चतम	शतक	अर्द्धशतक	शून्य
सचिन तेंदुलकर	152	247	25	12,027	54.17	248	39	50	14
ब्रायन लारा	131	232	6	11,953	52.88	400	34	48	17
एलन बार्डर	156	265	44	11,174	50.56	205	27	63	11
स्टीव वॉ	168	260	46	10,927	51.06	200	32	50	22
राहुल द्रविड़	127	219	26	10,341	53.58	270	25	53	6
सुनील गावस्कर	125	214	16	10,122	51.12	236	34	45	12

जिसमें 42 शतक शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 81 शतक किसी और बल्लेबाज के नाम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 39 शतक लगाए हैं।

टेस्ट क्रिकेट में यह दूसरा अवसर है जब कोई भारतीय रनों के शिखर पर काबिज हुआ। इससे पहले सुनील गावसकर (10,122 रन) एक समय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उनका रिकार्ड बाद में एलन बार्डर (11,124) ने तोड़ा और फिर लारा उनसे आगे निकले।

मोहाली में बहुप्रतीक्षित 15 रन बनाने के साथ ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने न केवल ब्रायन लारा का सर्वाधिक टेस्ट रनों का मील का पत्थर पार किया, बल्कि वनडे व टेस्ट में सर्वाधिक रन और शतक का रिकार्ड भी अपने नाम किया। ❑

"जय जवान जय किसान"

02.10.1904 -11.01.1966

उनका आह्वान आज भी हमारे दिलों में गूंज रहा है
और हमें एक मजबूत एवं खुशहाल भारत
के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।

कृतज्ञ राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री
श्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती
के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

davp 22202/13/0121/0809

YH-11/08/13

आदिवासियों के विकास का आधार

● अभय सिंह

वनवासी हमेशा से वनों को भगवान की तरह पूजते रहे हैं, तथा जंगल को क्षति नहीं पहुंचाते। इसका उदाहरण 'नया वन अधिकार कानून' में देखने को मिलता है

जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य, नक्सल प्रभावित जनपद है। यहां के विकास खंड जो जंगलों व पहाड़ों से आच्छादित हैं में निवास करने वाले अधिकतर लोग आदिवासी जनजाति हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक रहन-सहन की सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। यहां के पंचायतों में अधिकतर प्रतिनिधि अशिक्षित हैं तथा मज़दूरी कर एवं वनों से उत्पादित फलों, जड़ी-बूटी, लकड़ी आदि बेचकर अपना जीवनयापन करते हैं।

सोनभद्र में निवास करने वाली जनजातियां कई नामों से जानी जाती हैं। इन्हें कई जगह वनवासी कहा जाता है तो कहीं पर आदिम जाति भी कहा जाता है।

ये जनजातियां भारतीय इतिहास के पन्नों पर सबसे पहले पाई जाती हैं क्योंकि इनका इतिहास ही इतना पुराना है। जब भारतीय सभ्यता का विकास प्रारंभ हो रहा था तभी इन जातियों का उत्थान हुआ, जो आधुनिक युग में भी अपनी संस्कृति, रीति-रिवाजों तथा धर्मों को लेकर जमे हुए हैं। ये शुरू से ही वनों में निवास करते थे, तथा इनका अपना क्षेत्र हुआ करता था। इनके तन पर कम कपड़े हुआ करते थे, और ये वन्य जीवों के बालों, पंखों, सिंगों आदि को रखते थे, तथा इन्हें अपने प्रथाओं के आधार पर धारण करते थे। आज भी ये जनजातियां अपने धर्म से संबंधित रीति-रिवाजों पर वन्य जीवों की खाल या पंखों का इस्तेमाल करते हैं।

यह जनजाति अन्य वर्गों के जातियों के संपर्क में कम ही रहते हैं। जिसके कारण इनके रहन-सहन का स्तर आगे नहीं बढ़ पाता है और इनका विकास भी अवरुद्ध हो गया है। ये आज भी अपने खान-पान की व्यवस्था जंगल से प्राप्त उत्पादों से ही करते हैं। अत्याधुनिक सामनों का उपयोग भी ये कम करते हैं। इधर लोगों द्वारा वनों का इतना अधिक दोहन हुआ कि जंगल धीरे-धीरे कम होते गए इसका दोष भी इन्हीं भोले-भाले आदिवासियों के ऊपर थोपा गया। जंगल में पेड़-पौधों की मात्रा तथा किस्मों का अभाव होने लगा, तब सरकार द्वारा वनों के संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। जंगल को संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाए गए नियमों की वजह से कई बार इन जनजातियों, आदिवासियों को नज़रअंदाज भी किया गया। दूसरे, सदियों से आ रहे उनके जीवन का मुख्य आधार जंगल से उन्हें वंचित होना पड़ा। इस कानून को लागू करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि वर्ष 1927 में सर्वप्रथम वन कानून बनाते समय सख्त कानूनों के जरिये उन्हें हमेशा के लिये जंगलों से वंचित किए जाने के पश्चात क्या हमारे वन्य क्षेत्रों का आशातीत विस्तार हुआ? यदि नहीं तो यह मानने के वाजिब कारण होने चाहिए कि वनों का सच्चा विकास वनवासियों के साथ ही हो सकता है। ये वनवासी हमेशा से वनों को भगवान की तरह पूजते रहे हैं, तथा जंगल को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण 'नया वन अधिकार कानून' में देखने को मिलता है।

जनजाति व अन्य वनवासी समुदाय विधेयक 2006 पर बहस का जबाब देते हुए सरकार ने भी माना कि, जिन इलाकों में इन वनवासियों का बाहुल्य है, वहां न सिर्फ़ जंगल घने हैं बल्कि वन्य प्राणी भी सुरक्षित हैं। विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिलना भी इसका संकेत है कि वन और वनवासी दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इस विधेयक के अनुसार ये लोग 2005 तक कम से कम 75 वर्ष से जंगलों में रहते आए हैं, तथा जो तीन पीढ़ी से जंगलों में रह रहे हैं वे लोग वन भूमि पर अपना हक़ पा सकेंगे।

इस विधेयक में आदिवासियों के अलावा जो दूसरे समुदाय जंगलों में वर्षों से रहते आए हैं उन्हें भी इस अधिकार के दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन यहां भी इस कानून में वनवासियों के साथ धोखा हुआ है। यह कानून सिर्फ़ उन दस फीसदी लोगों को वनाधिकार मुहैया कराता है जो जंगलों के अंदर रहते हैं बल्कि 90 प्रतिशत यानी नौ करोड़ की वह आबादी जो जंगलों से सटे 10 किलोमीटर के दायरे में रहती आई हैं और जिनके जीवन का मुख्य आधार जंगल है, इस कानून की परिभाषा में नहीं आती। सरकार का दावा है कि यह

कानून इस सोच को सामने लाता है कि स्थानीय समुदायों के सहयोग के बिना वनों के प्रबंधन की दिशा में सही ढंग से आगे नहीं बढ़ा जा सकता पर बहुसंख्यक आदिवासियों को बाहर रखकर यह कैसे संभव है?

आज इनकी स्थिति ऐसी है कि जहां ये निवास करते हैं वहां जंगल के कर्मचारियों द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है।

ज्ञातव्य है कि दुद्धी परिक्षेत्र में प्रारंभ से ही झूम खेती का प्रचलन था और जोत की ज़मीन की नापी नहीं की जाती थी और न जोत की ज़मीन के कागज़ात बनाए जाते थे। कुछ स्वैच्छिक संगठनों के प्रयास से यहां सरकार द्वारा नया बंदोबस्त अवश्य किया गया, लेकिन उक्त बंदोबस्त के द्वारा सिर्फ़ उन्हीं मामलों का निस्तारण किया जा सका जहां पर स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी रही। बाकी जगह बंदोबस्त कर्मचारियों के द्वारा यहां के ग़रीब आदिवासियों का उल्टा शोषण ही किया गया और उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं किया जा सका। बंदोबस्त के द्वारा ग्रामसभा की भूमि और वन भूमि का सीमांकन भी नहीं किया गया, खासतौर से उन ग्रामों का जो वन के समीपवर्ती थे। वन भूमि और ग्राम सभा की भूमि का स्पष्ट सीमांकन न होने के कारण गांव-गांव में जोत ज़मीन को लेकर विवाद चल रहे हैं। प्रशासन का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि क्यों वन और समाज के रिश्तों की मधुरता में कमी आई और जगह-जगह वन विभाग व ग्रामीण समुदाय के बीच तनाव में वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में सोनभद्र के दुद्धी विकास खंड के बोम, धूमा तथा जोरूखाड़ ग्राम पंचायतों में जंगल अधिकार को लेकर वहां के समुदायों में जबरदस्त उत्साह दिखा, क्योंकि उन आदिवासियों को नया वनाधिकार कानून, 2006 के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण अभी तक इस अधिनियम के तहत किसी भी स्तर से स्थानीय समुदाय को लाभ नहीं मिल रहा है तथा लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे ग्रामीण जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रशासन इन्हें जेलों में ठूंस रहे हैं तथा उन पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं।

चोपन ब्लॉक के जवारीड़ाड ग्राम पंचायत में एक आदिवासी महिला को प्रशासन के गोली का शिकार होना पड़ा। उनके बच्चे आज अनाथ हैं। अभी हाल ही में दुद्धी विकास खंड के जोरूखाड़ ग्राम पंचायत में आदिवासी समुदाय तथा वहां के कुछ ग्रामीणों के बीच वन भूमि के कब्ज़े को लेकर कुछ विवाद हुआ जिससे वहां के ग्रामीणों ने आदिवासियों की पूरी झोपड़ी जला दी जिससे वे बेचारे बेघर होकर बरसात के दिनों में पलायन करने के लिये मज़बूर हो गए। प्रशासन को शालीनता पूर्वक आदिवासियों के साथ बैठकर वनाधिकार-2006 की विस्तृत जानकारी देना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि आदिवासियों को कौन-कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं तथा नये वनाधिकार कानून के दायरे में कौन-कौन से लोग आते हैं और कैसे उनको उसका लाभ मिल सकता है।

स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे उस अधिकार के द्वारा ग्रामीणों व आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके तथा स्थानीय स्तर पर व्याप्त वैमनष्य दूर किया जा सके जिससे भाईचारा का माहौल बना रहे एवं वहां के आदिवासियों को इस अधिकार का भरपूर लाभ मिल सकें। ❑

(लेखक सोनभाद्र, उप्र के जनजातीय इलाकों में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दुद्धी ग्राम विकास समिति नामक स्वयंसेवी संगठन के सचिव हैं।
ई-मेल : abhaydgvs@yahoo.com)

I.A.S. सरस्वती P.C.S.
राजनीति विज्ञान
द्वारा राजेश मिश्रा
☞ R.B. Singh ने Botany छोड़कर पहले प्रयास में प्रा. परीक्षा क्वालीफाई की। (केवल 3 महीने में)
☞ अर्थशास्त्र के बजाय राजनीति विज्ञान प्रा. परीक्षा में रखकर पहले प्रयास में क्वालीफाई की।
☞ प्रा. परीक्षा के विगत तीन वर्षों के परिणाम सिद्ध करते हैं कि सफलता संयोग नहीं है :-
☞ वर्ष 2008-50 से अधिक।
☞ वर्ष 2007-41 से अधिक।
☞ वर्ष 2006-40 से अधिक।
प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा का नया सत्र प्रारंभ
19 नवम्बर प्रातः 10 बजे
Hindi/ English Medium
मुख्य परीक्षा के सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ (IAS-2007)

SHILPA
हिंदी माध्यम से 55वीं रैंक

BHUPENDRA KR. SINGH
(IRS)

NEHA RATNAKAR
(IRTS)

RAHUL KAUSHIK
(IRS)
पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध
H. O. - 206, विराट भवन (MTNL Building)
कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, डॉ॰ मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009.
Ph : 09899156495, 09810702119
YH-11/08/27

कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता

● लोकेन्द्र सिंह कोट

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत में एक मज़बूत पंचायती राज शासन पद्धति का स्वप्न संजोया था जिसमें शासन कार्य की प्रथम इकाई पंचायतें हों। उनकी कल्पना पंचायतों की शासन व्यवस्था की धुरी होने के साथ ही आत्मनिर्भर, पूर्णतया स्वायत्त और स्वावलंबी होने की थी। स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी की इस परिकल्पना को साकार करने के लिये समय-समय पर प्रयास किए गए। कभी ग्रामीण विकास के नाम पर और कभी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतंत्र का आधार मज़बूत बनाने के लिये उपयोग किया जाता रहा। लेकिन प्रदेश में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करके बुनियादी स्तर पर पंचायती राज की स्थापना और जनता के हाथ सीधे अधिकार देने की शुरुआत संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही संभव हुई। वर्तमान में मध्य प्रदेश की महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण से आगे लाने के साथ ही अब सीधे-सीधे पचास प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक़ दिलवाने का सराहनीय प्रयास किया गया है।

लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी विकास की इस दौड़ में अक्सर आदिवासी महिलाएं पिछड़ जाती हैं और मुख्यधारा से कट जाती हैं। लेकिन इन दिनों आदिवासी बहुल जिला मंडला और बालाघाट में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है।

दोनों जिलों में गौंड और बैगा जनजातियां ही प्रमुखता से पाई जाती हैं और इनमें से भी बैगा जनजाति को केंद्र से विशेष दर्जा प्राप्त है। प्रकृति की पूजा-आराधना करने वाली इन जनजातियों में अपनी परंपरा, संस्कार, संगीत और आचार-विचार के प्रति अनुराग है और यही उन्हें दूसरों से अलग करते हुए अपना संसार रचने में मदद करते हैं। मंडला जिले की बिछिया तहसील की खटिया पंचायत की महिला सरपंच सुखवती बाई के रहन-सहन को देखकर यह साबित भी होता है। वह मूलत: गौंड हैं और उनका गांव बैगा बहुल है। वे दूसरी बार सरपंच चुनी गई हैं। यह उस आपसी सामंजस्य को दर्शाता है जो दूसरे वर्गों में धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और वर्गवाद तेज़ी से उभर कर नासूर बनता जा रहा है। पंचायती राज की तीन पारियों में से पहली और तीसरी पारी की वह साक्षी रही हैं। दोनों पारियों में अंतर के बारे में पूछने पर सहर्ष कहती हैं, "पहली बार तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया और ज्यादा कुछ करने को भी नहीं था, लेकिन अब अनुभव भी हो गया है और जनता के लिये करने को भी बहुत कुछ है।"

कक्षा 8 तक पढ़ी सुखवती ने नौ महिलाओं को पछाड़ते हुए तीन गांव की सरपंची हासिल की थी और उनकी पंचायत में चार महिला पंच भी हैं। वे भी उन्हें सहयोग करती हैं। उन्होंने पिछले ढाई-तीन साल में तीन तालाब, तीन कुएं और लगभग साढ़े तीन किलोमीटर सड़क के साथ ही रोज़गार गारंटी योजना के तहत 473 लोगों को सौ दिनों का रोज़गार मुहैया करवाया है। पंचायत के सचिव बालकुमार यादव जो पिछली तीन पारियों से यहां के सचिव हैं, कहते हैं, "महिलाएं अधिक संवेदनशील होती हैं और उनमें काम को सही ढंग से करने का सलीक़ा तथा प्रबंधन के नैसर्गिक गुण पाए जाते हैं इसलिये मैं उनके साथ कार्य करने में पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा खुश रहता हूं।"

पंचायत में समाचारपत्र भी आते हैं और सबसे बड़ी बात देखने में यह आई कि उनके पति उनके किसी कार्यों में कोई दखल नहीं देते। सुखवती कहती हैं, "परिवार के सहयोग के बगैर इतना करना मुश्किल है, कोई भी अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोपता है।" यह पूछने पर कि महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याएं निपटाने के लिये उन्होंने क्या किया, तो वे कई उदाहरण सामने रखते हुए कहती हैं, "पंचायत की लड़कियों को शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के अलावा सर्पदंश से एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसकी विधवा हिरंती बाई को कम से कम समय में ही विवेकानंद बीमा योजना के तहत पचास हज़ार रुपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से दस हज़ार रुपये और राजस्व दुर्घटना सहायता राशि पचास हज़ार रुपये, कुल मिलाकर एक लाख दस हज़ार रुपये की सहायता दिलवाई। इससे मुझे जितनी खुशी हुई उतनी खुशी कभी नहीं हुई।

इसी क्रम में बालाघाट जिले की हट्ठा ग्राम

(शेषांश पृष्ठ 62 पर)

VSCS IAS - 2009 VSCS

Silent Effort Towards Success

सामान्य अध्ययन

प्रारम्भिक सह मुख्य परीक्षा (एकीकृत समाधान)

कार्यशाला के साथ कक्षा प्रारम्भ :

दिल्ली केन्द्र: 16 नवम्बर, 08 10-30AM

इलाहाबाद केन्द्र: 22 नवम्बर, 08 10-30AM

रजनीश तोमर
(M.A. Delhi University)
(भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान तथा मानसिक योग्यता)

नीरज भूषण
(Centre Director VSCS, Delhi)
भूगोल, भारत एवं विश्व तथा समसामयिकी

अश्वनी कुमार मिश्रा
अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी
(वित्त मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत पुस्तक "आर्थिक शब्दावली एवं भारतीय अर्थव्यवस्था" के लेखक)

ए.कुमार
M.Sc. Biotech, CDRI, Lucknow
जीव विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गणेश सिंह
भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

दिनेश मिश्रा
(एम.ए. इलाहाबाद विश्व)
समसामयिकी एवं सामाजिक समस्या

- 650+ घंटे का विस्तृत कार्यक्रम, 400+ मुख्य परीक्षा, 250+ प्रा. परीक्षा
- प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु स्वतंत्र रणनीति
- विस्तृत एवं संशोधित अद्यतन अध्ययन सामग्री
- सभी खण्डों में अब तक पूछे गये प्रश्नों की प्रवृति पर सिलसिलेवार व्याख्यान एवं संभावित प्रश्नों पर परिचर्चा।
- पाठ्यक्रम का तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण जिससे कि आप प्रारम्भिक परीक्षा में 80-90 प्रश्न हल कर सकें एवं मुख्य-परीक्षा में 330 अंक प्राप्त कर सकें।

केवल दिल्ली केन्द्र

भूगोल 21 नवम्बर, 08 1-30PM

नीरज भूषण एवं गणेश सिंह

ALL INDIA - TEST SERIES

Prelims Special

विषय	टेस्ट संख्या
सामान्य अध्ययन	45
इतिहास	25
भूगोल	25

Topic Based	15 Tests
भारत-2009 आधारित	12 Tests
समसामयिकी आधारित	08 Tests

सभी प्रश्नों के स्रोत सहित व्याख्यात्मक हल

इतिहास में खण्ड आधारित : 16 टेस्ट
सम्पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित : 9 टेस्ट

भूगोल में खण्ड आधारित : 21 टेस्ट
सम्पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित : 4 टेस्ट

अन्य उपलब्ध परीक्षा केन्द्र

इलाहाबाद : C/o सीमा I.C.S. 09336346143, 09312109296
इन्दौर : C/o Target I.A.S., 98265-15048
भोपाल : C/o ज्ञानोदय (पुष्पेन्द्र त्रिपाठी), 94250-27274
सूरत : C/o विश्वास एकेडमी 9427071727, 9428804127
जयपुर : C/o Spring Board Academy, 9928071847

M.P.P.S.C. (Pre) Special Test Series

सभी प्रश्नों के स्रोत सहित व्याख्यात्मक हल

(नये पाठ्यक्रम एवं प्रारूप पर गुणवत्ता आधारित)

उपलब्ध विषय :
सामान्य अध्ययन, लोक प्रशासन, इतिहास एवं भूगोल

भोपाल : C/o ज्ञानोदय (पुष्पेन्द्र त्रिपाठी), 94250-27274
इन्दौर : C/o Target I.A.S., 98265-15048

पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध
For Prospectus send MO/DD Rs. 50/-

VSCS VISHWAS SCHOOL OF CANONICAL STUDIES

DELHI
A-37/38/39, Basement, Ansal Building, B/h Safal Booth, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 9, Ph. 011-27652066/67, 9868081777 09924191307, 9990608107

ALLAHABAD
C/o सीमा I.C.S., 103, दिलकुशा पार्क जिला उद्योग केन्द्र के सामने, नया कटरा, इलाहाबाद
Ph. : 09336346146, 09312109296

AHMEDABAD
C/o. VISHWAS ACADEMY, A/1/G, Chinubhai Tower, Nr. H.K. College, Ashram Road, Ph.(079) 2658632, 9427071727, 9428804127

For Central Enquiry : 09868081777, 09990608107, 09924191307

YH-11/08/9

बदला गांवों का अर्थशास्त्र

● आर.बी. त्रिपाठी

बरसात और सर्दियों के मौसम में दूध की मात्रा अधिक रहती है। इस समय गाय के दूध की मांग भी बहुत अधिक रहती है क्योंकि यह बड़ा गुणकारी होता है। गो-पालन से हमें बहुत फायदा पहुंचा है। एक गाय 10 से 12 लीटर तक दूध देती है। यह कहना है गुना जिले के हिरनौदा गांव के दर्शन सिंह का जिन्होंने बैंक लिंकेज से लुधियाना से लाकर एचएफ प्रजाति की गायें पाली हैं। दर्शन सिंह कहते हैं पहले हम महुआ और गुड़ से बनी कच्ची शराब बेचकर अपना गुजारा करते थे लेकिन अब एचएफ गायें हमारे परिवार को पाल रही हैं।

गुना जिले के बमोरी विकास खंड के अंतर्गत राजस्थान की सीमा से सटा हिरनौदा गांव, बांडिया नाला सिंचाई योजना के विस्थापित परिवारों के लिये तकरीबन पंद्रह बरस पहले बसाया गया था। छोटे से किंतु साफ-सुथरे गांव में आज 15 में से 10 परिवार गायें पाल रहे हैं। डीपीआईपी की मदद से गठित सरस्वती समहित समूह के लोगों ने प्राप्त आमदनी से 3 मोटर साइकिलें और मोबाइल फोन ख़रीदे हैं। गांव के लोगों का रहन-सहन सुधर गया है। पर्यावरण के प्रति गांव के लोगों ने अपनी सजगता का परिचय देते हुए पेड़-पौधे भी लगाए हैं तथा उनकी हिफ़ाजत कर रहे हैं। यही वजह है कि वैशाख माह के 45 डिग्री से अधिक तापमान वाली दोपहर में भी वहां गर्मी का अहसास नहीं हो रहा था।

हिरनौदा के दर्शन सिंह एवं हरचरण सिंह कहते हैं "एचएफ प्रजाति की गायें पालने में लगभग 28 माह में ही पैसा दोगुना हो जाता है जो और किसी योजना में नहीं हो सकता। गायें पालना भी बहुत फायदेमंद है लेकिन उनकी देखरेख पर ज्यादा ध्यान देना होता है। गर्मी से बचाने के लिये उन्हें ठंडे स्थानों पर बांधना तथा रोज़ नहलाना पड़ता है। उन्हें बांधने के स्थान की साफ़-सफ़ाई का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है।' उन्होंने ये काम की बातें गुना जिले के आरोन ब्लॉक के पाली गांव का एक्सपोजर भ्रमण कर जानी है। पाली गांव में डीपीआईपी की मदद से लगभग 40 गायें पाली जा रही है। वहां पर गायों को बांधने के स्थान पक्के शेड बने हैं तथा उनमें कूलर-पंखे भी लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि एचएफ प्रजाति की गायों की स्टॉल फीडिंग होती है यानी उन्हें चराने के लिये कहीं बाहर नहीं ले जाना पड़ता।

डीपीआईपी के जिला परियोजना प्रबंधक एवं पेशे से पशु चिकित्सक गगन सक्सेना बताते हैं कि गाय के दूध में विशेष प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्यवर्द्धक होता है। एचएफ (होलिस्टीन फ्रेजियर) प्रजाति की गायों के दूध की ख़ासियत यह होती है कि यह बहुत उत्पादक और गुणकारी होता है। एचएफ प्रजाति की गायों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इसके बावजूद उन्हें पालना बड़ा आसान है क्योंकि ये स्टॉल फीडिंग करती हैं। गुना जिले के हिरनौदा सहित पाली गांव में इन गायों को पालने का कार्य डीपीआईपी समूह में शामिल सदस्यों द्वारा कुशलता से किया जा रहा है।

सहयोग दल के समन्वयक राजेन्द्र श्रीवास्तव बताते हैं कि हिरनौदा में एचएफ गायें पालने के प्रति लोगों में यह रुचि अनायास ही उत्पन्न नहीं हुई बल्कि इसके लिये उन्हें प्रेरित कर परियोजना के ख़र्च पर पाली गांव के भ्रमण पर ले जाया गया। इसके पहले ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर जब गतिविधि के चयन की बारी आई तो लोगों ने भैंस पालन के प्रति अपनी रुचि ज़ाहिर की थी। जब उनसे भैंस पालन से होने वाले लाभ पूछे तो उन्होंने बताया कि पास में भूराखेड़ी मिल्क रूट है जहां रोज़ाना दूग्ध संघ की गाड़ी आती है, हम वहीं दूध दे दिया करेंगे। भैंसों की देखभाल हम अच्छी तरह कर लेंगे। जब उनके द्वारा जर्सी गाय पालने का सुझाव दिया गया तो सभी ने इंकार किया। उनका कहना था कि यहां के वातावरण में वे गायें नहीं पल पाएंगी। तब उन्हें समझाया गया कि किसी गांव में गायें पालने वाले समूह से मिलकर देख लें तो उपयुक्त रहेगा। इसके बाद जो भी उचित निर्णय होगा वह समूह ही करेगा।

इसके बाद दोनों समूहों को लेकर गुना जिले के आरोन संकुल के पाली गांव गए वहां ग्रामीणों ने गर्मजोशी से दल का स्वागत करते हुए पूछा क्या लेंगे। चाय, कॉफी, दही की लस्सी, हिरनौदा के लोगों के लिये यह आश्चर्य की बात थी कि दिन के 2 बजे गांव में यह सब चीजें कैसे इतनी आसानी से उपलब्ध हैं?

पाली गांव समिति के सचिव राजेंद्र सिंह से हिरनौदा ग्रामवासियों ने कुछ प्रश्न पूछना चाहा तो उन्होंने उत्तर न देकर यही कहा कि पहले हम गांव में घूम लेते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। दल ने घूमना शुरू किया तो गांव में डीपीआईपी की मदद से गठित तीन प्रकार के समूह सामने आए- गो-पालन का पक्के शेड जिनमें कूलर-पंखों की व्यवस्था थी, कच्चे शेड जिनमें नीचे फर्श कच्चा था, झाड़ियों से बनाए गए टपरे जिनका फर्श भी कच्चा था।

पूछताछ करने पर पता चला कि सभी समूह दो वर्ष से भी अधिक पुराने हैं लेकिन दूध

में कोई अंतर नहीं है। संपत्ति में बढ़ोतरी तीन गुना हो चुकी है। एक गाय का अधिकतम दूध 24 लीटर तक है तथा एक गाय का न्यूनतम दूध 12 लीटर है। अच्छी ख़बर यह है कि पाली की समिति दो वर्ष से जिले में अधिक दूध उत्पादन में प्रथम आ रही है। नाम के साथ उनकी संपन्नता गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है। इसके बाद राजेंद्र सिंह ने पूछा कि आप बताए कि कौन-सी योजना में धन कम समय में दोगुना हो जाता है। सभी का जवाब था, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र आदि। कितने समय में? बताया गया कि 6 वर्ष में। तब राजेंद्र सिंह ने कहा कि यदि जर्सी गाय में धन लगाते हैं तो 28 माह में ही दोगुना हो जाता है।

इस प्रकार समूहों का सफल एक्सपोजर हुआ और उन्होंने पाया कि जो सुविधाएं पाली गांव के लोगों के पास हैं वही हमारे पास हैं, इसलिये दोनों समूहों ने जर्सी गाय पालने का फ़ैसला लिया। दोनों समूहों का प्रस्ताव तैयार कर प्रत्येक के लिये 35 हज़ार रुपये की राशि स्वीकृत हुई। दोनों समूहों के सदस्य लुधियाना गए तथा वहां से मोल-भाव करके अच्छी नस्ल की 10 गायें ख़रीदकर लाएं। सभी गायें हिरनौदा में ही आकर ब्याईं। वर्तमान में एक समय में वे अधिकतम दूध दे रही हैं। दिन में तीन बार भी दूध लगा लेते हैं, जब दूध की आवश्यकता हो तब दूध लगाते हैं। हिरनौदा से ही एक समय का 84 लीटर दूध (10 गायों का) डेयरी में भेजा जा रहा है। एक समय का दूध बच्चे पीते हैं और घी भी बनाते हैं। हिरनौदा के भगत सिंह तथा सरस्वती समूह की आमदनी तथा लगन को देखकर भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रामपुर कालोनी ने डेयरी प्लस योजना में समूहों को ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

उधर राजगढ़ जिले के खिलचीपुर संकुल के छोटे से गांव जैतपुरा खुर्द में अत्याधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करने की परियोजना के सूत्रधार ए. के. शर्मा के अनुसार डीपीआईपी की वित्तीय मदद से जैतपुरा खुर्द सहित आस-पास के पांच गांवों में एचएफ प्रजाति की लगभग 200 से अधिक गायें उपलब्ध कराई गई हैं। इस परियोजना के सफ़ल नतीज़ों को देखते रखते हुए समन्वित सहकारी विकास परियोजना आईसीडीपी द्वारा डेयरी परियोजना में एचएफ प्रजाति की 35 से अधिक गायें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही आईसीडीपी ने जैतपुरा खुर्द, सोनखेड़ाकलां, बाजरौन तथा भादाहेड़ी की डीपीआईपी द्वारा प्रवर्तित डेयरी सहकारी समितियों के प्रत्येक सदस्य को पच्चीस-पच्चीस हज़ार रुपयों की राशि मार्जिन मनी के रूप में स्वीकृत कर उपलब्ध कराई गई है ताकि इन समितियों के समक्ष किसी तरह की समस्या न आए।

ए.के. शर्मा बताते हैं कि एचएफ प्रजाति की गायें नियमित ऋतुचक्र वाली होती हैं। देश के पंजाब में संकर प्रजाति के सबसे उपयुक्त सहीवाल प्रजाति की गायें पाई जाती हैं जबकि डेनमार्क की सबसे अच्छी नस्ल एचएफ मानी जाती है। वैसे भी मितव्ययिता की दृष्टि से एक भैंस की तुलना में दो गायें आसानी से पाली जा सकती हैं। ❑

(लेखक जिला ग़रीबी उन्मूलन परियोजना भोपाल में संचार संप्रेषण समन्वयक हैं।
ई-मेल : cc@mpdpip.org)

(पृष्ठ 59 का शेषांश)

पंचायत में एक और गौंड़ आदिवासी नायिका ने तो पंचायती राज में एक अलग ही तरह से परचम फहरा रखा है। लगातार तीन पारियों से सरपंच बन रही भगलो बाई पुरुषों को हराकर अपने पद पर काबिज हुई हैं। तीन गांवों को मिलाकर बनी पंचायत की 'सरदार' भगलो बाई स्वयं पढ़ी-लिखी नहीं हैं और दबंगता के साथ कहती हैं, "पढ़े-लिखो ने अच्छाइयों की जगह बुराइयों को ज्यादा अपनाया है।" यह उनका अपना विश्वास है लेकिन वे शिक्षा के मुद्दे पर कुछ नहीं करतीं ऐसा नहीं है। उनकी खुद की संतानें पढ़ी-लिखी हैं और पंचायत में भी शिक्षा और विशेषकर बालिका शिक्षा के लिये उन्होंने विशेष कार्य किए हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि अपनी पहली पारी और अब इस तीसरी पारी में कितना फ़र्क महसूस करती हैं तो एक सेनापति की तरह वे कहती हैं, 'फ़र्क तो आया है और भारी फ़र्क आया है। पहली बार सब कुछ सहमते हुए करते थे, दस बातों से डरते थे, झिझकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। आत्मविश्वास आ गया है, आखिर समय तो लगता ही है...।"

यदि भगलोबाई की अंतिम पंक्ति "आखिर समय तो लगता ही है..." को सूत्र वाक्य बनाया जाए तो हमारी सामाजिक व्यवस्था के ताने-बाने का धुंधलका हटता हुआ प्रतीत होता है। सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर तुरंत बदलाव की आशा करना हमारे अधिकांश विश्लेषकों, नीति-निर्धारकों की आदत-सी है और यह वाक्य उनके लिये कड़ा प्रत्युत्तर है। यह हमारे समाजशास्त्र की भी सही ढंग से व्याख्या करता है जो कि विविधता लिये हुए है। इसी विविधता के आयाम को नया स्वर देती सोनाबाई हैं, जनपद सदस्य है, मंडला जिले के मोगा ब्लॉक की और गौंड़ आदिवासी हैं।वे कक्षा दसवीं तक पढ़ी हैं। पति, सास और जेठ जोकि मिडिल स्कूल में अध्यापक हैं का भरपूर सहयोग पाकर सोनाबाई अभीभूत तो हैं ही साथ ही उन्हें एक संबल मानती हैं।

मोबाइल हाथ में लिये वे बेरोकटोक 38 गांवों की जनपद में होने वाली सभाओं में भाग लेती हैं, महिला मंडल के गठन में सक्रिय भूमिका अदा करती हैं और शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक रहते हुए कहती हैं, "हम चाहते हैं कि हरेक को अपना हक़ मिले चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर बालिका शिक्षा के लिये कार्य हों...।" वह स्वयं स्थायी समिति की सभापति भी हैं और स्वास्थ्य के लिये चलाई जाने वाली सेवा भारती योजना पर भी निगरानी रखती हैं। उनके पति खेती करते हैं और यह पूछने पर कि उनकी पत्नी के उच्च पदस्थ होने पर उन्हें कैसा लगता है, वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, "सच पूछिए तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो परिवार का नाम रोशन कर रहा है..." और सास तो बिल्कुल निहाल होकर कहती हैं, "उसके आने के बाद पूरे घर की स्थिति बदल गई है और जब यह ग़रीबों को काम दिलवाती है तो मन में बहुत संतोष होता है।"

पंचायतों में ही न्याय करने की प्राचीन परंपरा और अपनी व्यवस्थाओं को चलाने वाले आदिवासी आज समय की नब्ज को पकड़ चुके हैं। गांवों की स्थितियों में भी अच्छा-खासा बदलाव आया है। कई समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं लेकिन वह समय की मांग भर करती नज़र आती हैं। आदिवासियों को भी अपनी कई अंधविश्वासी परंपराओं से बाहर निकलने में समय लग रहा है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि महिलाओं को लेकर यह क्षेत्र कहीं अधिक संवेदनशील और आश्चर्यजनक रूप से प्रगतिशील है। ❑

ख़बरों में

● **झूलन गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर**

दुनिया की शीर्ष महिला तेज़ गेंदबाजों में से एक झूलन गोस्वामी को महिला वनडे क्रिकेट के लिये शुरू की गई आईसीसी रैंकिंग में गेंदबाजी की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। आईसीसी ने महिला क्रिकेटरों के लिये पहली बार वनडे रैंकिंग की शुरुआत की है। भारत की नयी कप्तान झूलन ने जहां गेंदबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है वहीं देश की शीर्ष बल्लेबाज मिताली राज को बल्लेबाजों की सूची में दूसरा स्थान मिला है।

आईसीसी के मैनेजर क्रिकेट परिचालन डेविड रिचर्ड्सन ने कहा, "महिला क्रिकेट निश्चित तौर पर प्रगति की ओर है और वनडे रैंकिंग महज उसका एक संकेत है।"

अगला वर्ष महिला क्रिकेट के लिये काफी महत्वपूर्ण होगा। अगले वर्ष मार्च में ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी विश्व कप खेला जाएगा। उसके बाद 20-20 महिला विश्व कप का भी आयोजन किया जाएगा।

● **धान पर 50 रुपये बोनस**

सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। साधारण किस्म के धान का एमएसपी 850 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए (उन्नत किस्म) के धान का एमएसपी 80 रुपये प्रति क्विंटल है। इसलिये बोनस के बाद साधारण किस्म का प्रभावी ख़रीद मूल्य 900 रुपये प्रति क्विंटल और उन्नत किस्म की क़ीमत 930 रुपये प्रति क्विंटल होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि 2008-09 के पूरे खरीफ विपणन सत्र के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 50 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस को मंजूरी दे दी गई है।

● **देश में खुलेंगे 44 नये पर्यटन प्रबंधन संस्थान**

देश में पर्यटन और अतिथि सत्कार से जुड़े उद्योग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी पूरा करने का सरकार ने इंतजाम कर लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक स्कीम मंजूर की है। इसके तहत देश में होटल मैनेजमेंट व फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खुलेंगे। इस तरह का प्रशिक्षण देने वाली वर्तमान संस्थाओं की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सरकार के इस कार्यक्रम के दायरे में आईटीआई, पॉलिटेक्निक भी आएंगे जहां इन कोर्सों के प्रशिक्षण के लिये क्षमता तैयार की जाएगी।

इस पर ग्यारहवीं योजना में 495 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे। इस योजना के तहत 11वीं योजना के दौरान 19 नये राजकीय इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम) और 25 राजकीय फूड क्राफ्ट संस्थान खोले जाएंगे। होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) की स्थापना के लिये केंद्रीय वित्तीय सहायता को पहले के 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये कर दिया गया है। दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिये होगी क्योंकि छात्रों का चयन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिये अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है। इस नयी व्यवस्था से आतिथ्य क्षेत्र में 2011 से 2012 तक प्रतिवर्ष करीब साढ़े उन्नीस हज़ार अतिरिक्त प्रशिक्षित लोग मिलने लगेंगे। पर्यटन मंत्रालय का आकलन है कि इस समय देश में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में प्रतिवर्ष दो लाख तीन हज़ार प्रशिक्षित कर्मी हैं जबकि मौजूदा सभी संस्थानों में क़रीब 12 हज़ार कर्मी ही मिल रहे हैं। एक और अहम फ़ैसले में सरकार ने देश में पशुओं की बीमारियों को समाप्त करने और उन बीमारियों के अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिये इसमें संबंधित विधेयक में संशोधन किए जाने को मंजूरी दे दी है।

● **मातृत्व लाभ**

कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र के ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये 1 अप्रैल, 2008 से लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में मातृत्व लाभ को भी शामिल करने की मंजूरी दी है बशर्ते ऐसा प्रति लाभान्वित 750 रुपये की मौजूदा प्रीमियम सीमा में ही लिया जाए।

● **पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स का दूसरा विश्व खिताब**

पंकज आडवाणी ने एक सप्ताह में दूसरा विश्व बिलियर्ड्स खिताब अपने नाम कर लिया है। 23 वर्षीय पंकज ने आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के टाइम फॉर्मेट फाइनल में देवेंद्र जोशी पर 2-3-7-0, 2-0-2-0 की जीत दर्ज़ की। उन्होंने गीत सेठी को हराते हुए प्वाइंट फॉर्मेट का विश्व खिताब जीता था।

24 जुलाई, 1985 को पुणे में जन्मे पंकज ने 19 साल की उम्र में ही तीन विश्व खिताब जीतते हुए अपनी प्रतिभा दर्शा दी थी।

● **भारत ने फिलिस्तीन को दिए दो करोड़ डॉलर**

भारत ने फिलिस्तीन प्रशासन को दो करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत फिलिस्तीन समस्या का बातचीत से हल चाहता है, जिससे स्वतंत्र और सार्वभौमिक फिलिस्तीन की स्थापना हो सके। भारत ने बजटीय सहायता के तहत एक करोड़ डॉलर और फिलिस्तीन में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों के लिये एक करोड़ डॉलर देने का वादा किया है। श्री मनमोहन सिंह ने भारत की वित्तीय मदद से चाणक्यपुरी के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में बनाए जा रहे फिलिस्तीनी दूतावास के भवन का शिलान्यास भी किया।

● **अरुण रामनाथन नये वित्त सचिव**

वित्तीय सेवा सचिव अरुण रामनाथन नये वित्त सचिव बने। उन्होंने डी. सुब्बाराव का स्थान लिया, जो रिज़र्व बैंक के गवर्नर बनाए गए हैं।

● **शशांक मनोहर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नये अध्यक्ष**

पेशे से वकील श्री शशांक मनोहर ने गत सितंबर माह में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद का भार संभाल लिया जबकि एन श्रीनिवासन नये सचिव बन गए।

पूर्व टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान कृष्णामचारी श्रीकांत को दिलीप वेंगसरकर की जगह मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। वह पहली बार वेतन पाने वाली चयन समिति के प्रमुख होंगे। उनके साथ यशपाल शर्मा, राजा वेंकट, सुरेंद्र भावे और नरेंद्र हीरवानी चयन समिति में हैं। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और मुंबई के तेज़ गेंदबाज अभय कुरुविला जूनियर चयन समिति के नये प्रमुख होंगे। निवृतमान जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष संजीव शर्मा समिति में बने रहेंगे। नये संयुक्त सचिव संजय जगदाले इसके समन्वयक होंगे।

महेंद्र पांडोव नये कोषाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अरुण जेटली, शिवलाल यादव, अरिदम गांगुली, चिरायु अमीन और ललित मोदी, पांच उपाध्यक्ष होंगे।

श्री पवार अब उपाध्यक्ष होंगे और आईसीसी

के भावी अध्यक्ष भी। वह मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष होने के नाते भी बीसीसीआई से जुड़े रहेंगे। वह मार्केटिंग उपसमिति के अध्यक्ष भी हैं। पवार के कार्यकाल में उपाध्यक्ष रहे राजीव शुक्ला को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि निरंजन शाह इंडियन प्रीमियर लीग के उपाध्यक्ष होंगे।

- **धोनी को वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार**

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्रतिष्ठित आईसीसी अवार्ड समारोह में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया। भारत के धुरंधर बल्लेबाज युवराज सिंह को 20-20 इंटरनेशनल परफार्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपाल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में गैरी सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया।

- **महेंद्र कपूर का निधन**

देशप्रेम के गीतों से अपनी अलग छाप छोड़ने वाले प्रख्यात पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का गत माह निधन हो गया। वे 74 साल के थे।

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पार्श्व गायन के क्षेत्र में उनके जीवन पर्यंत योगदान के लिये उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की थी।

- **अरविंद अडिग को बुकर सम्मान**

वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार भारतीय उपन्यासकार अरविंद अडिग को उनकी पहली पुस्तक *द व्हाइट टाइगर* के लिये दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले विश्व के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक बुकर पुरस्कार है। बुकर पुरस्कारों की दौड़ में छह लेखकों को नामांकित किया गया था। इनमें अडिग के अलावा भारतीय लेखक अमिताभ घोष, सेबेस्टियन बैरी, स्टीव टोल्ट्ज, लिंडा ग्रांड और फिलिप हेनशर शामिल थे। इन लेखकों में 33 वर्षीय अडिग सबसे कम उम्र के थे। उन्होंने आयरलैंड के सेबेस्टियन बैरी को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार प्राप्त किया। अडिग को पुरस्कार राशि के रूप में 87,000 डॉलर की रक़म मिलेगी। सबसे कम उम्र में बुकर पुरस्कार जीतने वाले वह दूसरे लेखक हैं। इनसे पहले वर्ष 1991 में बेन ओकरी ने 32 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार पाया था।

बुकर पुरस्कार के पांच सदस्यीय जजों के पैनल के चेयरमैन माइकल पोर्टिलो ने *द व्हाइट टाइगर* की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में बताया गया है। पोर्टिलो ने लंदन में बुकर पुरस्कार के विजेता की घोषणा करते हुए पत्रकारों को बताया कि यह एक संपूर्ण उपन्यास है।

यह उपन्यास एक ऐसे पात्र की कहानी है जो सफल होने के लिये किसी भी रास्ते को गलत नहीं मानता। इस पुस्तक की कहानी उसके मुख्य पात्र बलराम हलवाई के आसपास घूमती है जो बिहार के गया जिले के अपने गांव की ग़रीबी से छुटकारा पाने का सपना देखता है। यही सपना उसे दिल्ली और बंगलुरु की यात्रा करा देता है जहां वह ऊंचाई पर जाने के लिये कुछ भी करने को तैयार है। बुकर पुरस्कार विजेता की घोषणा होने से पहले अडिग ने बताया कि *द व्हाइट टाइगर* को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य ग़रीबी का चित्रण करना है।

- **छह राज्यों में चुनाव की घोषणा**

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर सहित छह राज्यों में विधानसभा

(शेषांश पृष्ठ 80 पर)

FREE WORK SHOP
with
SAROJ KUMAR'S
(P.T. & Mains)
(हिन्दी / ENGLISH MEDIUM)
Geography / भूगोल - 10th Nov. 10 AM
G.S. / सामान्य अध्ययन - 11th Nov. 10 AM
History / इतिहास - 12th Nov. 10 AM
Essay / Comp. Eng. निबन्ध/अनिवार्य अंग्रेजी - 13th Nov. 10 AM
Exclusive P.C.S. Classes
Bihar, M.P., Chhatigarh, Rajasthan, Uttarkhand & Jharkhand
☞ Foundation Course - 4-5 months
☞ Mains - 3-4 months
☞ P.T. - 2-3 months
Admission open for all Classes
Special Batch for Day Scholars (working)~ Weekand & Holidays
Contact:-
DR. VEENA SHARMA
SAROJ KUMAR'S IAS ERA
1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Road, Near Shakti Nagar Red Light, Above P.N.B. Near Delhi University North Campus Delhi-110007
Ph.: 011-64154427 Mob. : 9910360051, 9910415305
YH-11/08/7

भारतीय वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक उपलब्धि

श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से युकेलिप्टस के झुरमुटी से हवा को चीरता पीएसएलवी सी-11 जब आकाश की ओर बढ़ा तो भारत सफलतापूर्वक चंद्र अभियान भेजने वाला विश्व का छठा देश बना गया। पीएसएलवी के प्रदर्शन और सफलता दर को देखते हुए चंद्रयान-1 के लिये इसके उन्नत संस्करण को चुना गया था। चंद्रयान-1 के चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर नजदीक पहुंचने के बाद चंद्रयान से मून इंपैक्ट प्रोब बाहर आएगा जो लगभग दो साल तक उससे जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएगा। चांद के लिये इस सफर में चंद्रयान लगभग चार लाख किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। साढ़े चार अरब वर्ष पुराने चांद के लिये भेजा गया चंद्रयान घनाकार है जिसका वज़न प्रक्षेपण के समय 1,304 किलोग्राम तथा चांद की कक्षा में इसका वजन 590 किलोग्राम है।

चंद्रयान के दो साल के सफर में इसमें विशेष तौर पर लगाई गई सोलर पट्टी इसे अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगी। सोलर पट्टी से 700 वाट बिजली पैदा होगी जबकि चंद्रग्रहण के दौरान लिथियम आयन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि आंकड़ा भेजने के लिये चंद्रयान पर 0.7 मीटर व्यास का एक्स बैंड लगा हुआ है। टेलीमेट्री वस्तुओं का पता लगाने तथा निर्देश जारी करने की व्यवस्था एक्स बैंड पर उपलब्ध है। चंद्रयान-1 पर 11 पेलोड लगे हैं जिनमें क्षेत्र मापने वाली स्टिरियो कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल, इमेजिंग कैमरा, लुनर लेजर, रेजिंग उपकरण, उच्च शक्ति वाला एक्स-रे, स्पेटोमीटर, मून इंपैक्ट प्रोव जैसे उपकरण हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड एपलेटन लैब ब्रिटेन और इसरो के गठजोड़ से चंद्रयान-1 एक्स रे, स्पेक्टोमीटर, जर्मनी का नियर इंफ्रा रेड, स्पेक्टोमीटर, स्वीडन का उपनाभिकीय अन्वेषक (सारा), बुल्गारिया का रेडिएशन डोज मॉनिटर, अमरीका के नासा का मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार तथा अमरीका का मूल मिनरोलाजी मैपर लगा हुआ है।

अब तक छोड़े गए भारतीय उपग्रह

क्र.सं.	प्रक्षेपण तिथि	वाहन	परिणाम
1.	10 अगस्त, 1979	एसएलबी-3ई1	विफल
2.	18 जुलाई, 1980	एसएलबी-3ई2	सफल
3.	31 मई, 1981	एसएलबी-3डी1	सफल
4.	17 अप्रैल, 1983	एसएलबी-3डी2	सफल
5.	24 मार्च, 1987	एएसएलबी-डी1	विफल
6.	13 जुलाई, 1988	एएसएलबी-डी2	विफल
7.	20 मई, 1992	एएसएलबी-डी3	सफल
8.	20 सितंबर, 1993	पीएसएलबी-डी1	विफल
9.	4 मई, 1994	एएसएलबी-डी4	सफल
10.	15 अक्तूबर, 1994	पीएसएलबी-डी2	सफल
11.	21 मार्च, 1996	पीएसएलबी-डी3	सफल
12.	29 सितंबर, 1997	पीएसएलबी-सी1	सफल
13.	26 मई, 1999	पीएसएलबी-सी2	सफल
14.	18 अप्रैल, 2001	जीएसएलबी-डी1	सफल
15.	22 अक्तूबर, 2001	पीएसएलबी-सी3	सफल
16.	12 सितंबर, 2002	पीएसएलबी-सी4	सफल
17.	8 मई, 2003	जीएसएलबी-डी2	सफल
18.	17 अक्तूबर, 2003	पीएसएलबी-सी5	सफल
19.	20 सितंबर, 2004	जीएसएलबी-एफ01	सफल
20.	5 मई, 2005	पीएसएलबी-सी6	सफल
21.	10 जुलाई, 2006	जीएसएलबी-एफ02	सफल
22.	10 जनवरी, 2007	पीएसएलबी-सी7	सफल
23.	23 अप्रैल, 2007	पीएसलएलबी-सी8	सफल
24.	2 सितंबर, 2007	जीएसएलबी-एफ04	सफल
25.	21 जनवरी, 2008	पीएसएलबी-सी10	सफल
26.	28 अप्रैल, 2008	पीएसएलबी-सी9	सफल
27.	22 अक्तूबर, 2008	पीएसएलबी-सी11	सफल

पृथ्वी से एक लाख किलोमीटर से ऊपर के मिशनों को गहरा अथवा सुदूर अंतरिक्ष मिशन कहा जाता है। चंद्रयान-1 भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इससे संपर्क बनाए रखने के लिये इसरो ने बंगलुरु से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्यालालु में ताकतवर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एवं नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। जो अपने 32 मीटर ऊंचे एंटीना के द्वारा मिशन की संपूर्ण अवधि के दौरान उससे संपर्क स्थापित किए रखेगा और महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठा करेगा।

प्रो. यशपाल ने कहा कि चंद्रयान पर 10 गिगाबाइट का मूल मिनरोलॉजी मैपर खनिज तथा लवणों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ऊर्जा के विकल्पों की तलाश का है जिसमें हिलीयम-3 तत्व की खोज का कार्य अहम होगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान अपने अभियान के दौरान चंद्रमा कक्षा में दो वर्ष की यात्रा के दौरान चंद्रमा की सतह तथा इस उपग्रह पर जल की संभावना का पता लगाएगा।

ज़मीन पर चंद्रयान-1 पर डीप स्पेस स्टेशन, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर (एसएससी) तथा इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर (आईएसएसडीसी) नज़र रखेगा। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-1 पर 7.6 करोड़ डॉलर की लागत आई है। इसमें से 1.1 करोड़ डॉलर पेलोड के विकास में 1.7 करोड़ डॉलर अंतरिक्ष यान पर 2 करोड़ डॉलर डीप स्पेस, 2 करोड़ डॉलर पीएसएलवी वाहन के प्रक्षेपण तथा एक करोड़ डॉलर वैज्ञानिक आंकड़े, बाह्य नेटवर्क तथा कार्यक्रम प्रबंध पर ख़र्च हुए।

चंद्रयान के सफर की शुरुआत उस समय हुई जब इंडियन अकादमी ऑफ साइंस की बैठक के दौरान वर्ष 1999 में चांद पर भारतीय मिशन का प्रस्ताव किया गया था। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन विश्व का 68वां चंद्र अभियान है। पहला चंद्र अभियान सोवियत रूस ने 2 जनवरी, 1959 को भेजा था, इसके तीन महीने बाद ही अमरीका ने 3 मार्च, 1959 को अपने चंद्र अभियान को अमली जामा पहनाया। इन दोनों देशों ने अब तक 62 चंद्र अभियान भेजे हैं। पहला मानव सहित चंद्र अभियान 20 जुलाई, 1969 को भेजा गया था।❑

सीआरआर और रेपो दर में कटौती

पहले दो किश्तों में सीआरआर में कुल 250 आधार अंकों की कटौती, फिर रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कटौती और कृषि राहत पैकेज़ को मिलाकर भारतीय बैंकों को मिली अतिरिक्त तरलता

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली में अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने के लिये हरसंभव कदम उठा लिये हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने पास रोक कर रखे बैंक फंड जारी कर दिए हैं और बैंकों को गिल्ट के बदले अधिक रक़म उधार लेने की सहूलियत दे दी है। साथ ही रिज़र्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों के लिये धन राशि जमा करने को थोड़ा और आकर्षक बना दिया है। उधार लेने में पहले सुस्ती बरतने के बाद अब केंद्र सरकार में बैंकों के लिये कृषि राहत के मद में 35,000 करोड़ रुपये जारी करते हुए अपना ख़र्च बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं सरकार ने बैंकों को पूंजी पर्याप्तता का स्तर बढ़ाने के लिये नकदी मुहैया कराने का वादा भी किया है।

वित्तीय क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद मुश्किलों में से दो का आंशिक हल इन उपायों से होने की उम्मीद दिख रही है। अब बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता होगी और रीडेम्प्शन के दबावों से निपटने के लिये म्यूचुअल फंड को भी कुछ हद तक आसानी हो सकती है। नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) में की गई 100 बेसिस प्वाइंट (एक फीसदी) की कमी से बाज़ार में 40,000 करोड़ रुपये जाएंगे। यह कटौती 11 अक्तूबर की पिछली तारीख से ही लागू मानी जाएगी। कृषि राहत पैकेज के साथ इसे मिला कर देखें तो लगभग 75,000 करोड़ रुपये बैंकिंग तंत्र में आ जाएंगे। यह 55,340 करोड़ रुपये की उस रकम से अधिक है जिसे बैंकों ने आरबीआई से उधार लिया। नतीज़तन बैंकों के बीच कर्ज़ के लेनदेन की दर 9 फीसदी से नीचे आ सकती है।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में पहले 1.5 फीसदी और फिर एक फीसदी कमी करने के रिज़र्व बैंक के फैसले से ब्याज दरों में नरमी आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बैंकरों ने कहा है कि सभी तरह के कर्ज़ पर ब्याज दरों में कमी आने में थोड़ा समय लग सकता है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने आवास, शिक्षा और वाहन ऋण पर ब्याज दरों में आधा फीसदी की कटौती की घोषणा की है।

सीआरआर बैंकों के जमा का वह हिस्सा होता है, जिसे रिज़र्व बैंक के पास रखना पड़ता है। रिज़र्व बैंक ने सीआरआर में दूसरी किश्त के तौर पर एक फीसदी कटौती करने का फ़ैसला किया है।

इसके बाद रिज़र्व बैंक ने रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती करने की घोषणा की। नयी दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। रेपो दर में कटौती के बाद यह घटकर 8 फीसदी पर आ गई है।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक की ओर से वर्ष 2004 के बाद पहली बार रेपो दर में कटौती की गई है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से बैंकों को अब रिज़र्व बैंक से अल्पावधि के कर्ज़ जुटाने में आसानी होगी। रिज़र्व बैंक की ओर से रेपो दर में कटौती का फ़ैसला मौद्रिक नीति की मध्यावधि समीक्षा के चार दिन पहले आया है।

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि "इस कदम से निवेशक अपने निवेश प्रस्ताव आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित होंगे। इससे महंगी ब्याज दरों में कमी का दौर शुरू होगा। जानकारों का कहना है कि नकद आरक्षित अनुपात में कटौती से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर रुक गया, वहीं रेपो दर में कटौती से जमा और कर्ज़ की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। वैश्विक वित्तीय स्थिति पर अनिश्चितता के मंडराते बादल के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ने कहा कि विदेश में नियामकों द्वारा कदम उठाने के बाद भी वित्तीय बाजारों में विश्वास कायम नहीं हो पाया है। बैंकरों ने रिज़र्व बैंक के इस कदम पर खुशी जताई और कहा कि इससे ब्याज दरों में कमी हो सकती है, लेकिन यह जमाओं की लागत पर निर्भर करेगा। इससे विकास दर की रफ्तार में भी तेज़ी आएगी।

पीएनबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के.सी. चक्रवर्ती ने कहा, "रिजर्व बैंक ने सीआरआर में कमी का जो फ़ैसला लिया है, वह स्वागतयोग्य है। इससे तरलता पर दबाव कम होगा।" उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय बैंक के सीआरआर में कमी की घोषणा के पहले ही ब्याज दरों में कमी करने का ऐलान किया है। ऐसा त्योहारी सीजन के लिये ग्राहकों को कम ब्याज दर पर कर्ज़ मुहैया कराने के लिये किया गया है। उन्होंने कहा कि सीआरआर में की गई कटौती के बाद लोन पर ब्याज दरों में कमी का ऐलान पहले पीएनबी ने किया है।

इंडियन बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एम.एस. सुंदर राजन ने बताया, "तरलता की स्थिति में सुधार होते ही ब्याज दरों में नरमी आएगी।" उन्होंने रिज़र्व बैंक के सीआरआर में और एक फीसदी की कमी करने का फ़ैसला किया। सीआरआर में और एक फीसदी की कमी के फ़ैसले से बैंकिंग व्यवस्था में और 40,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। इससे

सुरक्षित हैं भारतीय बैंक

वैश्विक मंदी के मद्देनज़र संसद में प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों यह आश्वासन दिया कि "हमारे बैंक, सार्वजनिक और निजी, दोनों वित्तीय तौर पर मज़बूत हैं। उनमें पर्याप्त पूंजी है। बैंक के नाकाम होने का कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं हमारे बैंकों में जमा करने वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी जमा राशि पूरी तरह से सुरक्षित है।"

वर्ष 2008 के वित्तीय आंकड़ों की मानें तो कोई भी भारतीय बैंक, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, नाकाम नहीं हो सकता।

अप्रैल की शुरुआत में कुछ बैंकों के मामले में अलबत्ता हालात मामूली रूप से बदले हुए ज़रूर नज़र आए। ब्याज दर में बढ़ोतरी के चलते, ग्राहकों के डिफाल्टर होने की वज़ह से उनके फंसे कर्ज़े यानी नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) में इज़ाफ़ा दर्ज़ किया गया। इसके साथ ही इन बैंकों पर कतिपय बड़े वैश्विक बैंकों के संकट की छाया भी कुछ ज्यादा ही महसूस की गई लेकिन यह स्थिति उनकी बैलेंस-शीट पर कोई बड़ा असर नहीं डाल सकी।

किसी बैंक की सेहत का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि उसके पास पूंजी की मात्रा, परिसंपत्ति की गुणवत्ता और उसकी कमाई जैसे अहम मानक कहां खड़े हैं। इनसे ही जमाकर्ताओं की पूंजी को लौटाने की उसकी सामर्थ्य का पता चलता है। इन सभी मानकों को भारतीय बैंक इत्मीनान के साथ पूरा करते हैं।

कुल पूंजी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल परिसंपत्ति (पूंजी और रिज़र्व) देश के समस्त बैंकों के मुक़ाबले सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक है। इन दोनों बड़े बैंकों में प्रत्येक के पास इस कड़ी में तीसरे नंबर पर आने वाले पंजाब नेशनल बैंक के मुक़ाबले चार गुना अधिक संपत्ति है। देश के सात प्रमुख बैंकों के पास कुल परिसंपत्ति 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

कुल एनपीए (फंसे कर्ज़े)

अधिकतर भारतीय बैंकों का एनपीए एक फीसदी से भी कम है। यहां कार्यरत विदेशी बैंकों समेत तमाम बैंकों के मामले में औसत आंकड़ा यही है। इस प्रकार परिसंपत्ति को लेकर कोई चिंता की बात फ़िलहाल नज़र नहीं आती।

नकद जमा अनुपात (सीएआर)

बड़े माने जाने वाले भारतीय बैंकों में सीएआर के मामले में आईसीआईसीआई बैंक पहले नंबर पर है। उसका नकद जमा अनुपात 13.97 प्रतिशत है जो कि इस क्रम में ज़रूरी समझे जाने वाले आंकड़े यानी नौ प्रतिशत से काफी अधिक है। हालांकि चार बैंकों का सीएआर आईसीआईसीआई से भी अधिक है लेकिन वे अपेक्षाकृत छोटे बैंक हैं। कुल मिलाकर 30 ऐसे बैंक हैं जिनका सीएआर 12 प्रतिशत से अधिक है। देश का कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसका सीएआर 9 प्रतिशत से कम हो। नियमों के हिसाब से सौ रुपये की पूंजी होना ज़रूरी है। नौ फीसदी से अधिक पूंजी इस बात का प्रमाण है कि हमारे बैंक मज़बूत हैं।

शुद्ध लाभ

पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो इस कड़ी में स्टेट बैंक 6,729 करोड़ रुपये के साथ पहले नंबर पर है। दूसरा नंबर आईसीआईसीआई का है। जिसका शुद्ध लाभ है 4,158 करोड़ रुपये। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने भी पिछले साल 2,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हासिल किया। यह स्थिति दर्शाती है कि ये तमाम बैंक कोई भी झटका झेलने की स्थिति में हैं।

पूंजी

कोलकाता स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे दो बैंकों में शामिल हैं, जिनका सबसे ज्यादा इक्विटी आधार है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का नंबर आता है। इन दो के अलावा 1,000 करोड़ से अधिक की पूंजी वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश का इकलौता बैंक है।

परिसंपत्तियों पर रिटर्न

परिसंपत्तियों पर कम से कम एक प्रतिशत रिटर्न दर्ज़ करने वाले बैंकों की संख्या 27 हैं इनमें से पांच जो कि अपेक्षाकृत छोटे बैंक हैं, उनका रिटर्न 1.5 प्रतिशत आंका गया है।

शेयर मूल्य

जब बहुराष्ट्रीय निवेशक लीमैन ब्रदर्स की नैया डूबी, उसके एक दिन बाद ही 15 सितंबर के आसपास आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में अधिकतम गिरावट दिखी। लीमैन के दिवालियेपन ने विश्व शेयर बाज़ार को हिला दिया और फिर 13 अक्तूबर को जब बाज़ार ने राहत की सांस ली, आईसीआईसीआई 32 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 16.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। केवल सरकारी क्षेत्र के बैंक ही तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित हुए और तो और इंडियन बैंक की अगुवाई में कुछ बैंकों ने बढ़त भी दर्ज़ की। ❑

कंपनियों के कर्ज़ की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने पिछले 10 दिनों में सीआरआर में 2.3 फीसदी कमी करने का फ़ैसला किया है। इस अवधि में उसने तीन बार सीआरआर में कमी का फ़ैसला किया है। इससे बैंकिंग व्यवस्था में कुल 1,00,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएंगे।

कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रनील पी. ने बताया कि रिज़र्व बैंक के इस कदम से बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ब्रॉड ट्रेडिंग के प्रमुख अरविंद संपत ने बताया कि रिज़र्व बैंक ने शानदार कदम उठाया है। इससे सेंटीमेंट और तरलता दोनों में ही बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय से तरलता में आई कमी के चलते एक तरफ जहां बैंक कंपनियों को पर्याप्त कर्ज़ उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे वहीं दूसरी तरफ बैंक बाज़ार में कर्ज़ पर ब्याज की दरें बहुत अधिक बढ़ गई थी। ऐसे में कंपनियों को अपनी कामकाजी पूंजी की ज़रूरतें पूरी करने के लिये भी कर्ज़ नहीं मिल पा रहा था। ❑

2 अक्तूबर, 2008
विश्व भर में मनाया जा रहा है
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

"अहिंसा मानव जाति की सबसे बड़ी शक्ति है"
महात्मा गांधी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

davp 22202/13/0134/0809

YH-11/08/14

क्रूगमैन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

वर्ष 2008 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीकी अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमैन को देने की घोषणा की गई है। क्रूगमैन आम आदमी के अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं।

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल क्रूगमैन को दिया जाना असहज-सा लगता है। यह एक ओर जहां पिछली परंपराओं के अनुरूप लगता है, वहीं कुछ संकेत इससे अलग कहानी बयां करते हैं। अगर अर्थशास्त्र के नोबेल की परंपरा को देखें तो यह तीन दशक पहले के विद्वतापूर्ण विकास कार्य न्यू ट्रेड थ्योरी और न्यू इकनॉमिक जियोग्राफी के लिये दिया गया है। पिछले चलन के उलट यह पुरस्कार इस बार ऐसे व्यक्ति को मिला है जो अंग्रेज़ी बोलने वाली दुनिया में जाना-पहचाना नाम है। ऐसा आमतौर पर नोबेल शांति पुरस्कार और कुछ हद तक साहित्य के लिये नोबेल पुरस्कार के लिये किया जाता है। अगर अन्य क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा या अर्थशास्त्र में आमतौर पर जिन्हें नोबेल मिलता है उन्हें बाहरी दुनिया में कम लोग ही जानते हैं। वर्ष 1980 से इकनॉमिक्स के नोबेल की बात करें तो जोसेफ स्टिगलिट्ज और अमर्त्य सेन के अलावा शायद ही कोई ऐसा नाम हो जिसके बारे में भारतीयों ने पहले से सुना हो। इसकी वज़ह यह है कि यह पुरस्कार ऐसे गूढ़ कार्यों के लिये दिया जाता है जिसे कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन बड़ी वज़ह यह है कि नोबेल जीतने वाले आम जनता से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते।

अंतरराष्ट्रीय कारोबार का संचालन करने वाले कारकों के वर्तमान परिदृश्य को पेश करने का श्रेय क्रूगमैन को दिया गया है। न्यूयार्क और लंदन जैसे शहर उनकी नज़र में घरेलू बाज़ारों पर आश्रित नहीं रह गए और पूरी दुनिया से कारोबार कर सकते हैं। लेकिन क्या उनका योगदान यहीं तक सीमित है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को क्रूगमैन को नोबेल पुरस्कार मिलना रास नहीं आया होगा। लेकिन क्रूगमैन की सोच इससे कहीं आगे थी। न्यूयार्क टाइम्स में अपने कॉलम के चलते वे सबसे अधिक पढ़े जाने वाले कॉलम लेखक बन गए। लोगों के मन में उनके विचार और उनकी बेबाकी के लिये सम्मान जगा। हालांकि बुश प्रशासन ने पहले सबप्राइम संकट की समय पर पहचान नहीं कर पाने और बाद में मामले को संभालने में असफल रहने के लिये उनकी कड़ी आलोचना की। क्रूगमैन ने इस संकट की भविष्यवाणी काफी पहले कर दी थी इसलिये वे दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेताओं से अधिक लोकप्रिय हैं।

नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन् 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी, जबकि पुरस्कार देने की परंपरा 1901 में शुरू हुई। प्रारंभ में (1901 में) पांच क्षेत्रों, शांति, साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता था। 1969 में स्वीडन सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया। यह पांचों पुरस्कार स्टॉकहोम (स्वीडन) में दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नार्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये पुरस्कार 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं।

रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में चयन पांच सदस्यों की एक ज्यूरी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में चयन कोरलिंस्का इंस्टीट्यूट के पांच सदस्यों द्वारा किया जाता है। शांति के क्षेत्र में चयन नार्वे संसद द्वारा गठित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में चुनाव स्वीडिश एकेडमी द्वारा किया जाता है। पुरस्कार के रूप में एक गोल्ड मेडल और एक करोड़ स्वीडिश क्रोन दिया जाता है।

भारतीय नागरिकों को भी कई क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। सर्वप्रथम रवींद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी कृति *गीतांजलि* के लिये मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल मिला। श्री रमन ने ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में ह्यूमन जेनेटिक्स कोड पर विशेष काम करने पर हरगोविन्द खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में जन्मे सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने खगोलिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था। उन्हें 1983 में भौतिक विज्ञान का नोबेल मिला। अमर्त्य सेन ऐसे एशियाई थे जिन्हें इकोनॉमिक थ्योरी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिये अर्थशास्त्र का नोबेल (1998) मिला। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को अमरीका के पूर्व उपराष्ट्रपति, अल गोर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2007 का नोबल शांति पुरस्कार मिला। इस पैनल के अध्यक्ष भारत के राजेन्द्र पचौरी थे। वह अब भी इसके अध्यक्ष हैं। इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्ती अहतिसारी को मिला। साहित्य का नोबेल, फ्रांस के उपन्यासकार ज्यां मारी गुस्ताव ली क्लेजिओ को मिला। रसायन विज्ञान का नोबेल जापानी वैज्ञानिक ओसामू शिमोमूरा और अमरीका वैज्ञानिकद्वय रोजर जिएन, मार्टिन शैल्फी को मिला। चिकित्सा का नोबेल दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक और एक जर्मन वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। फ्रांस के वैज्ञानिक तुक मोटेगनियर व महिला वैज्ञानिक फ्रांसकोइस बारसिनाउसी एड्स के वायरस की खोज करने के लिये सम्मानित होंगे। हासन को सरवाइकल कैंसर के वायरस का पता लगाने के लिये पुरस्कृत किया जाएगा। 2008 का भौतिक विज्ञान का नोबेल दो जापानी और एक अमरीकी वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ❑

लोक प्रशासन

द्वारा **अनिल सिंह**

प्रीलिम्स 100% गारंटी
अन्यथा स्टाम्प पेपर लिखित
पूरी फीस वापस (यदि G.S. 45%)

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नवीन बैच :
5 नवम्बर, 5 दिसम्बर अवधि : 4 माह

मात्र 4 पुस्तकों व क्लास नोट्स के द्वारा सफलता सुनिश्चित करें।

मेन्स हेतु नवीन बैच : 5 नवम्बर, 15 नवम्बर
गारंटी के साथ 330+ अंक अन्यथा 50% फीस वापस अवधि 3½ माह

Trust on us & Dare to Think Beyond the Big Names. Come & Join...

CSE-2007 में हमारे सफल अभ्यर्थी

SHIV KUMAR
IAS-07

MANISH
IRS-07

DHARMVEER
IRS-07

भूगोल with ज्योग्राफी गुरू कुमार ज्ञानेश (Scored-365)

निम्न पुस्तकों के लेखक

अन्य : सुरेश मीणा एवं हरिकेश मीणा

प्रा. एवं मुख्य परीक्षा पृथक-पृथक बैच-2009-10 प्रारम्भ

6th Nov. & 5 Dec.

NEW VISION IAS ACADEMY

M-3, 1st Floor, Jaina Building, A-31-34, Beside Arya Gas Agency, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
Mob. : 09891147383, 09313458877, 09250914314

YH-11/08/24

आज़ाद भारत का पहला तेल कुआं

आज़ाद भारत के पहले तेल कुंए ने अपनी उम्र के पचास पड़ाव पार कर लिये हैं। लुनेज 1 नाम का यह कुआं एशिया की अव्वल नंबर की तेल और गैस उत्खनन तथा उत्पादन कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के मुकुट का सबसे चमकदार नगीना है।

लुनेज 1 भारत में आज़ादी के बाद खोजा गया पहला कुआं ही नहीं है, और न ही इसकी अहमियत 50 साल पूरे करने की वजह से है। दरअसल, गुजरात को तेल का भंडार देने में भी इसका बड़ा योगदान है। इस कुएं की वजह से ही पता चला कि गुजरात में खंबात की खाड़ी में तेल का प्रचुर भंडार है।

इस कुएं की खोज भी दिलचस्प तरीक़े से हुई थी। 5 सितंबर, 1958 को सुबह 9 बजे का वक़्त था। ओएनजीसी के एक भू-वैज्ञानिक ने गीली मिट्टी में हल्के भूरे रंग का धब्बा देखा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस धब्बे की क़ीमत क्या है क्योंकि ज़िंदगी में कभी उसने कच्चा तेल नहीं देखा था।

उसने तक़रीबन 5 किलोमीटर दूर स्थित आधार शिविर में रूसी विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने आते ही कहा, "हां, यह तेल है। हमने तेल खोज लिया है।" इसे लुनेज 1 का नाम दिया गया। दिलचस्प है कि रूसियों का भारत में तेल कुआं खोदने का यह पहला काम था और पहली बार में ही उन्हें तेल मिल गया।

इस तलाश के पीछे एक और दिलचस्प कहानी है। डाक विभाग की लेटलतीफी ही इस कुएं की तलाश का कारण बन गई। डाक विभाग अगर लापरवाही नहीं बरतता, तो ऐसा नहीं होता। अगर एक तार वक़्त से पहुंच गया होता, तो लुनेज 1 के बारे में किसी को पता नहीं चलता। दरअसल, कुछ दिनों की खुदाई के बाद यह मान लिया गया कि खंबात खाड़ी में रेत ही नहीं है। इसलिये देहरादून में ओएनजीसी के मुख्यालय में यह काम बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया। इस बारे में तार भी भेज दिया गया, लेकिन वह देर से पहुंचा, इसलिये खुदाई का काम जारी रहा।

यह वाकया आईआरएस के पूर्व निदेशक लक्ष्मण सिंह ने सुनाया, जो उस वक़्त खंबात की खाड़ी में बतौर भू-वैज्ञानिक काम कर रहे थे। ओएनजीसी के दस्तावेज़ में भी यह वाकया दर्ज़ है। इसमें लुनेज 1 की तलाश और उसके बाद का सारा ब्यौरा दिया गया है।

लुनेज 1 की तलाश के साथ ही ओएनजीसी ने कई आलोचकों के मुंह भी हमेशा के लिये बंद कर दिए। दरअसल, ओएनजीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोग कांबे में खुदाई का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इस बेसिन में तेल कभी बन ही नहीं सकता।

खाकी वर्दी पहने सिंह मिट्टी के नमूने लेने के लिये बाल्टी लेकर जब उस जगह पहुंचे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि तेल किस तेज़ी के साथ निकल रहा है। नतीज़ा यह हुआ कि सिंह और उसकी पूरी वर्दी तेल से सराबोर हो गई। इस बेशक़ीमती खोज की याद के तौर पर बरसों तक उन्होंने वर्दी संभालकर रखी।

आज़ादी से पहले भी भारत में कच्चे तेल की तलाश की गई थी। उस समय असम में तेल मिला था। ❑

अब एक व्यक्ति भी बना सकेगा अपनी कंपनी

कंपनी अधिनियम 2008 को कैबिनेट की मंज़ूरी। जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा

अब एक ही व्यक्ति अपनी कंपनी शुरू कर सकेगा और न्यूनतम चुकता पूंजी की कोई सीमा नहीं होगी। बोर्ड में 33 फीसदी स्वतंत्र निदेशक भी रह सकेंगे। ऐसे व्यापक बदलाव वाले नये कंपनी विधेयक को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। करीब सात लाख कंपनियों का नियमन करने वाले इस बिल के संसद में पेश होने की संभावना है। बिल में यह कोशिश की गई है कि कंपनियां खुद अपना नियमन करें।

कंपनी अधिनियम, 2008 मौजूदा कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लेगा। इसमें 33 फीसदी स्वतंत्र निदेशक की बोर्ड में नियुक्ति, फर्मों द्वारा जनता में डिपॉजिट लेने पर रोक, एक व्यक्ति द्वारा कंपनी रजिस्टर कराने जैसे कई विकल्प शामिल किए जाएंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि मौजूदा कानून समय के हिसाब से नहीं चल रहा है। नया कानून क्रांतिकारी बदलाव ला देगा।

जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र कमेटी ने कंपनी अधिनियम का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका अदा की है।

कारपोरेट मामलों के संयुक्त सचिव जितेश खोसला का कहना है कि नये बिल में सरकारी हस्तक्षेप के बजाय शेयरधारकों के नियंत्रण को महत्व दिया जाएगा।

सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि नये बिल में देश के कंपनी जगत को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानदंडों के तहत संचालित करने के प्रयास किए जाएंगे।

नयी बातें, बड़े बदलाव

■ एक ही व्यक्ति कंपनी शुरू कर सकेगा। ■ किसी भागीदारी फर्म और बैंकिंग कंपनी में भागीदारों की संख्या 100 तक हो सकेगी। ■ कंपनी शुरू करने के लिये न्यूनतम चुकता पूंजी का कोई नियम नहीं होगा। ■ सहायक कंपनियां बनाने की कोई सीमा नहीं होगी। ■ छूट पर शेयर जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभी प्रवर्तक खुद को छूट पर ही शेयर जारी कर लेते हैं। ■ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधक माना जाएगा। ■ एक ही माध्यम से विलय और अधिग्रहण कराए जाएंगे। ■ निवेशकों को शिक्षित करने व संरक्षण देने के लिये कानूनी तौर पर एक फंड मुहैया कराया जाएगा। ■ अपराधों से निपटने के लिये अलग से एक कोर्ट का प्रावधान किया जाएगा। ❑

जीवन का पर्याय हैं बच्चे

● एस.के. मिश्रा

बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति माने जाते हैं, यही बच्चे देश का भविष्य भी होते हैं। लेकिन देश के भविष्य को गढ़ने वाले ये बच्चे कहीं कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो कहीं पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाने की वजह से संकट में हैं। कहीं ये बच्चे शिक्षा से वंचित हैं तो कहीं फूलों के समान कोमल शरीर को धूप में, खेतों-खलिहानों में कुम्हलाने के लिये छोड़ दिया जाता है। खेलने-कूदने और शिक्षा पाने की उम्र में इन्हें संकटों से जूझना पड़ता है जो बाल मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। अशिक्षित और आर्थिक परेशानी से गुजर रहे परिवारों में बच्चों के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही फिर भी समझ में आती है किंतु उन संपन्न लोगों द्वारा बच्चों के प्रति की जाने वाली अनदेखी को क्या कहा जाए जो शिक्षित होने के बावजूद समय पर अपने बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक टीकों से महरूम रख रहे हैं। बच्चों के विकास में सहायक होने के साथ ही साथ उन्हें बीमारियों से दूर रखने वाले टीकों के प्रति उदासीनता माता-पिता की क्षमा न की जाने वाली गलती है।

स्वास्थ्य ही धन है - यह प्राचीन कहावत आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। किंतु आज़ादी के 61 वर्ष बाद भी हम अपने तीन वर्ष या उससे कम आयु वर्ग के लगभग 50 प्रतिशत बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि स्वतंत्र भारत में लगभग दो करोड़ बाल मज़दूरों की मौजूदगी उन पर किए जा रहे अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं। भारतवर्ष में पैदा हुए लगभग 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कारण बचपन की बीमारियों से जान गंवा बैठते हैं। हम एक ओर तो समग्र विकास की बातें करते नहीं थकते वहीं दूसरी ओर बालकों की दुर्दशा को दरकिनार कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं। वास्तव में कुपोषण का कारण आर्थिक तंगी है या नहीं, इसके जवाब में प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या कुपोषित बच्चों की संख्या से लगभग 25 प्रतिशत कम है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक तंगी बच्चों के प्रति लापरवाही का प्रमुख कारक नहीं है।

बच्चे के जन्म लेने के साथ ही कई रोग प्रतिरोधक टीके और विभिन्न जीवनरक्षक दवाइयों की खुराकें दी जाती हैं ताकि देश का भविष्य पूरी ऊर्जा के साथ अपने अस्तित्व में आ सके। बच्चों के स्वास्थ्य के लिये जिम्मेदार लोक स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में समय-समय पर अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर जन समुदाय को बच्चों के भविष्य निर्माण की क्रांति से जोड़ता रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिशुओं के प्रति बरती जाने वाली सावधानी से संबंधित प्रशिक्षण शाला भी आयोजित की जाती रही है।

बच्चों को विटामिन ए का घोल प्रत्येक 6 माह के अंतराल में अवश्य दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अप्रैल एवं अक्तूबर माह को शिशु संरक्षण माह के रूप में मनाया गया। इन दोनों महीनों में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में नौ माह से पांच वर्ष तक के सभी शिशुओं को विटामिन-ए की दो खुराक़ पिलाई गई तथा इस हेतु जनजागरण के लिये जिला स्तर से लेकर गांवों तक विभिन्न आयोजन कर इस कार्यक्रम को क्रांति का रूप दिया जा रहा है।

शिशु संरक्षण माह का प्रमुख उद्देश्य नौ माह से पांच वर्ष तक के बच्चों के लिये विटामिन ए की खुराक़, टीकाकरण, कृमिनाशक एवं आयरन की गोली तथा गर्भवती माताओं के लिये आयरन गोली एवं विभिन्न परामर्श को छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव, अंतिम घर के हर लाभार्थी तक पहुंचाना है। टीकाकरण ही वह असरदार उपाय है जो शिशुओं को बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से दूर रखता है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से शिशु को बीसीजी, डीपीटी, ओपीबी और खसरे के टीके के साथ विटामिन-ए की खुराक़ भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के उत्तरोत्तर विकास में टीकाकरण सोने पे सुहागा का काम करता है।

विटामिन-ए घोल के द्वारा कुपोषण एवं बाल मृत्युदर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शिशु मृत्युदर को रोकना ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख लक्ष्य भी है। विटामिन-ए की खुराक़ प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में नि:शुल्क वितरित की जाती है। नौ माह से पांच वर्ष के प्रत्येक बच्चे को विटामिन-ए की खुराक़ आगे दी गई तालिका के अनुसार दी जानी चाहिए।

हमारे दैनिक आहार में विटामिन-ए सामान्य रूप से शामिल होता है, किंतु कभी-कभी उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। यही कारण है कि विटामिन-ए की पूरक खुराक़ देकर बच्चों को इसकी कमी से होने वाली बीमारियों से बचाया

तालिका-1

खुराक़	मात्रा	खुराक़ का समय
पहली	एक लाख आईयूए (1 मिली/आधा चम्मच)	9 से 12 माह
दूसरी	दो लाख आईयू (2 मिली/एक चम्मच)	12 से 18 माह
तीसरी	दो लाख आईयू (2 मिली/एक चम्मच)	18 से 24 माह
चौथी	दो लाख आईयू (2 मिली/एक चम्मच)	24 से 30 माह
पांचवीं	दो लाख आईयू (2 मिली/एक चम्मच)	30 से 36 माह
छठी	दो लाख आईयू (2 मिली/एक चम्मच)	36 से 42 माह
सातवीं	दो लाख आईयू (2 मिली/एक चम्मच)	42 से 48 माह
आठवीं	दो लाख आईयू (2 मिली/एक चम्मच)	48 से 54 माह
नवमी	दो लाख आईयू (2 मिली/एक चम्मच)	54 से 60 माह

जाता है। दिन-प्रतिदिन के आहार में मेथी, पालक, आलू, मूली की पत्तियां, आम, पपीता, गाजर, कद्दू, अंडे का पीला भाग, पाम का तेल, मछली, मांस आदि नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। इनमें विटामिन-ए की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। खाद्य पदार्थों में विटामिन-ए को संरक्षित रखने के लिये फलों को अच्छी तरह से धोकर सेवन करना चाहिए। हरी सब्ज़ियों को काटने से पहले धो लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार बहुत बारीक टुकड़ों में सब्जियां नहीं काटी जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन्हें ढककर पकाया जाए।

विटामिन-ए सकारात्मक रूप से गर्भस्थ शिशु के उत्तरोत्तर विकास से लेकर हड्डियों को मज़बूती देने तक प्रभावशील होने के साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है। विटामिन-ए के सेवन से बच्चों का डायरिया, निमोनिया एवं खसरा आदि बीमारी से बचाव होता है। इससे मृत्युदर में आशातीत कमी लाई जा सकती है। बच्चों में आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी विटामिन-ए कारगर होता है। बच्चों के समुचित विकास के लिये सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर अमल जन जागरुकता द्वारा किया जा सकता है।

बच्चों के संरक्षण के क्षेत्र में शासकीय प्रयासों के साथ ही इस क्षेत्र में सामाजिक संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का स्वागत सभी वर्ग को आगे आकर करना होगा। निर्धारित किए गए टीकाकरण कार्यक्रम से लेकर विकास के मार्ग को प्रशस्त हर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम में बरती जाने वाली शिथिलता के लिये अधिकारी, कर्मचारी सहित अभिभावकों के लिये दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित किया जाना भी ज़रूरी है। बच्चों के सुखद भविष्य और देश के नवनिर्माण की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब सच्ची निष्ठा से इनके प्रति समर्पण की भावना समाज के हर वर्ग एवं हर उम्र के लोगों में हो। टीकाकरण के साथ ही शिशु संरक्षण माह की सार्थकता भी इसी संकल्प के साथ पूरी की जा सकती है। ग़रीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा आदि मूलभूत कारणों पर एक साथ संघातिक प्रहार करके ही समस्या का समूल नष्ट किया जा सकता है। ❑

(ई-मेल : drskmishra_rjn@yahoo.com)

सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिये
(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (100 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (180 रुपये)

❑ त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिये कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर *'निदेशक, प्रकाशन विभाग'* के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

IAS/PCS - 2009-10
Eng./ हिन्दी Medium

समाजशास्त्र का विशेषज्ञ संस्थान

नया पाठ्यक्रम - नई चुनौतियाँ - प्रत्युत्तर सिर्फ एक

प्रारंभिक परीक्षा की सबसे लोकप्रिय पुस्तक

धर्मेन्द्र समाज शास्त्र

निःशुल्क कार्यशाला 16 Nov. 4 pm

नामांकन जारी

संपूर्ण, संवर्धित तथा अद्यतन पठन सामग्री पत्राचार हेतु भी उपलब्ध

Dharmendra's SOCIOLOGY

302, A-12-13, Top Floor, Ansal Building, Mulherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-65152590, Cell 9811115930

YH-11/08/26

आडंबर बनती श्रद्धा

● दिव्या पांडेय

आधुनिक युग के मशीनी एवं त्रासदीपूर्ण जीवन से व्यथित होकर हर व्यक्ति थोड़ी मानसिक शांति चाहता है और यह शांति उसे आध्यात्म के घने वृक्ष की शीतल छाया में ही मिल सकती है। इसलिये हर व्यक्ति जीवन की व्यस्तताओं के बावजूद धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होता है। धार्मिक आयोजन व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। धर्म लोगों को संतोष देने और उनके विचारों को संयमित रखने के लिये होता है। धर्म किसी न किसी रूप में सभी मानव समाजों में पाया जाता है। ऐसा मत है कि धर्म एक शाश्वत सत्य है जो सही आचरण, उचित विकास और सद्लक्षण को प्राप्त कराता है। सभी समाजों में किसी न किसी रूप में यह अवश्य ही बताया जाता है कि धर्म सांस्कृतिक एकता व सद्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म दार्शनिक रूप से भले ही अदृश्य हो परंतु व्यक्तिगत आचरण एवं क्रियाकलापों में यह गतिशील एवं प्रत्यक्ष होता है।

पृथ्वी पर मनुष्य के उद्भव के साथ ही मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म का पालन करना शुरू कर दिया था। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जब मानव आदिम अवस्था में रहता था, तब वह पंचतत्वों को पूजता था। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर आदि उनके भगवान थे। कालांतर में जब व्यक्ति आदिम युग से निकलकर धीरे-धीरे विकसित समाज की ओर अग्रसर हुआ तब ईश्वर को साकार एवं निराकार दो रूपों में पूजने लगा। निराकार की उपासना सतयुग एवं त्रेता युग में की जाती थी। बाद में द्वापर एवं कलयुग के आने पर जब निराकार साधना कठिन होती गई तो ऋषियों ने निराकार साधना के साथ-साथ साकार साधना का भी उपदेश दिया। साकार उपासना में भगवान के अवतार को मूर्तिरूप देकर उनकी पूजा की गई। मूर्ति पूजा का अर्थ है आकार पूजा। वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद भगवान के मंदिर इसके प्रमाण हैं। अपनी आंखों के सामने हमें कुछ न कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इस प्रकार मूर्ति पूजा मन को ईश्वर की अनुभूति के लिये तैयार करती है। मूर्ति पूजा आध्यात्मिक प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, "आध्यात्मिक विकास का आशय निम्नतर या हीनतर, सत्य से उच्चतर, सत्य की ओर प्रगति करना है और ईश्वर की अनुभूति के लिये मूर्ति पूजा ठीक वैसी ही है जैसे बाल्यावस्था वृद्धावस्था की परिपक्व वृद्धि के लिये। मन में किसी मूर्ति के आए बिना ध्यान लगाना उतना ही असंभव है जितना श्वांस बिना रहना।" स्वामी विवेकानंद साहित्य के प्रथम खंड में इस बारे में बताया गया है कि साहचर्य के नियमानुसार भौतिक मूर्ति से मानसिक भाव विशेष का उद्दीपन होता है। मन में भाव विशेष के उद्दीपन से मूर्ति विशेष का भी अभिर्भाव होता है, इसलिये हिंदू धर्म में मनुष्य के बाह्य प्रतीक का उपयोग किया जाता है जो मन को अपने ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्रता से स्थिर रहने में सहायता करता है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "समग्र संसार धर्ममय ईश्वर का प्रचार प्राचीन काल से करता आ रहा है। मैं ऐसे ईश्वर का प्रचार करना चाहता हूं जो एकाधार से धर्ममय व अधर्ममय दोनों ही है। यदि साहस हो तो इस ईश्वर को ग्रहण करो, यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है।" धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हमें हर दिशा में अपना कर्तव्य करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत *गीता* में कई बार प्रतिपादित हुआ है और ऐसा ही वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। धर्म में यह विश्वास है कि कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता, इसी से पुरुषार्थ आ जाता है। पुरुषार्थ भी चार प्रकार के बताए गए हैं - अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष। धर्म का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति में श्रद्धा, पूजा, मूर्ति पूजा साधन हैं। किंतु स्वामी विवेकानंद के अनुसार, भक्ति और पूजा धर्म का, ईश्वर प्राप्ति का निकृष्टतम माध्यम है श्रेष्ठ माध्यम तो ज्ञान मार्ग है। बावजूद इसके आजकल यही भक्ति और पूजा ही उपासना पद्धति के रूप में प्रचलित हो गया है।

हमारे देश में समय-समय पर अनेक धार्मिक आयोजन होते रहते हैं इसलिये यदि हम कहें कि भारत त्यौहारों एवं पर्वों का देश है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। इन्हीं त्यौहारों में गणेश उत्सव एवं नवदुर्गा उत्सव भी शामिल हैं। इन अवसरों पर गणेश एवं दुर्गा जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं जिनकी श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। आश्विन एवं चैत्र, ऋतु परिवर्तन के दोनों दौर में शरीर को साधनों की आवश्यकता होती है इसलिये उपवास का विधान है, इस भाव के साथ कि हम कम खाएं और सकारात्मक सोचें ताकि शरीर संचालन के लिये शक्ति का संचय संभव हो सके। कदाचित इसी भाव से नवरात्र साधना में मौनव्रत की भी परंपरा है क्योंकि वाणी के अनावश्यक अपव्यय से भी हमारी बहुत संचित शक्ति ख़र्च होती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेज़ी शासन के दौरान विचारकों ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठ मान्यताओं को स्थापित करने एवं लोगों में सुप्त राष्ट्राभिमान की भावना को जगाने के लिये गणेश पूजन का आयोजन किया। गणेश पूजन की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से की थी। इसके पीछे तिलक का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये जागृत करना था। अंग्रेज़ों के दवाव के कारण लोगों को एकत्रित कर आमसभा नहीं की जा सकती थी। इस कारण गणेश उत्सव के रूप में धार्मिक त्यौहार के बहाने लोगों को एकत्रित कर उनकी आज़ादी प्राप्त करने की भावना को उत्तेजित किया जाता था। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व बना दिया। गणपति के रूप में राष्ट्रदेवता की पूजा के प्रतीक रूप में स्वतंत्रता संग्राम से यह परंपरा वहां आरंभ हुई। लेकिन

Teachers of New Generation

NOW AT SYNERGY

भूगोल

द्वारा **आलोक रंजन**

(9891290953)

- Mains and PT Classes well demarcated.
- 5-7 days classes on Funda-mentals of Geog. with audio/visual projections.
- Focus on powerful geog. writing skills.
- No superficial learning but substantiation.
- Where concept building, writing skill development & structural memorisation are mutually-cohesive.

पाठ्यक्रम विवरण

16 Oct. : कार्यशाला
19-25 Oct. : आधारिक भूगोल
26-30 Oct. : दिपावली अवकाश

2 बैच प्रारम्भ (भू-आकृति विज्ञान के साथ)
नवम्बर (रविवार), 2008

Admission Open

लोक प्रशासन

द्वारा **अभय कुमार** (9990188537)

बैच प्रारम्भ :
30th Oct., & 5 Nov. 08

COURSE OFFERED
- P.T. cum Mains
- Mains
- PT Test Series

नये पाठ्यक्रम के अनुरूप संगठित, सुक्ष्म अध्ययन सामग्री एवं कक्षा कार्यक्रम एवं प्रारम्भिक परीक्षा हेतु टेस्ट श्रृंखला कार्यक्रम

मुख्य बिन्दु

- सप्ताह में पांच दिवसीय कक्षा कार्यक्रम एवं प्रारम्भिक परीक्षा हेतु सिंडिकेट प्रशिक्षण
- Synergy में हिन्दी माध्यम में भी गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रतिवान स्थापित किया है।

SYNERGY

Mukherjee Nagar : 301, Jaina Building (Extn.), (Behind Post Office) Comm. Comp., Delhi-9
Rajender Nagar : 18/4, (First Floor), Opp. Aggarwal Sweets Old Rajender Nagar, Delhi-60

Call us : 9868839766, 9911721660, 011-27654518, 25728391, 27653494

YH-11/08/10

समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन भी हुए हैं जिसने व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में तरह-तरह के तथाकथित धार्मिक क्रियाकलापों को जन्म दिया है। ये व्यवहार सामान्यत: समाज को अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड की ओर प्रवृत्त करते हैं। दशहरे के नाम पर दुर्गोत्सव समितियां जो आयोजन रच रही हैं उससे आम जनता कितनी परेशान होती है यह सोचने का समय किसी को नहीं है। घर, दुकान, चौराहा, चंदा वसूलने वाले हर जगह मिल जाते हैं। मनमाने पैसे भरकर रसीद दी जाती है चाहे देने वाले की हैसियत हो या न हो। जिससे जो बन पड़ेगा अपनी श्रद्धा से देगा फिर जबरदस्ती वसूली कहां तक सही है? करोड़ों रुपये जनता से वसूलकर मात्र सजावट में पानी की तरह पैसा बहाने से आम जनता को क्या फायदा होता है? गणेश उत्सव एवं दशहरे पर जगह-जगह पर बड़ी-बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की होड़-सी लग जाती है। हम सभी जानते हैं कि मूर्तियां बनाने, उनके रंगरोगन और सज्जा में जहरीले रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। विसर्जन के बाद यह रसायन पानी और जलचरों के लिये ख़तरा बन जाते हैं। यदि साधारण तरीक़े से एवं छोटी एवं प्राकृतिक पदार्थों से बनी प्रतिमाएं रखी जाएं तो क्या कोई देखने नहीं आएगा अथवा क्या पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी? शहर में जगह की कमी और यह भव्यता, सड़क जाम और लोगों की परेशानी का सबब बनती हैं। यदि साधारण ढंग से प्रतिमाएं रखी जाएं तो लोग आसानी से ज्यादा से ज्यादा प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। ईश्वर तो श्रद्धा के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। गली-गली में होने वाली प्रतिमा स्थापना को भी कम किया जाना चाहिए। प्रतिमा स्थापना के दौरान लाउडस्पीकर लगाकर अखंड पाठ करने से पैदा शोर एवं भंडारे के बाद जूठे पत्तल, दोने इत्यादि यहां-वहां बिखेर कर वातावरण गंदा करने से क्या भगवान खुश होंगे? जागरण करवाने में लोग भक्ति का बढ़-चढ़ कर प्रदर्शन करते हैं। पूजा पाठ में संगीत को महत्व दिया गया है इसी कारण घंटे-घड़ियाल बजाकर आरती गाना, भजन करना आम बात है परतुं आज ध्वनि 'लाउड' होने के साथ ही तौर-तरीक़े भी 'लाउड' हो गए हैं। इस शोर से वृद्धों के स्वास्थ्य तथा बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले कुप्रभाव की चिंता किसी को नहीं है। जागरण, पूजा से ज्यादा एक सामाजिक समारोह बन गया है।

भारत में आतिशबाजी की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। भारत में त्यौहारों जैसे - दीपावली, दशहरा आदि की तो बिना आतिशबाजी के कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दुर्गा पूजा के दसवें दिन रावण, कुंभकरण, मेघनाथ आदि के पुतले जलाए जाते हैं इसके साथ ही आतिशबाजी भी की जाती है। प्राचीन समय में आतिशबाजी सीमित रूप में की जाती थी परंतु आज यह काफी विस्तृत रूप में होने लगी है। आज के समय में आतिशबाजी रोचक होने के बावजूद जनस्वास्थ्य के लिये घातक सिद्ध हो रही है। इसका महत्व हमारी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी रहा हो परंतु अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि आतिशबाजी का बढ़ता चलन जनस्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। आतिशबाजी का जहरीला धुआं वास्तव में रासायनिक गैसों का सम्मिश्रण है। जहरीली गैसों में कार्बन डाइ-ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाइ-ऑक्साइड मुख्य हैं। कार्बन डाइ-ऑक्साइड का दबाव अगर 8 से 15 प्रतिशत से अधिक होता है तो वह अपना प्रभाव दिखाने लगती है। इस कारण अस्थायी रूप से बच्चों में ब्रोकांइटिस, कफ़ या बलगम तथा अस्थमा आदि की शिकायतें प्रमुखता से पाई जाती हैं। दूसरी ओर, आतिशबाजी से निकली आवाज़ें भी मानव स्वास्थ्य के लिये कम घातक नहीं है। पटाखों की ध्वनि 90 डेसीबल (डीबी) तक होती है। 80 डेसीबल वाली ध्वनि कार्यों पर प्रतिकूल असर शुरू कर देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 75 डीबी की आवाज़ भी यदि लगातार 6 घंटे प्रतिदिन सुनाई दे तो मनुष्य बहरा हो सकता है। 88 डीबी से अधिक शोर व्यक्ति को बहरा बना सकता है। इससे ज्यादा 120 डेसीबल वाली ध्वनि कान के पर्दे पर भीषण दर्द उत्पन्न कर देती है। औषधि विज्ञान के चिकित्सक प्रो. ग्राल के अनुसार, 150 डीबी प्रबलता वाली ध्वनि एक ही बार में मनुष्य को बहरा कर सकती है और 155 डीबी की ध्वनि त्वचा जला सकता है। 180-190 डीबी पर मृत्यु हो सकती है। सामान्य से अधिक तीव्र ध्वनि वृद्धजनों और उच्च रक्तचाप से पीड़ितों को असहनीय पीड़ा पंहुचाती है।

शोर से उत्पन्न तनाव एक धीमा ज़हर है जो मनुष्य की आयु को कम कर रहा है। अत्यधिक शोर से कार्य क्षमता घट जाती है साथ ही अनिद्रा रोग हो जाता है। नींद जैसी स्वाभाविक क्रिया को भी दवा खाकर लाना पड़ता है। पर्यावरण एवं विकास पर राष्ट्रीय मासिक पत्रिका *पर्यावरण विकास* अंक 11 के अनुसार चंडीगढ़ की स्थानीय पर्यावरण सोसायटी की एक गोष्ठी में शिक्षाविद् पी.डी. शास्त्री ने बताया कि "सामाजिक परंपराएं तथा धर्म भी इस आतिशबाजी को उचित नहीं बताते।" चिकित्सकों के अनुसार, आतिशबाजी छोटे बच्चों के कोमल तंतुओं को भी हानि पहुंचाती है। इससे निकलने वाली गैस बच्चों में ज़हर भर देती हैं। शोर से गर्भस्थ शिशु की मौत भी हो सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षसों की गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रो. नोबेल जोन्स ने सवा दो लाख से अधिक शिशुओं का परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि शांत स्थानों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में शोर प्रदूषण में निरंतर रहने वाली स्त्रियों के शिशुओं में जन्म से ही विकृतियां पाई जाती हैं।

आतिशबाजी पर कठोरता से प्रतिबंध लगाना होगा। हमारे यहां रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित हैं। अधिकांश लोग इन नियमों का पालन नहीं करते। आतिशबाजी और दशहरा-दीपावली का साथ अब चोली-दामन के समान हो गया है। अत: इसे तोड़ा तो नहीं जा सकता परंतु कम अवश्य किया जा सकता है।

धर्म लोगों को संतोष देने और उनके विचारों को संयमित रखने के लिये होना चाहिए न कि उनके लिये मुसीबत का सबब। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे कहीं आसपास के लोगों को असुविधा तो नहीं हो रही है। त्यौहार अब भक्ति से ज्यादा प्रदर्शन बन कर रह गए हैं। इनका मकसद आडंबरों में छिपकर रह गया है, आज के हालात तो यही बयां कर रहे हैं। चंदे के पैसे से यदि भव्यता के बजाय ग़रीबों, वृद्धों, असहाय लोगों को खाना, कपड़ा, दवाएं आदि वितरित की जाएं कुछ बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था कर दी जाए या प्रतिभाशाली छात्रों, खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा अथवा स्तरीय खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था करा दी जाए तो इससे बड़ी आस्था एवं पुण्य क्या होगा। पूजा समितियां इन विषयों पर गंभीरता से विचार करें तथा आस्था के त्यौहार को आडंबर न बनाएं तो पैसे की पानी की तरह बर्बादी, आम जनता की परेशानियां तथा प्रकृति के साथ किया जा रहा अन्यायपूर्ण व्यवहार बंद हो जाएगा। ❑

(लेखिका डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के प्रौढ़, सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग में शोध छात्रा हैं।
ई-मेल : divy.panday@yahoo.com)

भारतीय संसद और मीडिया के अंतर्संबंध

● राजेंद्र धस्माना

पुस्तक : भारतीय संसद और मीडिया; **लेखक :** देवेंद्र उपाध्याय; **प्रकाशक :** भारतीय पुस्तक परिषद, 175-सी, पॉकेट ए, मयूर विहार फेज़-II, नयी दिल्ली-110091; **मूल्य :** 300 रुपये (सजिल्द); **पृष्ठ संख्या :** 224

भारत का संविधान जब लिखित रूप में सामने आया तब देश के पहले प्रधानमंत्री ने भी यह प्रश्न उठाया था कि उसे देश की आम जनता के लिये सुगम और सरल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रकाशन विभाग ने *भारत का संविधान* एक बोधगम्य भाषा में एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया, जिसे पढ़कर संविधान जैसे जटिल विषय को आसानी से समझा जा सकता है। संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत संसद, राष्ट्रपति और दो सदनों - राज्य सभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स) और लोक सभा (काउंसिल ऑफ द पीपल) से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनने वाली संसद के अंतर्गत एक निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। "संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है और संसद के भीतर स्थापित एक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है", इस वाक्य से यह भ्रम पैदा होता है कि पहले संसद अस्तित्व में आई या राष्ट्रपति। यह भी कि देश की पहली संसद दोनों सदनों से मिलकर बनी थी और यह भी कि संविधान के कारण संसद का जन्म हुआ और संविधान को लागू करने, उसमें संशोधन आदि करने की जिम्मेदारी भी संसद को ही सौंपी गई। संसद के अस्तित्व में आने के बाद ही संसदीय लोकतंत्र का चलन हुआ।

इन छोटी-छोटी पेचीदगियों से संसद के अस्तित्व पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। केवल समझने की बात है, पर संसद की रीतियों, तौर-तरीक़ों, काम करने के ढंग, व्यवस्थाओं और नियम-उपनियमों को ठीक-ठीक, सुगमता, सहजता से समझने की मांग कभी नहीं हुई। यह काम कोई लेखा स्वेच्छा से ही कर दे, तो अलग बात है। पहले किसी ने ऐसा किया भी हो, वह तो याद नहीं आता लेकिन हाल में वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र उपाध्याय ने इस कठिन काम को हाथ में लेने का सराहनीय प्रयास किया। उनकी पुस्तक *भारतीय संसद और मीडिया* ने संसद की जटिलताओं को जिस सरलता से आसान बनाया है और संसद तथा मीडिया के अंतर्संबंधों को जिस सहजता से समझाया है, वह अपने में एक बड़ा काम है।

राष्ट्रपति का चुनाव और उनकी भूमिका, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, राज्य सभा के सभापति, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और उनके आचरण और भूमिकाओं का खुलासा करने में लेखक ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। राज्य सभा और लोक सभा में शुरू से अब तक कौन-कौन, कब-कब सदन के नेता रहे, यह सूची भी बाकायदा पुस्तक में उपलब्ध है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं की सूची भी क्रमबद्ध उपलब्ध है।

संसद में किस प्रकार विधेयक पेश होता है से लेकर विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने तक की सारी विधायी प्रक्रियाएं देकर राष्ट्र की विधायिका के सर्वोच्च स्वरूप को अत्यंत सरलता से सामने रखा गया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कार्य-स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख, गैरसरकारी सदस्यों के संकल्प सभी का पुस्तक में सरलता से उल्लेख है।

राष्ट्रपति भारत की संसद का संवैधानिक अंग है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। फिर राष्ट्रपति संसद के संदर्भ में करते क्या हैं? इसका उत्तर भी पुस्तक में मिल जाएगा। "राष्ट्रपति का कार्य संसद के दोनों सदनों की बैठकें बुलाना और उनका सत्रावसान करना है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जब तक उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती, वे कानून के रूप में अस्तित्व में नहीं आते हैं।"

जब संसद सत्र न चल रही हो उस वक्त मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश पर तात्कालिक कार्रवाई हेतु राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों के बराबर शक्तिशाली प्रभाव वाले अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को नयी लोकसभा के अस्तित्व में आने के बाद उसके अंतरिम अध्यक्ष तथा राज्य सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष को भी नियुक्त करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति हर बजट सत्र शुरू होने पर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति केंद्र सरकार की उपलब्धियों और भावी नीतियों एवं कार्यक्रमों की घोषणा करता है। अगर किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में सहमति नहीं होती तो राष्ट्रपति उनकी संयुक्त बैठक बुलाता है।

लोक सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों और राज्य सभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की सलाह से संविधान के अनुच्छेद 108 में निर्धारित शक्तियों के निर्वहन का भी पूरा अधिकार है। राष्ट्रपति का निर्णय इस मामले में अंतिम होता है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

संसद की सभी समितियों के कामकाज भी पुस्तक में स्पष्ट रूप में अंकित हैं और संसदीय कार्यवाही का विविध स्वरूप सहित अब तक का पूरा इतिहास रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रेस एवं जनसंपर्क का भी सविस्तार उल्लेख है और लोक सभा तथा राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों को यथोचित स्थान दिया गया है। प्रेस से संबंधित कानूनों की संपूर्ण जानकारी भी मिल जाती है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 को ज्यों का त्यों दिया गया है। इसके साथ ही पुस्तक के अंत में सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 को लोक सभा द्वारा 11 मई, 2005 को पारित रूप में देकर लेखक ने पुस्तक की उपादेयता को और अधिक बढ़ा दिया है।

विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों पर भी बारीक़ी और विस्तार से चर्चा है। विधायिका और न्यायपालिका के अंतर्संबंधों पर लेखक ने शायद कुछ विवादों को ध्यान में रखकर कुछ नहीं लिखा है। यह प्रश्न केवल न्यायपालिका को लेकर ही सामने आया था कि विधायिका और न्यायपालिका में कौन सर्वोच्च है और इसका अभी तक सर्वमान्य उत्तर भी सामने नहीं आया है। वैसे संसद को लेकर कुछ प्रश्न जनता के बीच तक गए थे। जैसे - संसद में प्रश्न पूछने के लिये रिश्वत, ऑपरेशन चक्रव्यूह पर कार्यवाही आदि। इन पर लेखक ने साधिकार क़लम चलाई है।

पुस्तक का मुख्य विषय और नाम भी *भारतीय संसद और मीडिया* ही है और इस विषय के साथ लेखक ने अध्यवसाय और अपने संपर्क-सूत्रों के बल पर पूरा-पूरा न्याय किया है। ❑

जैव ईंधन नीति के मसौदे को मंत्री समूह की मंजूरी

केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के एक समूह ने जैव ईंधन नीति (बायोफ्यूल पॉलिसी) के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मसौदे में पेट्रोलियम और जैव ईंधन मिश्रण संबंधी प्रावधान के अलावा जट्रोफा और करंज के बीजों के लिये पूरे देश में एकसमान कर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव शामिल है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को मंत्रिसमूह की मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, इस नीति को जैव ईंधन उत्पादकों और निवेशकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जबकि इस नीति का मुख्य मकसद जैव ईंधन उद्योग को प्रोत्साहित करना है। इस नीति को तैयार करते वक़्त इस बात का खासा ख्याल रखा गया है कि जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता में कमी आए। उल्लेखनीय है कि देश के कुल ईंधन खपत में 70 फीसदी हिस्सा आयातित तेल का होता है। ऐसे में इस नीति की कोशिश होगी कि आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता जहां तक हो सके कम की जाए। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रस्ताव में पेट्रोलियम ईंधन को मिलाने की इज़ाज़त दी जाएगी। जट्रोफा की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये एक मिशन चलाने के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव भी इस मसौदे में हो सकता है। इस नीति के जरिये पूरे देश में जट्रोफा और करंज के बीजों पर लगने वाले कर को एकसमान बनाने की उम्मीद है। इस नीति में जैव ईंधन बीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिये राष्ट्रीय जैव ईंधन विकास बोर्ड (एनबीडीबी) के गठन का प्रस्ताव किए जाने की उम्मीद है।

अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री विलास मुत्तेमवार ने बताया कि इस नीति के मसौदे पर मंत्रियों के समूह ने अपनी मुहर लगा दी है। श्री मुत्तेमवार के अनुसार, "उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही इस प्रस्ताव को मान लेगा।" उन्होंने बताया कि मूल मसौदे में कई संशोधन किए गए हैं। गौरतलब है कि मंत्रियों के इस समूह में विलास मुत्तेमवार के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, योजना आयोग के सदस्यों सहित कई अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।

जैव ईंधन उद्योग लंबे समय से यह मांग कर रही है कि देश में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये पेट्रोल के साथ कम से कम 5 फीसदी तक जैव ईंधन मिलाने की अनुमति दी जाए। वैसे अक्तूबर से पेट्रोल में 10 फीसदी तक इथेनॉल मिलाने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जैव ईंधन की खेती का खासा विरोध भी हो रहा है। वह इसलिये कि आशंका है कि जैव ईंधन की खेती से खाद उत्पादों के रकबे में कमी हो जाएगी। श्री मुत्तेमवार ने साफ़ किया है कि जैव ईंधन की खेती को प्रोत्साहित करने से खाद्य सुरक्षा को कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इनकी खेती बंजर ज़मीन पर ही हो। ❑

(पृष्ठ 64 का शेषांश)

चुनावों की तारीख घोषित कर दी है। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में दो चरणों में जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिज़ोरम में एक ही चरण में मतदान होगा। जम्मू-कश्मीर में चुनाव सबसे अधिक सात चरणों में निर्धारित की गई है। पहले चरण का चुनाव 17 नवंबर को जबकि सातवें चरण का मतदान 24 दिसंबर को होगा। यहां मतगणना 28 दिसंबर को होगी। जबकि अन्य सभी पांच राज्यों में मतगणना आठ दिसंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालास्वामी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 39 सीटों पर 14 नवंबर को और शेष 51 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इनके लिये 20 और 27 अक्तूबर को अधिसूचना जारी होगी।

जम्मू-कश्मीर चुनाव कब-कब

चरण	सीट	मतदान
पहला चरण	10	17 नवंबर
दूसरा चरण	6	23 नवंबर
तीसरा चरण	5	30 नवंबर
चौथा चरण	18	7 दिसंबर
पांचवां चरण	11	13 दिसंबर
छठा चरण	16	17 दिसंबर
सातवां चरण	21	24 दिसंबर

कहां कितने मतदाता

राज्य	मतदाता	पहचान पत्र प्रतिशत में	मतादाता सूची की संख्या
दिल्ली	1,09,00,000	80	10,849
छत्तीसगढ़	1,52,07,734	64.51	20,952
मध्य प्रदेश	3,57,05,136	85	46,812
मिज़ोरम	6,11,124	91	1,026
राजस्थान	3,62,19,481	84.63	42,212

मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिये 31 अक्तूबर को अधिसूचना जारी होगी और 25 नवंबर को मत डाले जाएंगे। दिल्ली में चार नवंबर को और मिज़ोरम में पांच नवंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही 29 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में चार दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और वहां अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी। पांच राज्यों में मतदान के बाद 8 दिसंबर को एक साथ मतगणना होगी और निर्वाचन संबंधी पूरी प्रक्रिया 13 दिसंबर तक निपटा ली जाएगी।

जम्मू-कश्मीर की 87 सीटों के लिये चुनाव प्रक्रिया करीब सवा महीने तक चलेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालास्वामी ने यहां बताया कि बर्फ़ से घिरे लेह और करगिल क्षेत्र में शुरुआती दो चरणों में मतदान होगा। यहां चुनाव का विरोध पहले से कम हुआ है। ❑

योजना

दिसंबर 2008

पूर्वोत्तर विशेषांक

- **हमारी विकास गाथा का अभिन्न अंग। एक बार फिर हम आपको वहीं ले चलते हैं। इस बार हमारा फ़ोकस होगा अरुणाचल प्रदेश पर।**
- **पूर्वोत्तर में सड़क, बिजली, रेल और हवाई अड्डों जैसे संरचनात्मक विकास कार्यों में भारी निवेश किया जा रहा है।**
- **पहले की तरह इस बार भी प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, प्रशासकों और अनुभवी विशेषज्ञों के विद्वतापूर्ण आलेखों से सुसज्जित। इनमें अन्य लेखकों के साथ-साथ शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जनरल (अवकाश प्राप्त) जे.जे. सिंह, पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर तथा योजना आयोग के सदस्य बी.के. चतुर्वेदी आदि।**
- **विशेषांक का मूल्य 20 रुपये होगा। पाठक कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं, अथवा वितरण एवं विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ईस्ट ब्लॉक IV, लेवल-VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली (फोन : 26100207) से संपर्क करें।**

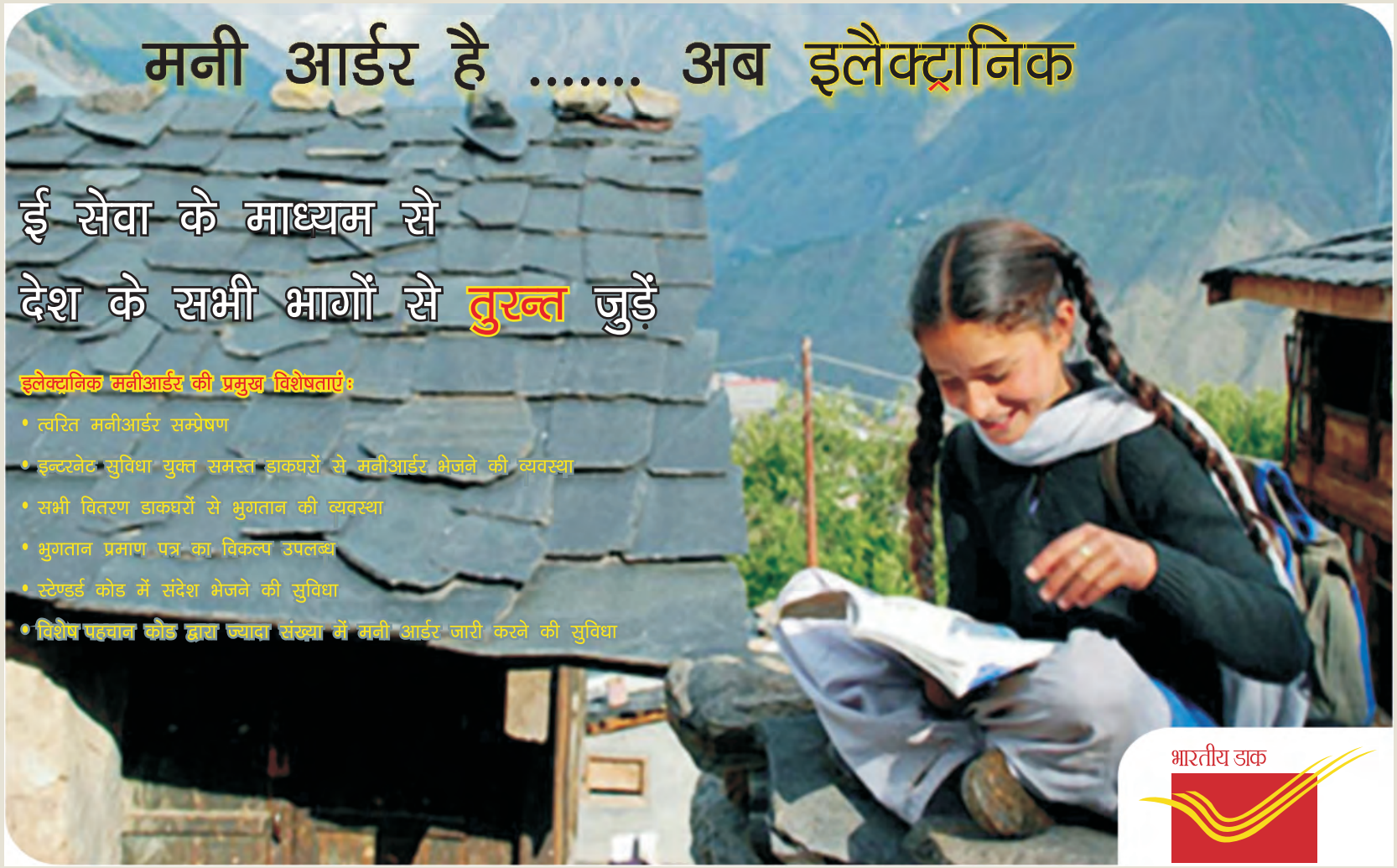

व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय
डाक विभाग, नई दिल्ली–110116
www.indiapost.gov.in ■ business@indiapost.gov.in

डाक सेवा, जन सेवा

davp06305/13/0031/0809

YH-11/08/29

प्रकाशक व मुद्रक वीना जैन, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई–46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2, नयी दिल्ली–110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली–110 003 से प्रकाशित। संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/2006-08
रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-8 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS,
R.N.951/57

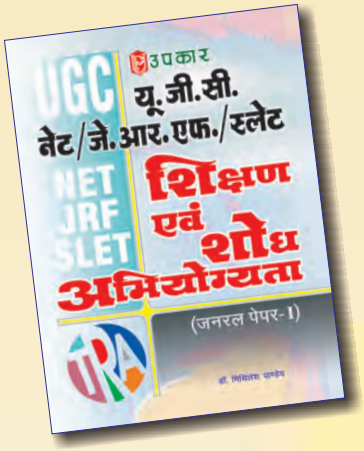

अध्यापन कार्य यानि राष्ट्र का निर्माण

यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ./स्लेट परीक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षोपयोगी विशेष सामग्री

Useful Books	Code	Price
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (General Paper-I)	420	225.00
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I)	1553	245.00
UGC-NET Practice Work Book General Paper-I	1552	60.00
UGC-NET Geography	336	150.00
UGC-NET Obj. Geography (Paper II)	320	140.00
UGC-NET English (Paper-II)	925	155.00
UGC-NET English Litt. (Paper II)	940	80.00
UGC-NET English (Paper III)	1544	90.00
UGC-NET English (Paper II & III)	1549	160.00
UGC-NET Psychology (Paper-II)	322	100.00
UGC-NET History (Paper-III)	1611	160.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	968	145.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	888	360.00
UGC-NET Commerce (Paper-III)	359	470.00
UGC-NET Computer Science (Paper-II & III)	894	370.00
UGC-NET Physical Education (Paper-II & III)	931	320.00

उपयोगी पुस्तकें	Code No.	Price
UGC-NET प्रैक्टिस वर्क बुक जनरल पेपर-I	656	65.00
UGC-NET जनरल पेपर-I *(डॉ. लाल, जैन एवं डॉ. वशिष्ठ)*	200	225.00
UGC-NET जनरल पेपर-I *(डॉ. मिथिलेश पाण्डेय)*	271	215.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	509	165.00
UGC-NET संस्कृत (तृतीय प्रश्न-पत्र)	556	195.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	574	95.00
UGC-NET संस्कृत (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1019	290.00
UGC-NET अर्थशास्त्र *(डॉ. अनुपम अग्रवाल)*	521	350.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	567	210.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1114	170.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1257	125.00
UGC-NET हिन्दी (तृतीय प्रश्न-पत्र)	699	125.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	763	240.00
UGC-NET भूगोल *(डॉ. एम. एस. सिसोदिया)*	54	225.00
UGC-NET प्रैक्टिस वर्क बुक भूगोल (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1292	70.00
UGC-NET भूगोल (तृतीय प्रश्न-पत्र)	206	225.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	685	320.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1125	99.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	201	299.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	681	320.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	204	255.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	659	130.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	714	175.00
UGC-NET इतिहास (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1350	215.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	682	270.00
UGC-NET वाणिज्य (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1226	565.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	779	60.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1323	55.00
UGC-NET संगीत (तृतीय प्रश्न-पत्र)	596	110.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1048	130.00
UGC-NET मनोविज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1022	98.00
UGC-NET विधि (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1173	105.00
UGC-NET गृह विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1336	190.00
UGC-NET गृह विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1337	315.00
UGC-NET समाजशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1335	215.00
UGC-NET समाजशास्त्र (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	127	275.00

उपकार प्रकाशन
(An ISO 9001:2000 Company)
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, **आगरा-282 002 फोन** : 2531101, 2530966, 3208693; **फैक्स** : (0562) 4031570
• E-mail : publisher@upkar.in • Website : www.upkar.in
ब्रांच ऑफिस : 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2, **फोन** : 23251844/66

YH-11/08/1